


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2005 की संख्या - 1

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
विशिष्टतार्ये		iii
अध्याय	विषय	
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन	1
2.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना	13
3.	संसाधनों का उपयोग: व्यय	27
4.	घाटा : राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन	42
5.	राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन	49
6.	विनियोग लेखे 2003-04 : प्रस्तावना	60
7.	विनियोग लेखे 2003-04 : एक विश्लेषण	64
8.	चुने हुए अनुदानों की समीक्षा	78
9.	सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन	108
	परिशिष्ट सूची	115
	परिशिष्ट	116
	शब्दावली	157




प्राक्कथन

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़ कर) पर नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक रूप से प्रतिवेदन सं. 2 में सम्मिलित किया गया है। मंत्रालयों एवं विभागों की कुछ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों को प्रतिवेदन संख्या 3 में शामिल किया गया है।

संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों (सं.4), वैज्ञानिक विभागों (सं.5), रक्षा सेवाएं - सेना तथा आयुध फैक्ट्रियां (सं.6), रक्षा सेवाएं - वायु सेना एवं नौ सेना (सं.7), रेलवे (सं.8 एवं 9), अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क (सं.10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12 एवं 13) पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद के पटल पर रखे जाते हैं।



संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था तथा लेखे : 2003-04

विशिष्टताएं

यह प्रतिवेदन संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था और दो योजनाओं की अवधि अर्थात् VIII वीं (1992-1997) और IX वीं (1997-2002) तथा दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के मुख्य राजकोषीय सूचकों की प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। इसमें 2003-04 के लिए विनियोग लेखाओं पर एक विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट है।

- वर्ष 2003-04, भारत की समेकित निधि में 26,592 करोड़ रु. की राशि के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ। लोक लेखे में 22,650 करोड़ रु. का घाटा था।
- 2003-04 में राजस्व घाटा 100986 करोड़ रु. था जबकि राजकोषीय घाटा 80937 करोड़ रु. की राशि का था। राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय घाटा, स.घ.उ. का 2.92 प्रतिशत बनता था।
- 2003-04 में संघ सरकार की कुल प्राप्तियों की राशि 1402736 करोड़ रु. थी। गैर ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 30 प्रतिशत बनती थीं। शेष उधारों और लोक लेखा प्राप्तियों से था।
- 2003-04 में कुल गैर-कर राजस्व 150518 करोड़ रु. था जो संघ सरकार के निवल राजस्व का 44 प्रतिशत बनता था। 1985-2004 के दौरान यह अनुपात अपने सापेक्ष अनुपात में 0.62 प्रतिशत के नाममात्र सकारात्मक वार्षिक परिवर्तन दर पर था यद्यपि, हाल के दो वर्षों में इसके सापेक्ष हिस्से में मंदन था।
- संघ सरकार का कुल संवितरण VIII वीं योजना के दौरान 433716 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2003-04 में 1395329 करोड़ रु. हो गया। तथापि, 1985-2004 के दौरान संवितरण की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति 11.79 प्रतिशत स.घ.उ. जोकि उसी अवधि में 14.14 प्रतिशत औसतन था, की वृद्धि दर से कम थी।
- राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बनना जारी रहा और इसका हिस्सा VIII वीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से 2003-04 में 86.83 प्रतिशत तक बढ़ गया। पूंजीगत व्यय और कर्जे एवं अग्रिम के सापेक्ष भाग में, VIII वीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से, 2003-04 के दौरान 13.17 प्रतिशत तक गिरावट आई।

- 1985-2004 के दौरान कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा लगभग अवरूद्ध रहा। 1985-2004 के दौरान कुल व्यय की 23.02 प्रतिशत की दीर्घावधि औसत के प्रति, 2003-04 में इसके भाग में केवल 24.13 प्रतिशत तक मामूली सुधार हुआ।
- सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की औसत से 2003-04 में 24,593 करोड़ रु. तक बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि दीर्घावधि प्रवृत्ति दर 15.31 प्रतिशत थी (1987-2004)।
- कुल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 1991-92 के दौरान चरम सीमा पर रहा जबकि यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक हो गई। यह अनुपात VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 60.72 प्रतिशत की औसत तक गिर गया और इसके आगे IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत की औसत तक रहा। हाल के दो वर्षों में, जबकि स.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात 2002-03 में 62.69 प्रतिशत बढ़ गया, इसमें वर्तमान वर्ष में दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तरों के निकट, 59.87 प्रतिशत का मंदन हुआ।
- 1985-2004 के दौरान, राजस्व, गैर-ऋण और अवचनबद्ध प्राप्तियों की राजकोषीय देयताओं के अनुपात में एक सकारात्मक परिवर्तन दर थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की प्रवृत्ति दर, इन उपरोक्त पैरामीटरों की वृद्धि दर से अधिक थी। गैर ऋण प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात, VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 446 प्रतिशत से 2002-03 में 453 प्रतिशत तक बढ़ गया था। तथापि, इसमें 2003-04 में 390 प्रतिशत तक गिरावट आई थी।

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

1.1 यह अध्याय वर्ष 2003-04 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है और 1985-2004 के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में आलोचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2003-04) के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1 : चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)			
राजस्व प्राप्ति	339100	राजस्व घाटा	राजस्व व्यय 440086
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	16953	100986	पूंजीगत व्यय 35401
ऋणों की वसूली	69827	राजकोषीय घाटा	ऋण तथा अग्रिम 31330
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	425880	80937	कुल व्यय 506817
लोक ऋण	538492	भा.स.नि. में अधिशेष	लोक ऋण 430963
कुल भा.स.नि.	964372	26592	कुल भा.स.नि. 937780
लोक लेखा			
लघु बचत	256531		लघु बचत 266475
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	21903		आरक्षित एवं निक्षेप निधि 19397
जमा	66457		जमा 56714
अग्रिम	24865	लोक लेखे में घाटा	अग्रिम 24529
उचन्त लेखे	-1064		उचन्त लेखे 22413
प्रेषण	441	-22650	प्रेषण 2255
कुल लोक लेखे	369133	रोकड़ में वृद्धि	कुल लोक लेखे 391783
अथ नकद	3465	3942	अंत नकद 7407
लोक लेखा अधिशेष (मांग)		-22650	(भा.स.नि.) में घाटा+ रोकड़ में बढ़ोतरी
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		109834	अधिशेष (ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा)
वार्षिक देयताएं (मांग)		109834	सा.जमा + रोकड़ में वृद्धि + निवल संवितरण (अग्रिम + उचन्त + प्रेषण)

1.3 वर्ष 2003-04, भारत की समेकित निधि में 26,592 करोड़ रु. के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ। लोक लेखे में 22,650 करोड़ रु. का घाटा था क्योंकि संवितरण

प्राप्तियों से अधिक बढ़ गया था। यद्यपि राजकोषीय घाटा 80,937 करोड़ रु. की राशि का था, नई देयताएँ 1,09,834 करोड़ रु. की राशि की थीं। राजकोषीय घाटे की पूर्ति के उपरान्त इनका उपयोग रोकड़ शेषों में बढ़ोत्तरी और उचन्त/प्रेषणों आदि के अंतर्गत अतिरिक्त संवितरण के लिए आर्थिक स्रोत की पूर्ति के लिए किया गया था।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियाँ और लोक लेखे	
<p>समेकित निधि</p> <p>संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि बनाएंगे। “भारत की समेकित निधि” भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित हुई थी।</p>	<p>आकस्मिकता निधि</p> <p>संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।</p>
<p>लोक लेखा</p> <p>समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी प्रविष्ट होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचत, अन्य जमा आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।</p>	

1.4 संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों के साथ निकटता राजकोषीय लक्ष्यबेधी गुणवत्ता का उल्लेख करती है। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में अन्तर के बहुत से कारण हैं। यह अपूर्वानुमानित तथा यादृच्छिक बाह्य कारणों या सुव्यवस्थित अपर्याप्तता के कारण हो सकता है जिससे व्यय का अनुमान या बजट के स्तर का राजस्व कम या अधिक होने या कई बार विवेकपूर्ण मितव्ययता के कारण हो सकता है। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ अन्तर्जात एवं अन्य बाह्य कई कारणों पर निर्भर करता है तथापि, निश्चयता का एक विशेष परिमाण सदैव दिलासा दिलाता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2 : संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2003-04 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2002-03 वास्तविक आंकड़े	2003-04		बजट से विपथन	विपथन* प्रतिशत
		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान		
1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियां	1084328	1333505	1106118	227387	20.56
2 राजस्व प्राप्तियां	299826	339100	324172	14928	4.60
कर राजस्व	160144	188582	187769	813	0.43
गैर-कर राजस्व	139682	150518	136403	14115	10.35
3 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	3151	16953	13200	3753	28.43
4 कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली	38745	69827	20523	49304	240.24
5 लोक ऋण की प्राप्ति	435371	538492	491836	46656	9.49
6 लोक लेखा प्राप्तियां	307235	369133	256387	112746	43.97
7 संघ सरकार के कुल संवितरण	1086211	1329563	1106118	223445	20.20
8 राजस्व व्यय	409591	440086	440676	-590	-0.13
9 पूंजीगत व्यय	30497	35401	42947	-7546	-17.57
10 कर्जें तथा अग्रिम	36222	31330	32785	-1455	-4.44
11 लोक ऋण की वापसी	339677	430963	367079	63884	17.40
12 लोक लेखा संवितरण	270224	391783	222631	169152	75.98
13 राजस्व घाटा	109765	100986	116504	-15518	-13.32
14 राजकोषीय घाटा	134588	80937	158513	-77575	-48.94

* विपथन (बजट अनुमान-वास्तविक आंकड़े)/बजट अनुमान $\times 100$ के रूप में अनुमानित हैं।

1.5 राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से 4.6 प्रतिशत तक बढ़ गयी और गैर-कर प्राप्तियों की अधिक प्राप्तियों से यह निष्पादन हुआ। कर प्राप्तियां समग्र रूप से सामान्यतः लक्ष्य के अनुरूप थीं। राजस्व व्यय भी बजटीय स्तर पर बनाये रखा गया था। राजस्व प्राप्तियों की उच्चतर वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में कमी आयी। वास्तविक राजस्व घाटा बजट आंकड़ों से लगभग 13 प्रतिशत कम था। बजट आंकड़ों की तुलना में कर्जें तथा अग्रिमों की वसूली में 240 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी के कारण राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी आयी। तथापि, इसे एक समय की प्राप्ति, के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण संघ सरकार की मूल परिसम्पत्तियों में समान रूप से कमी आती है। बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत व्यय तथा कर्जें तथा अग्रिमों में गिरावट आने से राजकोषीय घाटे में भी कमी आयी। लोक लेखे जिसमें कि बजट में अधिशेष संभावित था जो वास्तव में घाटे के रूप में प्रकट हुआ क्योंकि

संवितरण बजट अनुमानों से 76 प्रतिशत तक बढ़ गए। जबकि समग्र रूप से, राजकोषीय लक्ष्यप्राप्ति, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के पक्ष में सुस्पष्ट थी, बजट अनुमानों के अन्य पैरामीटरों के सापेक्ष में विपथन अत्यन्त अधिक थे।

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 1985-2004-कुछ मुख्य पैरामीटर

बॉक्स 1.2 : निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भारत की समेकित निधि में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. से लागू तथा भुगतान के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.6 जैसा कि वित्त लेखाओं से प्रकट/व्युत्पन्न हुआ है, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़े सरसरी तौर पर देखे गए बजट तथा बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न कुछ कागजातों में दर्शाए जा रहे आंकड़ों से निरन्तर भिन्न हैं। ये अंतर राजस्व तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों को शामिल/बाहर निकालने के कारण हैं। जबकि ये बजट कागजातों के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शाए गए हैं, इन कागजातों को ऊपर दर्शाना महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्न तालिका 1.3 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में, आवश्यक समायोजन लेन-देनों सहित सरसरी तौर पर देखे गए बजट में दर्शाए गए तथा वित्त लेखाओं में दर्शाए/व्युत्पन्न आंकड़ों के बीच अंतर दर्शाती है।

तालिका 1.3: वित्त लेखे तथा सरसरी तौर पर देखे गए बजट एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे का समायोजन

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
वित्त लेखाओं के अनुसार घाटा				
राजस्व घाटा	86611	110303	109765	100986
राजकोषीय घाटा	120874	155833	134588	80937
सरसरी तौर पर देखे गए बजट के अनुसार घाटा				
राजस्व घाटा	85234	100162	107880	98262
राजकोषीय घाटा	118816	140955	145072	123272
दो आंकड़ों में अन्तर				

राजस्व घाटा	1377	10141	1885	2724
राजकोषीय घाटा	2058	14878	-10484	-42335
अंतरों को स्पष्ट करने वाले कारण				
भा.रि.बैं./यू.टी.आई./आई.डी.बी.आई./अन्य को प्रतिभूतियां जारी की गई (राजस्व लेखा)	1377	10141	1885	2724
आई.आई.बी.आई./आई.एफ.सी.आई./भा.रि.बैं. को प्रतिभूतियां जारी की गई (पूंजीगत व्यय)	52	4737	384	-110
आई.एम.एफ. को प्रतिभूतियां जारी की गई	629		1011	1262
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई प्रतिभूतियों का शोधन			-13765	-46211
संयुक्त प्रभाव	2058	14878	-10485*	-42335

* अंतर शेष-सारांश को पूर्ण करने के कारण था।

1.7 राजस्व प्राप्तियां, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेषों का सार

1.8 वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। यह विवरण, वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित है और सरकारी तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.4, 1985-86 तथा 2003-04 के दौरान विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.4: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

(करोड़ रुपयों में)

संसाधनों के उपयोग			संसाधनों की उपलब्धता				
	31 मार्च को		सी.ए.आर.जी.*	31 मार्च को		सी.ए.आर.जी.*	
	1986	2004		1986	2004		
पूंजीगत परिव्यय	62064	433722	11.41	आंतरिक ऋण	71039	1141706	16.68
ऋण तथा अग्रिम	61766	254712	8.19	बाह्य ऋण	18153	46124	5.32
कार्यों के अनुसार स्रोत उपयोग				लघु बचत	36859	241349	11.00
सामाजिक सेवाएं	3032	18064	10.42	अन्य उत्तरदायित्व	11433	92376	12.31
कृषि एवं सम्बद्ध	5596	9797	3.16	राजकोषीय देयतायें	137484	1521555	14.29
सिंचाई एवं बिजली	9122	55853	10.59	नकद शेष	-107	-7407	26.54
उद्योग एवं खनिज	32931	69646	4.25	उच्च लेखे	-1260	-27960	18.79
परिवहन एवं संचार	19198	95709	9.34	प्रेषण	-1273	-3245	5.34
अन्य आर्थिक सेवाएं	3012	67324	18.84	अग्रिम	-511	-2840	10.00
कुल आर्थिक सेवाएं	69859	298329	8.40	आकस्मिकता निधि	50	50	0.00
अन्य	12219	175919	15.97	निधियों की उपलब्धता	134383	1480153	14.26
राज्यों को ऋण	38720	196123	9.43	स्रोत अन्तराल	-10553	-791719	27.11
कुल परिसम्पत्तियां	123830	688434	10.00	स्रोत उपयोग	123830	688434	10.00

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

1.9 जबकि संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 14.26 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियां केवल 10 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत के उपयोग तथा उपलब्धता की वृद्धि में औसतन नकारात्मक फैलाव पाया गया था। 1985-2004 के दौरान परिसम्पत्तियों में पूँजीगत व्यय या प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में वास्तव में उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। "ऋणों तथा अग्रिमों" में जो अपने पराश्रयी के माध्यम से निर्माण के पूँजी के सदृश है, 8.19 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों और उद्योग तथा खनिजों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा निवेश में, इस आवधि के दौरान बहुत कम वृद्धि दर्ज की गयी। सामाजिक सेवाओं में निवेश में 10.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश/आवास शामिल था, उसमें औसतन उच्च वृद्धि थी। अन्य क्षेत्र जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएँ तथा अन्य पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल 31 मार्च 1986 को लगभग आठ प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 53 प्रतिशत से अधिक हो गया था।

बॉक्स 1.3 : सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1993-94 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित तथा 2003-2004 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाई गई नई स.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व के लिए उत्लावक अनुमान दिए गए हैं। उत्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. श्रृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए 1985-2004 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIII वीं योजना (1992-97) तथा IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों अर्थात् 2002-03 तथा 2003-04 के लिए वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। जैसा कि वृद्धि दरों के मामले में, VIII वीं तथा IX वीं योजना के लिए औसत अनुपात, 1985-2004 तथा योजना अवधियों के लिए पृथक-पृथक उपयोग किए गए हैं। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के लिए वार्षिक अनुपात भी इंगित किए गए हैं।

सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2004 द्वारा दिए गए जनसंख्या के वर्ष के मध्य के अनुमानों का प्रयोग किया गया है। 1993-94 के व्यय के परिवर्तन के लिए स.घ.उ. की अपस्फीति का (बाजार मूल्य पर) प्रयोग किया गया है।

राजस्व प्राप्तियां

1.10 तालिका 1.5 1985-2004, VIIIवीं और IXवीं योजना (क्रमशः 1992-1997 और 1997-2002) और हाल के दो वर्षों के दौरान वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ. गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.5 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1985-2004	12.66	9.12	13.85	5.89	13.14	12.59	14.14
VIII योजना (1992-1997)	15.89	9.32	14.66	5.94	15.61	12.71	16.54
IX योजना (1997-2002)	9.00	8.68	8.00	6.06	8.12	12.40	10.43
2002-03	15.61	8.76	6.58	5.66	13.02	12.14	8.21
2003-04	17.61	9.17	7.76	5.43	13.10	12.23	12.25

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

1.11 यह देखने में आया कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर की औसत वार्षिक प्रवृत्ति (कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ सहित) स.घ.उ. की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दरों का मन्दन हुआ था यद्यपि चालू वर्ष में बढ़त थी। स.घ.उ. की कर प्राप्तियों के अनुपात में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 9.32 प्रतिशत के प्रवृत्ति औसत से 2003-04 में 9.17 प्रतिशत तक की गिरावट आई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 12.71 प्रतिशत की औसत से चालू वर्ष में 12.23 प्रतिशत तक की गिरावट आई। संघ-सरकार के गैर-कर राजस्व में भी निम्न प्रवृत्ति वृद्धि अभिलिखित की गई थी और स.घ.उ. से सापेक्ष अंश में, चालू वर्ष में 5.43 प्रतिशत तक की गिरावट आई। जबकि ऋणों और पेशगियों के ब्याज की औसत दर, इसके उधार की औसत लागत से अधिक रखी थी, निवेश पर प्रतिफल और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली कम थी।

1.12 संघ सरकार के कुल राजस्व (राज्यों के अंशदानों में शामिल करते हुए) 1985-2004 के दौरान 0.895 की उत्प्लावकता आई थी जो यह इंगित करती है कि स.घ.उ. में प्रत्येक प्रतिशतता अंक वृद्धि के लिए कर राजस्व में केवल 0.89 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि प्रत्यक्ष कर की उत्प्लावकता एक से अधिक थी, अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों) में निम्न उत्प्लावकता जो कि कुल कर राजस्व की लगभग

तीन चौथाई बनती थी, जिसके परिणामस्वरूप सकल कर प्राप्तियों में समग्र निम्नतर उत्प्लावकता आई।

व्यय

1.13 संघ सरकार के कुल व्यय (तालिका 1.6) ने भी ऐसी ही स्थिति दर्शाई थी। कुल व्यय की वृद्धि की दर में, (1985-2004) के दौरान 12.47 प्रतिशत दीर्घकालीन अवधि औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.86 प्रतिशत और चालू वर्ष में 6.40 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कुल व्यय-स.घ.उ. अनुपात 1985-2004 के दौरान 19.81 से चालू वर्ष में 18.28 प्रतिशत की प्रवृत्ति औसत से भी गिर गई थी। पूंजीगत व्यय, की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रमाणित थी, परन्तु व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि, कम रही। तथापि, चालू वर्ष में, पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण गतिवर्धन था। स.घ.उ. के सापेक्ष, इसके हिस्से में उतार-चढ़ाव था, परन्तु दर के बदलने से इसका साक्षेप हिस्सा नकारात्मक था। यह कर्जे और पेशगियों में भी यथातथ्य था। ये 1990-91 से योजनेतर राजस्व घाटे में जारी थे।

तालिका 1.6 : संघ सरकार के व्यय के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		कर्जे तथा पेशगियां		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1985-2004	14.12	16.12	7.21	1.64	6.28	2.05	12.47	19.81
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	15.51	-8.44	1.89	11.91	2.26	11.87	19.66
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	16.36	9.22	1.37	-3.42	1.84	8.86	19.56
2002-03	9.06	16.59	-2.55	1.23	-6.19	1.47	6.92	19.29
2003-04	7.45	15.88	16.08	1.28	-13.51	1.13	6.40	18.28

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

राजकोषीय असंतुलन

1.14 राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। VIIIवीं योजना(1992-1997) के दौरान 2.80 प्रतिशत के औसत की IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 3.95 प्रतिशत के औसत के राजस्व घाटा/स.घ.उ. के अनुपात में वृद्धि थी। राजकोषीय घाटा - स.घ.उ. अनुपात भी VIIIवीं योजना के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना के दौरान 6.25 प्रतिशत के औसत बढ़ गया था। तथापि, पिछले दो वर्षों में, इन मानदण्ड में मामूली सुधार था। चालू वर्ष में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स.घ.उ. के अनुपात में अत्यधिक कमी थी। राजकोषीय घाटा स.घ.उ. में 3 प्रतिशत से कम के स्तर तक गिर गया था। नए ऋणों में तथा अग्रिमों में

नकारात्मक वृद्धि तथा पिछले ऋणों की 80 प्रतिशत से अधिक वसूली के कारण राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आयी। तथापि, इस सुधार को बनाए रखने के लिए, अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति की उच्चतर वृद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए अन्यथा यह एक एकाकी परिघटना होगी। राजस्व घाटे के अनुपात में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति अधिक चिन्ता का विषय थी। प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान राजकोषीय घाटे के 46.26 प्रतिशत के औसत से 2003-04 में 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। (तालिका 1.7)

तालिका 1.7 : स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की % के रूप में राजस्व घाटा
1985-2004	3.53	5.90	59.77
VIIIवीं योजना (1992-1997)	2.80	6.04	46.26
IXवीं योजना (1997-2002)	3.95	6.25	63.26
2002-03	4.44	5.45	81.56
2003-04	3.64	2.92	124.77

राजकोषीय देयताएं

1.15 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बृहत मानदण्ड निम्न तालिका 1.8 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.8 : संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं* की वृद्धि दर	कुल देयतायें/ स.घ.उ अनुपात (प्रतिशत)	ब्याज की औसत दर	ऋण पुनर्भुगतान** / ऋण प्राप्तियों का अनुपात(प्रतिशत)	ब्याज की औसत दर
1985-2004	14.33	60.10	7.85	95.01	53.35
VIIIवीं योजना (1992-1997)	12.48	60.72	7.91	93.10	57.68
IXवीं योजना (1997-2002)	11.85	59.08	9.06	94.70	50.90
2002-03	10.62	62.69	8.90	97.87	44.78
2003-04	7.20	59.87	8.28	105.33	41.48

* वर्ष 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, राष्ट्रीय लघु बचतों में राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (स.ल.ब.नि.) को जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक देयताएं शामिल नहीं हैं।

** ऋण पुनर्भुगतान में अवधि के दौरान भुगतान किया गया मूल तथा ब्याज शामिल है।

1.16 1985-2004 के दौरान, संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं, स.घ.उ. के 60 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रहीं। यद्यपि कुल देयताओं में वृद्धि की दर, मन्दन की प्रवृत्ति को इंगित करती है, इस मन्दन से स.घ.उ. से देयताओं के अनुपात में अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि बाद की अवधि में स.घ.उ. की वृद्धि ने स्वयं मन्दन देखा। तथापि, चालू वर्ष में राजकोषीय देयताओं तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में मामूली वृद्धि तथा प्राथमिक अधिशेष में पिछले तीस वर्षों में प्रथम बार औसत वृद्धि हुई जिससे स.घ.उ. की राजकोषीय देयताओं के अनुपात में 2.82 प्रतिशत तक की गिरावट आयी। बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 7.91 प्रतिशत के औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 9.06 प्रतिशत के औसत तक ऊपर की ओर बढ़ती रही। चालू वर्ष में 8.28 प्रतिशत के औसत ब्याज दर में मामूली मन्दन था, परन्तु अधिक ऋण के प्रलम्बन के कारण, सामान्य निम्न प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, औसतन ब्याज दर में महत्वपूर्ण कमी की सम्भावना नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मूल और ब्याज सहित सकल ऋण प्राप्तियां, अन्य उपयोगों के लिए केवल एक हिस्सा छोड़ते हुए, ऋण विमोचन के प्रयोग में लाई जाती है। अधिक राजस्व घाटा, संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों को भी समाप्त कर रहा था, जो 2003-04 तक 41 प्रतिशत से थोड़ा अधिक तक गिर गया।

1.17 तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों की असमाधान शेषों की स्थिति दर्शाती है। 31 मार्च 2004 को निवल संचित अंतर 25 करोड़ रु. से कम था। समाधान न किए गए शेष मुख्यतः (i) बैंक स्क्रोल की अप्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति (ii) समाशोधन ज्ञापनों और अंतरसरकारी समायोजनों के निपटान में अप्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति (iii) विवरणों में गलतियां/लेखाओं में गलत वर्गीकरण समाधान न होने के कारण थे।

तालिका 1.9 : असमाधान शेष

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भा.रि.बैं. के पास जमा		
	वित्त लेखाओं के अनुसार	भा.रि.बैं. के अनुसार	भिन्नता
1999-2000	2661	2223	438
2000-01	3858	3623	235
2001-02	5353	5144	209
2002-03	3470	3531	61
2003-04	7412	7387	25

1.18 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) सरकार का बैंकर है तथा सरकारी लेन-देन करते समय अन्य प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भा.रि.बैं. के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के लेखाओं में प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेन-देनों, जो उनकी प्रकृति के सम्बन्ध में सूचना के अभाव अथवा अन्य कारणों से लेखे के अन्तिम शीर्ष को बुक नहीं किए जा सकते, को अन्तिम वर्गीकरण तक "उचन्त शीर्ष" नामक मध्यवर्ती लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है। तालिका 1.10, 31 मार्च 2004 तक, उचन्त शीर्षों के

अन्तर्गत बकाया शेषों को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्चत शीर्षों में शेष मात्र न्यूनतम तथा उपयुक्त रूप से व्याख्या करके, कारण सहित वित्त लेखाओं में सम्बद्ध स्थान में रखे जाते हैं, लेखाओं के अनुक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.10 : मुख्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष

(करोड़ रुपयों में)

लेखा शीर्ष	31 मार्च को निवल शेष				
	2000	2001	2002	2003	2004
(क) उच्चत (भु.ले.का. उच्चत)	क्रे. 281.11	डे. 318.75	डे. 565.12	डे. 1145.03	डे. 1170.86
(ख) उच्चत लेखे (सिविल)	डे. 794.84	डे. 506.94	डे. 289.94	डे. 650.41	डे. 682.75
(ग) उच्चत लेखे (डाक)	डे. 93.97	डे. 100.99	क्रे. 7.47	डे. 172.12	डे. 509.10
(घ) उच्चत लेखे (रक्षा)	डे. 111.11	क्रे. 628.67	क्रे. 643.73	क्रे. 360.24	डे. 304.40
1. उच्चत लेखे (रेलवे)	डे. 175.26	डे. 372.79	डे. 568.02	डे. 565.96	डे. 857.58
2. उच्चत लेखे (दूरसंचार)	डे. 1563.57	डे. 923.75	डे. 658.92	डे. 660.30	डे. 680.91
3. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उच्चत	डे. 806.43	डे. 586.55	क्रे. 51.91	डे. 537.48	डे. 2524.20
4. विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए उच्चत लेखे	डे. 1895.20	डे. 1675.43	डे. 697.45	डे. 501.07	डे. 473.31
5. रिजर्व बैंक उच्चत (मुख्या.)	क्रे. 173.52	क्रे. 172.20	क्रे. 172.26	क्रे. 173.20	डे. 72.69
6. रिजर्व बैंक उच्चत (के.ले.का.)	डे. 67.85	डे. 38.64	क्रे. 8.69	क्रे. 20.75	क्रे. 246.06
7. रोकड़ परिशोधन उच्चत	डे. 222.18	डे. 224.53	डे. 206.97	डे. 228.80	डे. 233.20
8. बट्टा शोधन निधि	डे. 794.94	0	0	0	0
9. अन्य	डे. 837.62	डे. 1208.25	डे. 1196.73	डे. 1182.14	डे. 1174.62
योग	डे. 6908.34	डे. 5155.75	डे. 3299.09	डे. 5089.12	डे. 8437.56

1.19 प्रतिकूल शेष मुख्यतः लेखांकन त्रुटियों अथवा लेखाओं के वर्गीकरण के युक्तिकरण के कारण उत्पन्न होने वाली लेखांकन स्थितियों अथवा प्रशासनिक पुनर्गठन, जो एक लेखांकन इकाई को कई इकाईयों में बदल देता है के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, कोई ऋण या पेशगी लेखा शीर्ष के प्रति नकारात्मक शेष, मूल रूप से अग्रेषित राशि से अधिक भुगतान का संकेत करेगा। वर्ष 2003-04 के लिए संघ वित्त लेखे ने प्रतिकूल शेषों के 49 मामलों का संकेत दिया जैसा कि **परिशिष्ट-I-क** में दर्शाया गया है। इसमें से छः शेष, वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रतिकूल बन गए थे। पुराने 43 मामलों में से, दो शेष 1976-77 से (लेखाओं के विभागीकरण से पहले) तथा 41 शेष 1986-87 से 2002-03 से प्रतिकूल हैं। महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने नवम्बर 2004 में बताया कि प्रतिकूल शेषों के अन्तर्गत सभी मदों की जांच की जा रही है और शेषों को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक मामले

में प्रतिकूल शेष के कारण लेन-देनों की विशेष प्रकृति और निपटान की प्रगति के लिए वित्त लेखे में उपयुक्त व्याख्यात्मक ज्ञापन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है जिससे यह लेखाओं की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा।

1.20 तालिका 1.11 दर्शाती है कि 2003-04 के लिए वित्त लेखाओं में चैकों और बिलों के लघुशीर्षों के अंतर्गत बड़े बकाया शेष थे, जिनके प्रभाव से सरकार के नकद शेषों को अधिक बताया गया था।

तालिका 1.11 : लघु शीर्ष "चैक और बिल" के अन्तर्गत बकाया शेष 2003-04

(करोड़ रुपयों में)

1. पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रे.	0.52
2. भुगतान एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रे.	6298.50
3. विभागीय चैक	क्रे.	107.74
4. खजाना चैक	क्रे.	4.62
5. इरला चैक	क्रे.	0.59
6. दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	क्रे.	998.03
7. डाक चैक	क्रे.	3767.10
8. रेलवे चैक	क्रे.	1439.05
9. रक्षा चैक	क्रे.	3625.45
10. इलैक्ट्रॉनिक संज्ञापन	डे.	1.71

1.21 लेखाओं में शीर्ष 'चैक और बिल', ऐसे लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन युक्ति है, जो अन्ततः समाशोधित/वापस लिए जाने होते हैं। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत सरकार के प्रति दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं. अथवा मंत्रालय/विभाग के अधिकृत सा.क्षे.उ. बैंकों की शाखाओं पर चैक आहरण करके किया जाता है। जब दावे उपयुक्त बिल फार्म में भु.ले.अ./विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं तो भु.ले.अ./विभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित जांच करने तथा भुगतान आदेश दर्ज करने के पश्चात् चैक जारी करके भुगतान प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष 8670 चैक एवं बिल को, जारी चैक की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ओर भा.रि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से, शेषों की तिथिवार मासिक विवरणी और शेषों की मासिक विवरणी की प्राप्ति पर, '8670-चैक और बिल' शीर्ष, ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है और 8658-108 सा.क्षे.बैं. उचन्त या 8675-101 रिजर्व बैंक-केन्द्रीय सिविल में आवश्यकता अनुसार क्रेडिट कर दिया जाता है।

अध्याय 2

संसाधन : प्रवृत्तियां तथा संरचना

संघ सरकार के संसाधन : 2003-04

2.1 राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धारारें हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक हैं ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में शोधन के लिए दायित्वों का सृजन करती है और विविध पूंजीगत प्राप्तियां जो संघटित तौर पर विनिवेश से प्राप्तियां तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां जो परिसम्पत्तियों के प्रभावी या वास्तविक आधार को कम करने में सहायक होती है। नीचे तालिका 2.1 संघ सरकार के कुल संसाधन जो वर्ष 2003-04 के लिए 1402,736 करोड़ रुपये बनते थे का सारांश प्रस्तुत करती है। गैर ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 30 प्रतिशत बनती थी। शेष या तो राज्यों को समनुदेशित किये जाने थे या उधार तथा लोक लेख प्राप्तियों की प्रकृति के थे।

तालिका 2.1: संघ सरकार के संसाधन

		(करोड़ रुपयों में)
I	राजस्व प्राप्तियां	404,866
II	पूंजीगत प्राप्तियां	994,405
	क. विविध प्राप्तियां	16953
	ख कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	69827
	ग ऋण प्राप्तियां	538,492
III	लोक लेखा प्राप्तियां	369,133
	कुल प्राप्तियां	1399,271
	नकद अथ शेष	3,465
	संसाधनों की कुल उपलब्धता	1402,736

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियों में 65,766 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

संसाधनों में प्रवृत्तियां

2.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1985-2004 के दौरान 13.12 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि से कम रही। संघ के सकल संसाधनों की संभूतियों में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद VIIIवीं योजना

(1992-97) के दौरान 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि देखी गई। यद्यपि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवत्वरित हो गई। Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों (2002-03 और 2003-04) में प्रवृत्तियों में व्युत्क्रम था तथा कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि से आगे बढ़ गई थी।

2.3 वर्तमान वर्ष (2003-04) में कुल प्राप्तियों के सभी घटकों की दर में महत्वपूर्ण तीव्रता देखी गई। ऋण की अदला बदली को कार्यान्वित करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां दुगुनी से अधिक हो गईं। योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सरकार से 13 प्रतिशत से अधिक के ब्याज दर भार वाले लिए गए ऋणों को वापिस करने के लिए अनुमत किया गया था। उच्च लागत ऋणों की वापसी अतिरिक्त बाजार उधारों तथा लघु बचत संग्रहण की एक विशिष्ट प्रतिशतता के माध्यम से निधियन की गई थी। यह 2002-03 में 3149 करोड़ रु. से 2003-04 में 16632 करोड़ रु. से विनिवेश के माध्यम से वसूली में बढ़ोतरी के कारण था। ऋण प्राप्तियों की वृद्धि, लोक लेखे से संभूतियाँ और राजस्व प्राप्तियों की दर में महत्वपूर्ण त्वरण भी था। स.घ.उ. के लिए 12.25 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, उसके घटकों में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण कुल प्राप्तियां बढ़ गई थीं। (तालिका 2.2)

तालिका 2.2 : प्राप्तियों के घटक : प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	सकल घरेलू उत्पाद
		गैर ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां		
1985-2004	182225	15957	252014	136120	586316	1213863
VIII वीं योजना (1992-1997)	157991	9373	164326	102117	433807	1035315
IX वीं योजना (1997-2002)	282019	17430	427187	210498	937134	1914401
2002-03	355948	41896	435371	307235	1140450	2469564
2003-04	404866	86780	538492	369133	1399271	2772194
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2004	13.12	13.94	10.10	14.47	11.79	14.14
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.54
IX वीं योजना (1997-2002)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.43
2002-03	11.89	71.85	-0.30	18.88	9.91	8.21
2003-04	13.74	107.13	23.69	20.15	22.69	12.25

2.4 तालिका 2.3 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक हिस्से को दर्शाती है। काफी लम्बे समय से (1985-2004) ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य तीन संघटकों में सापेक्षिक हिस्सों में सकारात्मक परिवर्तन रहा था। यद्यपि, VIIIवीं योजना के दौरान सापेक्षिक हिस्सों की राजस्व प्राप्तियां शिखर पर थीं, जबकि ऋण प्राप्तियों के हिस्से

IXवीं योजना के दौरान शिखर पर थे। Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान गैर ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे से संभूतियां पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्षिक हिस्से VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 36.42 प्रतिशत की सीमा तक पहुंचने के पश्चात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा के साथ दक्षिण की ओर बह गया तथा 2003-04 में 28.93 प्रतिशत तक हो गये। इस अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों में इनके सापेक्षिक हिस्से में एक नकारात्मक प्रवाह देखा गया था। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक हिस्सों में इन प्रवाहों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियां) के बीच अनुपात साधारणतः दो तिहाई और एक तिहाई पर स्थिर रहा। विविध पूंजीगत प्राप्तियों तथा अग्रिमों एवं ऋणों की वसूलियों से निर्मित हुई गैर ऋण प्राप्तियों के बढ़ाव के बावजूद उनका समग्र हिस्सा 6.2 प्रतिशत था। (तालिका 2.3)

तालिका 2.3 : कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2004	31.08	2.72	42.98	23.22	100
VIII वीं योजना (1992-1997)	36.42	2.16	37.88	23.54	100
IX वीं योजना (1997-2002)	30.09	1.86	45.58	22.46	100
2002-03	31.21	3.67	38.18	26.94	100
2003-04	28.93	6.20	38.48	26.38	100
हिस्सों में औसत वार्षिक परिवर्तन की दर					
1985-2004	1.18	1.92	-1.52	2.39	

स.घ.उ. के सापेक्ष संसाधनों तक पहुंच


2.5 जैसे आय बढ़ती है संसाधनों की पहुंच में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत है। इसलिए यह स.घ.उ. की सापेक्षिक वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि स.घ.उ. के समग्र संसाधनों की अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति औसत 48.30 प्रतिशत (1985-2004) थी, यह VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 41.90 प्रतिशत औसत तक गिर गई थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान कुल प्राप्तियां - स.घ.उ. अनुपात से 48.95 प्रतिशत की औसत से बढ़ गया तथा आगे के चालू वर्ष में 50.48 प्रतिशत तक हो गया। यद्यपि चालू वर्षों में समग्र प्राप्तियां - स.घ.उ. अनुपात में सुधार के बावजूद इसके चार घटकों में से तीन में स.घ.उ. (तालिका 2.4) सापेक्षित हिस्सों में नकारात्मक औसत वार्षिक परिवर्तन था। यदि 1985-86 में कुल प्राप्तियां तथा

स.घ.उ. 100 पर स्थिर हो तो 2003-04 में स.घ.उ.के 997 के मूल्य के प्रति कुल प्राप्तियां केवल 620 होगी। (ग्राफ-1)

तालिका 2.4 : स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियां

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2004	15.01	1.31	20.76	11.21	48.30
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.26	0.91	15.87	9.86	41.90
IX वीं योजना (1997-2002)	14.73	0.91	22.31	11.00	48.95
2002-03	14.41	1.70	17.63	12.44	46.18
2003-04	14.60	3.13	19.42	13.32	50.48
हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर					
1985-2004	-0.89	-0.17	-3.54	0.29	-2.05



2.6 वित्त लेखाओं में प्राप्तियां एवं संवितरण विशेषतः जो लोक ऋण एवं लोक लेखे से सम्बन्धित सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिए, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी ओवर ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू.एम.ए.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन स्वयं ही स्वभाव से अल्पावधि के हैं जो अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं। ये स्वपरिसमापक है तथा उनको ऋण प्राप्तियों में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश है, सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती है। जबकि कुछ सीमा तक अन्य ऋण परिसमापन के लिए होता है, ये एक संरचित

उधार योजना की आवश्यकता को भी दर्शाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इसके संसाधनों पर 14 दिवसीय खजाना बिलों तथा डब्ल्यू.एम.ए. के संचालनों के प्रभाव को फांसना भी आवश्यक हो सकता है, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों पर इसका एक प्रभावी ड्राफ्ट प्राप्त हो सके। तालिका 2.5 समग्र प्राप्तिओं पर इस साल तथा स.घ.उ. के प्रति समग्र प्राप्तिओं के अनुपात के प्रभाव को पिछले छः वर्षों से दर्शाती आ रही है। ऐसे निष्प्रभावीकरण के फलस्वरूप संघ सरकार के निवल ड्राफ्ट में 20-25 प्रतिशत अंको तक गिरावट आ जाती है।

तालिका 2.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका हिस्सा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	डब्ल्यू.एम. ए. की निवल प्राप्तियां	ट्रेजरी बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा संभूतियां	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131819	1042	-880	40942	446355	25.64
1999-00	298076	14274	132556	-2060	-4440	23345	461751	23.84
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.39
2001-02	318121	24379	187523	-219	-1553	42364	570615	25.00
2002-03	355948	41896	206830	-5176	3134	37011	639643	25.90
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	-22650	767718	27.69

राजस्व प्राप्तियां : मुख्य समुच्चयों की गति


2.7 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तिओं के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तिओं तक पहुंचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं है। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (राज्यों के उनके सकल एक ऋण के भाग का निवल) 1985-2004 के दौरान 13.14 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 15.61 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.12 प्रतिशत दर तक एक तीव्र गिरावट आई। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति दर, स.घ.उ. की प्रवृत्ति वृद्धि जैसा कि इस अवधि के दौरान, स.घ.उ. ने अपने सापेक्षित भाग में एक नकारात्मक परिवर्तन दर द्वारा दर्शाया था, की तुलना में भी कम थी। (तालिका 2.6)

तालिका 2.6 : राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व	गैर-कर राजस्व का भाग (प्रतिशत)	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व
1985-2004	110731	29374	81357	71493	152850	46.77	12.59
VIII वीं योजना (1992-1997)	96533	26391	70142	61459	131601	46.70	12.71
IX वीं योजना (1997-2002)	166087	44622	121465	115933	237397	48.84	12.40
2002-03	216266	56122	160144	139682	299826	46.59	12.14
2003-04	254348	65766	188582	150518	339100	44.39	12.23
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1985-2004	12.66	12.99	12.54	13.85	13.14	0.62	-0.87
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.89	14.41	16.47	14.66	15.61	परिवर्तन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)	
IX वीं योजना (1997-2002)	9.00	11.05	8.25	8.00	8.12		
2002-03	15.61	6.21	19.32	6.58	13.02		
2003-04	17.61	17.18	17.76	7.76	13.10		

2.8 गैर-कर राजस्व, संघ सरकार के निवल राजस्व का 47 प्रतिशत बनता था। यह अनुपात 1985-2004 के दौरान सापेक्षिक भाग के मन्द सकारात्मक वार्षिक परिवर्तन दर का 0.62 प्रतिशत था यद्यपि, वर्तमान वर्षों में इसके सापेक्षिक भाग में गिरावट थी।



2.9 पिछले दो वर्षों में सकल संग्रहण का जो भाग संघ द्वारा अपने पास रखा गया, की वृद्धि दर में गतिवर्धन देखा गया। पिछले वर्ष की एक नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2002-03 का सकल कर संग्रहण 15.61 प्रतिशत से 2003-04 में 17.61 प्रतिशत तक बढ़ गया। राज्यों को आबंटित किये गए करों के हिस्सों में उच्चतर 2003-04 में वृद्धि

देखी गयी तथा सकल संग्रहण में वृद्धि की रेखा को दर्शाती थी। यद्यपि गैर-कर राजस्व में निकटतम के वर्तमान दो वर्षों में मन्द वृद्धि जारी रहने का संकेत मिला था।

मुख्य कर : सापेक्षिक निष्पादन

2.10 विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 2.7) साथ ही 1985-2004 के दौरान निगम कर में 18.90 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 2.7 : कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	कुल सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1985-2004	110731	18784	15675	30178	42109	1365	2620
VIII वीं योजना (1992-1997)	96533	13567	12575	30273	37014	465	2639
IX वीं योजना (1997-2002)	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4653
2002-03	216266	46172	36866	44852	82310	4122	1944
2003-04	254348	63562	41387	48629	90774	7891	2105
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1985-2004	12.66	18.90	17.58	9.32	11.17*		6.73
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45*		-2.50
IX वीं योजना (1997-2002)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
2002-03	15.61	26.12	15.19	11.38	13.44	24.83	-16.28
2003-04	17.61	37.66	12.26	8.42	10.28	91.44	8.28

*सेवा कर 1994-95 में आरंभ किया गया।

2.11 आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें, नई कर शासन प्रणाली की आधार शिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आय आधारित कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर अनुपालना, कर उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर - स.घ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1985-2004 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से तीन प्रतिशतता अंको से ऊपर थी। आय, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि का इस बढ़ोतरी में योगदान था। तथापि IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर में, गिरावट आई थी। जबकि सीमा शुल्कों में वृद्धि की दर में, शुल्कों को घटाये जाने को ध्यान में रखते हुये, गिरावट अपेक्षित थी इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर

के आरम्भ किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। 1985-86 में मुख्य करों से सकल संग्रहण 100 पर स्थिर होता है तो निगम करों से संग्रहण सूची 2219 होगी, आय कर से 1648, सीमा शुल्क से 701 तथा उत्पाद शुल्क केवल 510 होगा। विशेष तौर पर निगम तथा आयकर के संग्रहणों में तेजी सुधार अवधि के पश्चात् आयी।

2.12 2003-04 में निगम और सेवा कर में उत्प्लावक प्राप्तियां क्रमशः 37.7 तथा 91.4 प्रतिशत बढ़ गई तथा सकल कर संग्रहण में 17.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवा कर में बढ़ोतरी, दरों में परिवर्तन तथा सेवाओं के विस्तार में वृद्धि-दोनों के कारण से हुई थी। तथापि आयकर सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों की वृद्धि की दरों में गिरावट थी।



2.13 भारतीय कर-सांख्यिकी अभी तक कर खर्चों (कर छूट में छोड़ा गया राजस्व आदि) पर किसी आंकड़े का सृजन नहीं करता है फिर भी ये किसी प्रकार की गणना के संदर्भ में बिल्कुल सारगर्भित हैं। विभिन्न निर्यात उन्नत योजनाओं के अंतर्गत, कुल छोड़े गये शुल्कों का अकेले ही, 2000-2004¹ के दौरान एकत्रित किये गये कुल सीमाशुल्क के औसतन 60 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान था।

कर उत्प्लावकता

2.14 तीन मुख्य घटक कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन, जो कर संग्रहण पर प्रभाव डालते हैं, में कर व्यवस्था की प्रभावकारिता भी सम्मिलित है। यद्यपि विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए स.घ.उ. को कर

¹ संघ सरकार-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क (2005 का प्रतिवेदन संख्या 10), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक।

आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। जबकि कर अनुपालन का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, यह कर व्यवस्था की प्रभावी प्रभावकारिता पर निर्भर करता है तथा तीन सम्बद्ध परोक्षी घटक-कर निर्धारण की गति, निर्धारित बकायों की वसूली और कर निर्धारण के लिए संभावित कर दाताओं की पंजीयन की गति मुख्य है। कर अनुपालन, स्वैच्छिक तथा बाधित दोनों होते हैं। यद्यपि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर बनी रही हैं।

2.15 उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आधार उच्चतर उत्प्लावकता में कर की दरों तथा इसकी व्याप्ति में बदलाव के कारण भी हो सकता है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता यह दर्शाती है कि संबंधित कर संग्रहण आधार के परिवर्तन के साथ गति नहीं पकड़ा था। तालिका 2.8 मुख्य करों की, निकटतम दो वर्षों की उत्प्लावकता के साथ 1985-2004 के दौरान तथा VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधियों के दौरान की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।


तालिका 2.8 : मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क
1985-2004	0.895	1.337	1.243	0.660	0.790
VIIIवीं योजना (1992-1997)	0.961	1.313	1.495	1.088	0.632
IXवीं योजना (1997-2002)	0.863	1.644	1.781	0.154	1.094
2002-03	1.901	3.181	1.850	1.386	1.637
2003-04	1.438	3.074	1.001	0.687	0.839

2.16 उपर्युक्त तालिका से जैसा विदित होता है कि उत्प्लावकता गुणांक, करों के आर-पार तथा योजनाओं से ऊपर घटता-बढ़ता रहा है जबकि दो महत्वपूर्ण उत्पाद कर अर्थात् सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में यह संकेतक रूप से एक से कम था। जबकि संघ करों की संग्रहण संरचना में परिवर्तन के कारण आंशिक रूप से था 1985-2004 के दौरान सकल कर की उत्प्लावकता भी संकेतक रूप से एक से कम थी। वर्तमान वर्ष में भी स.घ.उ. वृद्धि की बराबरी पर लाने के लिए आयकर का संग्रहण नाममात्र प्रबन्ध किया, जबकि सीमा शुल्कों एवं उत्पाद शुल्कों से संग्रहण की वृद्धि दर, स.घ.उ. की वृद्धि में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

कर-स.घ.उ. अनुपात

2.17 सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का तथा इसके कर सम्भाव्य की उगाही की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 2.9 योजनाओं के ऊपर इस अनुपात तथा एक वार्षिक आधार पर हाल के दो वर्षों की प्रवृत्ति को दर्शाती है। समग्र कर-स.घ.उ. अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 9.32 प्रतिशत के औसत से गिरकर 2003-04 में 9.17 प्रतिशत हो गया था। इसके सापेक्षिक भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर 1985-2004 के दौरान (-)1.29 प्रतिशत थी। कर-स.घ.उ. अनुपात 2001-02 में 8.15 प्रतिशत के निम्न स्तर तक गिर गया था तथा चालू वर्ष में वसूली के बावजूद यह अभी भी VIIIवीं योजना की प्रवृत्ति औसत से नीचे थी। यदि स.घ.उ. तथा सकल कर प्राप्तियां 1985-86 में 100 पर स्थिर था, तो कर प्राप्तियों का सूचकांक 2003-04 में 888 पर 997 के स.घ.उ. सूचकांक से कम था।



2.18 स.घ.उ. के सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क संग्रहण के अनुपात में गिरावट से इस अवधि में कर-स.घ.उ. अनुपात में समग्र गिरावट आई। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रहणों के लिए स.घ.उ. अनुपात VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.92 और 3.58 प्रतिशत के औसत से 2003-04 में क्रमशः 1.75 तथा 3.27 प्रतिशत के औसत तक गिर गया था। उनकी स.घ.उ. के सापेक्षिक भाग में एक नकारात्मक परिवर्तन से सकल कर संग्रहणों में एक समग्र नकारात्मक बदलाव हुआ। सापेक्षिक स.घ.उ. में निगम तथा आयकर संग्रहणों में प्रगति को दर्शाती है तथा एक सकारात्मक परिवर्तन दर थी।

तालिका 2.9 : प्रमुख करों का कर/स.घ.उ. अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1985-2004	9.12	1.55	1.29	2.49	3.47	0.11
VIIIवीं योजना (1992-1997)	9.32	1.31	1.21	2.92	3.58	0.04
IXवीं योजना (1997-2002)	8.68	1.54	1.32	2.27	3.18	0.12
2002-03	8.76	1.87	1.49	1.82	3.33	0.17
2003-04	9.17	2.29	1.49	1.75	3.27	0.28
हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-04	-1.29	4.18	3.02	-4.22	-2.60	

गैर-कर राजस्व

2.19 सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक इसके राजकीय क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जबकि, राजकीय क्रियाकलापों वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेशों से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उनका सेवा हस्तान्तरण की प्रचालन लागत के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आगे, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाह सिक्का ढलाई² से अधिक सम्बन्धित है। राशि जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिये के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व का लगभग 44 प्रतिशत अंशदान था। 1985-2004 के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व सकल आधार पर 13.85 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था (तालिका 2.10)।

2.20 लाभांशों एवं लाभों से गैर-कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1985-2004 के दौरान 25.88 प्रतिशत की एक औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। यद्यपि चालू वर्ष में इन स्रोत से राजस्व में वास्तविक 0.33 प्रतिशत से गिरावट आई। यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक से 2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8834 करोड़ रु. का आधिक्य अंतरित करने के कारण था। 1985-2004 के दौरान 14.90 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की तुलना में चालू वर्ष में भी ब्याज प्राप्तियों की वृद्धि दर में 4.34 प्रतिशत तक आगे गिरावट देखी गई। चालू वर्ष में आर्थिक सेवाओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः गैर-कर राजस्व वृद्धि को बढ़ावा दिया।

² सलाह सिक्के ढलाई मुद्रापूर्ति में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है।

तालिका 2.10 : गैर-कर राजस्व-प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	राजकीय तथा अन्य कार्य
1985-2004	71493	20885	6926	480	36836	6366
VIIIवीं योजना (1992-1997)	61459	16791	4969	606	33100	5993
IXवीं योजना (1997-2002)	115933	34526	11555	572	60257	9023
2002-03	139682	44705	21230	424	60663	12660
2003-04	150518	46645	21160	449	68156	14108
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1985-2004	13.85	14.90	25.88	3.62	12.46	11.29
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
IXवीं योजना (1997-2002)	8.00	13.00	21.19	-21.24	2.25	13.16
2002-03	6.58	5.81	22.79	42.76	2.28	6.29
2003-04	7.76	4.34	-0.33	5.90	12.35	11.44

2.21 गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1985-2004 (तालिका 2.11) के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये। ब्याज प्राप्तियां तथा लाभांशों के हिस्सों में सामूहिक तौर पर 1997-2002 के दौरान औसत 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2003-04 में इन घटकों के हिस्से आगे 45 प्रतिशत हो गये। लाभांश तथा लाभों से राजस्व में उनके सापेक्षिक भागों में औसतन 10.56 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि पाई गई थी। ब्याज प्राप्तियों से परिवर्तन दर भी सकारात्मक थी जबकि 1985-2004 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं तथा सरकार के राजकीय और अन्य क्रियाकलापों से राजस्व में परिवर्तन दर नकारात्मक थी। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों के सापेक्षिक भाग में VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 53.86 प्रतिशत की औसत से 2003-04 के दौरान 45.28 प्रतिशत गिरावट आई। इस गिरावट का सापेक्षिक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था। उनका राजस्व जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम अस्तित्व का राजस्व बन गया था। रेलवे आर्थिक सेवाओं से राजस्व का लगभग दो तिहाई का अंशदान करता है। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र रूप से अंशदान नगण्य था।

तालिका 2.11 : गैर-कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक हिस्सा

(प्रतिशत)

	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्ति	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	राजकीय एवं अन्य कार्य
1985-2004	100.00	29.21	9.69	0.67	51.52	8.91
VIIIवीं योजना (1992-1997)	100.00	27.32	8.09	0.99	53.86	9.75
IXवीं योजना (1997-2002)	100.00	29.78	9.97	0.49	51.98	7.78
2002-03	100.00	32.00	15.20	0.30	43.43	9.06
2003-04	100.00	30.99	14.06	0.30	45.28	9.37
हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-04		0.92	10.56	-8.98	-1.22	-2.25

2.22 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

गैर-कर पूंजीगत प्राप्ति में विविध पूंजीगत प्राप्ति (विनिवेश) तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं। तालिका 2.12 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती है। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ विनिवेश से प्राप्ति के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है। 2003-04 के दौरान विनिवेश से वास्तविक प्राप्ति पिछले चार वर्षों 1999-00 से 2002-03 के दौरान बजट अनुमानों के प्रति प्राप्ति का 17 से 26 प्रतिशत के प्रति 126 प्रतिशत थी। 2002-2003 तथा 2003-04 के दौरान ऋणों से वसूली बजट अनुमानों से महत्वपूर्ण अतिक्रमण मुख्यतः संघ सरकार द्वारा राज्यों को उनके उच्च लागत ऋण की वापसी सुगम बनाने के लिए घोषित ऋण समाप्त योजना के कार्यान्वयन के कारण थी।

तालिका 2.12 : विनिवेश से वसूली एवं कर्जों की वसूली

वर्ष	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
	(करोड़ रुपयों में)			(करोड़ रुपयों में)		
1991-92	2500	3038	121.52	6778	7001	103.29
1996-97	5000	380	7.60	8184	8696	106.26
1998-99	5000	5369	107.38	11560	13189	114.09
1999-00	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24

2.23 अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार उधार और लोक लेखे में संभूतियां सम्मिलित होती हैं, जो प्रकृति से कर्जों का सृजन करने वाली हैं और जिनकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गयी है।

अध्याय 3

संसाधनों का उपयोग : व्यय

3.1 संघ सरकार अपने राजकीय क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए संसाधनों की उगाही करती है, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वर्तमान अंतर्ग्रन्थन के वितरण का रखरखाव, पूंजीगत व्ययों और निवेशों और ऋण सेवा की बाध्यताओं का निर्वहन करके इन सेवाओं के अंतर्ग्रन्थन का विस्तार करती है। सरकार ने 2003-04 के दौरान अपने एकत्रित संसाधनों से संवितरण के लिए कुल 1395,329 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

I	उपलब्ध संसाधन		1402,736
II	संसाधनों का उपयोग		1395,329
क.	ऋणों की वापसी	430,963	
	आन्तरिक ऋण	405,519	
	बाह्य ऋण	25,444	
ख.	लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	391,783	
	अल्प बचत तथा भविष्य निधि	266,475	
	आरक्षित निधि	19,397	
	जमा तथा अग्रिम	81,243	
	अन्य	24,668	
ग.	वास्तविक व्यय	506,817	
	राजस्व व्यय	440,086	
	पूंजीगत व्यय	35,401	
	कर्ज और अग्रिम	31,330	
घ.	करो में राज्यों का अंश	65,766	
III	रोकड़ अन्तशेष		7,407

3.2 ऋण की वापसी तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाना (822,746 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (128,114 करोड़ रु.) और राज्यों की सकल कर प्राप्ति (65,766 करोड़ रु.) के अधिदेशाधीन हिस्से के समनुदेशन ने कुल संसाधनों के लगभग 72 प्रतिशत का व्यवकलन कर लिया। अतः सरकार के पास चालू सेवाओं पर खर्च के लिए कुल संग्रहण का केवल 28 प्रतिशत ही शेष बचा था।

कुल संवितरण

3.3 संघ सरकार के समस्त संवितरण के चार मुख्य घटक हैं: वास्तविक खर्च; राज्यों को संघ करों की आय में से अनिवार्य अन्तरण; ऋण का पुर्नभुगतान तथा लोक लेखे में


से संवितरण। इन व्यय वर्गों के सम्पर्क में सापेक्ष गतियों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2 : कुल संवितरण के घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1985-2004	240451	29374	193456	122671	585952	1213863
VIII वीं योजना (1992-1997)	203539	26391	126525	77261	433716	1035315
IX वीं योजना (1997-2002)	374502	44622	310011	207404	936539	1914401
2002-03	476310	56122	339677	270224	1142333	2469564
2003-04	506817	65766	430963	391783	1395329	2772194
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
1985-2004	12.47	12.99	9.18	17.19	11.79	14.14
VIII वीं योजना (1992-1997)	11.87	14.41	20.90	14.32	14.84	16.54
IX वीं योजना (1997-2002)	8.86	11.05	-2.34	22.05	7.00	10.43
2002-03	6.92	6.21	5.58	25.06	10.25	8.21
2003-04	6.40	17.18	26.87	44.98	22.15	12.25

3.4 केन्द्र सरकार का कुल संवितरण, VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान औसतन 433,716 करोड़ रु. से बढ़कर चालू वर्ष में, 1395,329 करोड़ रु. हो गया था। 1985-2004 के दौरान औसत वार्षिक दीर्घावधि वृद्धि की प्रवृत्ति 11.79 प्रतिशत थी, तथापि, स.घ.उ. की वृद्धि दर जो कि उसी अवधि में औसतन 14.14 प्रतिशत थी, से कम थी। VIIIवीं और IXवीं योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की दर भी, स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। तथापि, सबसे हाल के दो वर्षों में इस प्रवृत्ति में उत्क्रमण देखा गया। कुल संवितरण की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि से बढ़ गयी। कुल संवितरण के तीनों घटकों अर्थात् वास्तविक खर्च, संघ करों में राज्यों के हिस्से तथा ऋण का पुनर्भुगतान की वृद्धि दरों की प्रवृत्ति, स.घ.उ. की वृद्धि से कम थे। तथापि, लोक लेखाओं में से संवितरण स.घ.उ. की वृद्धि प्रवृत्ति से उच्चतर थी। यदि 1985-86 में सभी चार संघटकों का कुल संवितरण 100 पर स्थित हों, तो लोक लेखे में से संवितरण 2170 के मूल्य की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान के संघटकों का सूचकांक 321 के मूल्य के होंगे। अन्य दो घटकों, वास्तविक व्यय तथा करों में राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 767 और 880 के मूल्य के होंगे (ग्राफ 1)।



3.5 कुल संवितरण के चार घटकों के सापेक्ष अंश में वर्षानुवर्ष आधार और योजना अवधियों में बहुत उतार-चढ़ाव दर्शाया गया था (तालिका 3.3)। वास्तविक व्यय (वर्तमान प्रचालन में शामिल राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कर्जों तथा पेशगियों को दर्शाते हुए) के सापेक्ष अंश में 1985-2004 के दौरान घनात्मक दर से परिवृत्ति हुई। तथापि, वास्तविक व्यय का अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.94 प्रतिशत के अपने शिखर तक पहुँच गया और उसके बाद से अन्य घटकों की अपेक्षा मन्दन प्रवृत्ति को प्रमाणित किया। चालू वर्ष में इसके अंश में 36.32 प्रतिशत की गिरावट आ गई। यद्यपि ऋण की पुनः अदायगी पर व्यय के सापेक्ष अंश के दीर्घावधि प्रवृत्ति ऋणात्मक थी, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान, यह लगभग इसी प्रवृत्ति की ओर अभिमुख होती थी। 1985-2004 के दौरान लोक लेखे से संवितरण में व्यय के अंश ने 20.94 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति दर्शाई। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश प्रारम्भिक रूप से घटकर कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत हो गया था लेकिन बाद में यह IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत से बढ़ गया तथा चालू वर्ष 2003-04 में यह 28.08 प्रतिशत तक और बढ़ा।

तालिका 3.3 : संवितरण घटक : सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे से संवितरण
1985-2004	41.04	5.01	33.02	20.94
VIIIवीं योजना (1992-1997)	46.94	6.08	29.17	17.81
IXवीं योजना (1997-2002)	39.99	4.76	33.10	22.15
2002-03	41.70	4.91	29.74	23.66
2003-04	36.32	4.71	30.89	28.08
अपने सापेक्ष अंशों में औसत वार्षिक परिवर्तन दर				
1985-2004	0.60	1.07	-2.34	4.83

व्यय : मुख्य समष्टि

3.6 तालिका 3.4 योजना अवधियों के दौरान संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण की पुनः अदायगी तथा लोक लेखे में से संवितरण, जिसकी राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग से चर्चा की गई है को छोड़कर) तथा अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दर का सार प्रस्तुत करती है।

3.7 परिशिष्ट-III-क 1985-1986 से पिछले 19 वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय, और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। राजस्व व्यय, कुल व्यय के प्रमुख घटक के रूप में जारी रहा तथा इसका अंश, VIIIवीं योजना के दौरान औसत 78.88 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 86.83 प्रतिशत हो गया। 1985-2004 के

दौरान इसके सापेक्ष हिस्से की प्रतिवर्ष 1.47 प्रतिशत की धनात्मक परिवर्तन दर थी। इस की तुलना में पूँजीगत व्यय और कर्जों और पेशगियों के सापेक्ष अंश, VIIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से घटकर 2003-04 में 13.17 प्रतिशत रह गये। 1985-2004 के दौरान, संघ सरकार के राजस्व व्यय (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) 14.12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ गये। इस अवधि के दौरान, यद्यपि, पूँजीगत व्यय और कर्जें एवं पेशगियां क्रमशः 7.21 और 6.28 प्रतिशत की निम्नतर दर से बढ़ी। वास्तविक व्यय की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि, जिसमें ये तीनों घटक शामिल थे, 12.47 प्रतिशत थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान पूँजीगत व्यय में एक संकुचन देखा गया तथा एक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 9.22 प्रतिशत तक संभल गई। चालू वर्ष में भी पूँजीगत व्यय में एक वसूली थी तथा इससे 16.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि, IXवीं योजना के दौरान तथा हाल ही के दो वर्षों में ऋणों और अग्रिमों की, नकारात्मक वृद्धि दर सहित, एक अलग ही स्थिति दर्शाई गई।

तालिका 3.4 : व्यय घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय	राजस्व व्यय/कुल व्यय	अन्य/कुल व्यय
1985-2004	195669	19856	24927	240451	81.38	18.62
VIIIवीं योजना (1992-1997)	160541	19550	23447	203539	78.88	21.12
IXवीं योजना (1997-2002)	313109	26234	35159	374502	83.61	16.39
2002-03	409591	30497	36222	476310	85.99	14.01
2003-04	440086	35401	31330	506817	86.83	13.17
औसत वार्षिक वृद्धि दर						
1985-2004	14.12	7.21	6.28	12.47	1.47	-5.10
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	-8.44	11.91	11.87	औसत वार्षिक दर में बदलाव (प्रतिशत)	
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	9.22	-3.42	8.86		
2002-03	9.06	-2.55	-6.19	6.92		
2003-04	7.45	16.08	-13.51	6.40		

व्यय: योजनागत और योजनेतर

3.8 वित्त लेखाओं में व्यय वितरण को आगे योजनागत और योजनेतर में बाँटा गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर वार्षिक विकास व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूँजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेतर व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त की गई सेवाओं के स्तर को बनाए

रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में सापेक्ष तेज पूँजीगत वृद्धि को गुणात्मक मानना अधिक वांछनीय है क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्मित पूँजीगत तथा आर्थिक नेटवर्क की अवसंरचना और सामाजिक विस्तार का उत्प्रेरक है। तालिका 3.5 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा संयोजन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.5 : व्यय के घटक-योजनागत एवं योजनेतर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूँजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम
1985-2004	55352	31356	9015	14981	185100	164313	10842	9945
VIIIवीं योजना (1992-1997)	48190	26749	8380	13061	155348	133792	11170	10386
IXवीं योजना (1997-2002)	78595	47090	10132	21373	295907	266019	16102	13786
2002-03	111471	71570	14643	25258	364839	338021	15854	10964
2003-04	122281	78638	16913	26730	384536	361448	18488	4600
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)								
1985-2004	10.45	14.26	4.44	8.21	13.16	14.09	10.60	1.96
VIIIवीं योजना (1992-1997)	7.53	11.48	-4.45	7.28	13.24	15.27	-11.36	18.27
IXवीं योजना (1997-2002)	13.49	14.50	4.56	15.71	7.63	9.69	13.12	-29.30
2002-03	6.36	16.08	30.52	-20.90	7.09	7.68	-21.03	64.08
2003-04	9.70	9.88	15.50	5.83	5.40	6.93	16.61	-58.04

3.9 1985-2004 के दौरान योजनागत व्यय का अंश कुल व्यय में लगभग स्थिर था। 1985-2004 के दौरान कुल व्यय के 23.02 प्रतिशत की दीर्घावधि औसत के प्रति 2003-04 में इसके अंश में केवल 24.13 प्रतिशत तक कुछ सुधार हुआ था। तथापि यह प्रतीयमानत स्थिर अंश, कुल योजना तथा इसके उप-घटक स्तरों पर अन्तःवर्ष तथा अन्तःयोजना परिवर्तनों को छिपाता है। योजनागत व्यय की वृद्धि की दर VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से बढ़कर 13.49 प्रतिशत होने से, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान लगभग छः प्रतिशतता बिन्दुओं की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह गतिवर्धन इसके तीन उप घटकों को पार कर गई थी। यद्यपि योजनेतर व्यय की दीर्घावधि स्तर की दर में सापेक्ष वृद्धि थी, IXवीं योजना के दौरान ओर Xवीं योजना के पहले दो वर्षों में वृद्धि की दरों में मन्दन देखा गया था।

3.10 योजनागत और योजनेतर व्यय दोनों में राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान था अपितु 1985-2004 के दौरान सापेक्ष रूप से सबसे अधिक उत्प्लावक रहा। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश, जो 1985-2004 के दौरान 56.65 प्रतिशत के औसत

से बढ़कर 2003-04 में 64.31 प्रतिशत तक पहुँच गया। योजनेतर व्यय में उसका अंश 1985-2004 के दौरान 88.77 प्रतिशत के प्रवृत्ति औसत से बढ़कर 2003-2004 में 94 प्रतिशत पर पहुँच गया। पूंजीगत प्रकृति के योजनागत व्यय और योजनागत ऋणों तथा अग्रिमों में इसके राजस्व घटकों की अपेक्षा एक बहुत मन्द प्रवृत्ति की वृद्धि दर्ज की गई थी। तथापि 2002-03 और 2003-04 में योजनागत पूंजीगत व्यय ने महत्वपूर्ण गतिवर्धन प्राप्त किया।

व्यय की उत्प्लावकता


3.11 नाममात्र व्यय में वृद्धि या इसके विशुद्ध परिमाण (मात्रा) से अधिक महत्वपूर्ण है, आधार के सापेक्ष में विभिन्न संघटकों की उत्प्लावकता। नीचे दी गई तालिका 3.6 राजस्व प्राप्तियां तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में व्यय के विभिन्न संघटकों की उत्प्लावकता दर्शाती है। राजस्व प्राप्तियां तथा स.घ.उ. से सम्बन्धित कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की उत्प्लावकता सापेक्षता उच्च दर्शाई गई है क्योंकि पूंजीगत व्यय और/या कर्जे एवं अग्रिमों को कम करने से परिमार्जन वृद्धि दरों से कुल व्यय को अधिक प्राप्त किया था। एक या एक से अधिक उत्प्लावकता, राजस्व व्यय की तुलना में स.घ.उ. के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता और राजस्व प्राप्तियां 0.5 पर समाप्त हुई। उसी प्रकार, योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां दोनों की तुलना में योजनागत व्यय की उत्प्लावकता की सापेक्ष में उच्चतर थी।

तालिका 3.6 : व्यय की उत्प्लावकता - (1985-2004)

व्यय के प्रकार	स.घ.उ. के साथ	राजस्व प्राप्तियों के साथ
योजनागत व्यय	0.739	0.796
योजनेतर व्यय	0.931	1.003
राजस्व व्यय	0.999	1.076
पूंजीगत व्यय	0.510	0.550
कर्जे एवं अग्रिम	0.444	0.479
कुल व्यय	0.882	0.950

3.12 स.घ.उ. के सम्बन्ध में कुल व्यय की निम्नतर उत्प्लावकता, स.घ.उ. से कुल व्यय के अनुपात में गिरावट को भी प्रतिबिंबित करती है। 1986-87 में समग्र व्यय - स.घ.उ. अनुपात 24.4 के शिखर से 2003-04 में 18.3 प्रतिशत तक गिर गई। 1985-2004 के दौरान कुल व्यय-स.घ.उ. अनुपात भी एक नकारात्मक वार्षिक परिवर्तन दर 1.5 थी। यदि राजस्व और कुल व्यय तथा राजस्व प्राप्तियां 1985-86 में 100 पर स्थिर हों तो 2003-04 में इन पैरामीटरों का सूचकांक क्रमशः 1014, 767 और 896 होगी। यह स्पष्ट इंगित करता है कि, इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों एवं

कुल व्यय के सापेक्ष भी तीव्र गति से बढ़ा। राजस्व तथा कुल व्यय के विशुद्ध आंकड़े कुल व्यय स.घ.उ. अनुपात सहित नीचे दिये ग्राफ में दर्शाये गये हैं-



राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक

3.13 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग अधिकतर प्रतिबद्ध होता है। इस श्रेणी में ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा मजदूरी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान आते हैं।

3.14 तालिका 3.7 में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किया गया व्यय इसके मुख्य वस्तु-वार वर्गीकरण के अनुसार दिया गया है। 1985-2004 के दौरान राजस्व व्यय के सभी घटकों के वृद्धि स्तर में दो अंकों की प्रवृत्ति रही थी। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान राज्यों तथा पेंशन के अनुदान को छोड़कर इन घटकों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर भी सापेक्षतया अधिक थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दर में मन्दन विशेषकर वेतन तथा मजदूरी और अन्य राजस्व व्यय के लिए सुनिश्चित था। IXवीं योजना के दौरान ब्याज भुगतान की वृद्धि दर में सन्तुलित मन्दन देखा गया। Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों (2002-03 और 2003-04) में, ब्याज भुगतान की वृद्धि दर में गिरावट आई जो कि मुख्यतः आन्तरिक ऋणों की ब्याज दर में गिरावट के कारण थी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिसमें रक्षा और विभागीय उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं, के वेतन और मजदूरी पर व्यय पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् 1997-98 में 33.84 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करके कम हो गया था। पिछले वर्षों के वेतन आयोग में मजदूरी में वृद्धि होते हुये भी राजस्व व्यय के इस घटक की प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी।

तालिका 3.7 : राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य
1985-2004	195669	25924	54617	8720	22394	84014
VIIIवीं योजना (1992-1997)	160541	21620	44280	5661	20630	68351
IXवीं योजना (1997-2002)	313109	42783	91102	15852	32423	130949
2002-03	409591	45696	124573	19085	42136	178101
2003-04	440086	47612	128114	20702	47320	196338
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2004	14.12	11.93	17.57	17.03	11.30	13.52
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	12.10	17.44	15.65	5.60	16.55
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	5.25	14.90	17.07	11.06	8.34
2002-03	9.06	2.53	9.11	0.80	1.55	13.87
2003-04	7.45	4.19	2.84	8.47	12.30	10.24

* विविध सामान्य सेवाओं सहित

टिप्पणी:- इस तथा अन्य तालिकाओं में वेतन पर व्यय, वह है जैसा कि सिविलियन स्टाफ के लिए व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा दिया गया है तथा स्था गैर-सिविलियन कर्मियों के लिए स्था विभाग द्वारा दर्शाया गया है। 2002-03 तथा 2003-04 के लिए, सिविलियन स्टाफ का वेतन व्यय बजट में दिए गये संशोधित अनुमानों पर आधारित है क्योंकि वास्तविक आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।

3.15 प्रतिबद्ध तथा अन्य देयताओं के अनुसार राजस्व व्यय के संघटन पर तथा उस समय के दौरान राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से उनके संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। तालिका 3.8 ये विवरण उपलब्ध कराती है। प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी, पेंशन एवं विविध व्यय शामिल है।

तालिका 3.8: राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां तथा गैर-ऋण प्राप्तियों से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का भाग

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय			राजस्व प्राप्तियां			गैर ऋण प्राप्तियां		
	ब्याज	अन्य	कुल	ब्याज	अन्य	कुल	ब्याज	अन्य	कुल
1985-2004	27.91	17.71	45.62	35.73	22.67	58.40	32.35	20.52	52.87
VIIIवीं योजना (1992-1997)	27.58	16.99	44.57	33.65	20.73	54.38	31.41	19.35	50.76
IXवीं योजना (1997-2002)	29.10	18.73	47.83	38.38	24.70	63.08	35.75	23.01	58.76
2002-03	30.41	15.82	46.23	41.55	21.61	63.16	36.45	18.96	55.41
2003-04	29.11	15.52	44.63	37.78	20.15	57.93	30.08	16.04	46.12
उनके सापेक्ष अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर									
1985-2004	3.02	-0.92	1.29	3.91	-0.06	2.16	3.74	-0.23	1.99

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय-दोनों विभिन्न करों में राज्यों के हिस्से का निवल हैं।

3.16 कुल प्रतिबद्ध व्यय जैसा कि ऊपर परिभाषित है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों, और गैर ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को मिलाकर) के सापेक्ष में, उनके सापेक्ष अंशों में एक सामान्य वृद्धि दर्शाते हुए एक सकारात्मक परिवर्तन दर बनाए था। परन्तु तीन पैरामीटरों के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय में यह सकारात्मक

परिवर्तन दर ब्याज के भुगतानों के कारण था। स्टाफ से सम्बन्धित खर्चों की जिसमें वेतन व मजदूरी तथा पेंशन भी सम्मिलित थी, उनके अपने शेरों से सापेक्ष में एक नकारात्मक परिवर्तन दर थी।

आर्थिक सहायताओं का प्रबन्धन

3.17 किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधावंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/प्रदान करना तथा उत्कर्ष पदार्थों¹ के लिए हस्तांतरण भुगतानों का किया जाना कोई असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या निवेशों की कीमतों को कम करना है जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए अधिक वहनीय बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुविधाजनक करती है, ऐसी आर्थिक सहायता कल्याण प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 3.9 आर्थिक सहायताओं का दृश्य प्रदर्शित करती है, जो कि सरकार द्वारा स्पष्टतया VIIIवीं और IXवीं योजनाओं के दौरान और पिछले दो वर्षों में मुख्य मदों पर प्रदान की गयी है।

तालिका 3.9 : संघ सरकार के बजट में स्पष्ट आर्थिक सहायता

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	खाद्य और चीनी	उर्वरक	निर्यात वृद्धि	अन्य*	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख)
औसतन वार्षिक मूल्य							
VIIIवीं योजना (1992-1997)	4976	6088	571	1834	13469	1.32	8.55
IXवीं योजना (1997-2002)	11199	11376	552	2964	26091	1.36	8.33
2002-03	24176	7790	493	11549	44008	1.80	10.74
2003-04	25160	8521	712	10575	44968	1.62	10.22

(क) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

* अन्यो में पेट्रोलियम आर्थिक सहायता, ब्याज आर्थिक सहायता, विनिमय हानि की क्षतिपूर्ति इत्यादि शामिल हैं।

3.18 सम्पूर्ण रूप से, स्पष्ट आर्थिक सहायता VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान के 13,469 करोड़ रुपये के औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 26,091 करोड़ रु. के औसत तक बढ़ गयी। स.घ.उ. के सापेक्ष में, VIIIवीं योजना के दौरान (1992-97) आर्थिक सहायता 1.32 प्रतिशत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान सीमान्त रूप से औसतन 1.36 प्रतिशत तक बढ़ गई। तथापि 2002-03 में आर्थिक सहायता के भुगतानों में एकाएक वृद्धि हो गई थी तथा 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः खाद्य एवं उर्वरक की आर्थिक सहायता में वृद्धि के कारण से थी। वर्तमान वर्ष में, जबकि समग्र आर्थिक सहायता में दो प्रतिशत से थोड़ी अधिक की वृद्धि हुई थी फिर भी, खाद्य एवं उर्वरकों पर आर्थिक सहायता की

¹ प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एवं आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।

तीव्रता से वृद्धि जारी थी। आर्थिक सहायता और प्रतिबद्ध व्यय कुल मिलाकर कुल राजस्व व्यय के 55 प्रतिशत और राजस्व प्राप्ति का 70 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया था। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, ये व्यय, मिलकर स.घ.उ. के 8.71 प्रतिशत थे।

3.19 स्पष्ट आर्थिक सहायताओं के साथ-साथ संघ सरकार अस्पष्ट आर्थिक सहायताओं की प्रकृति के व्यय को भी वहन करती है। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त प्राप्तिर्यो तथा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, से उपभोगकर्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायताओं की श्रेणी में आती हैं। नीचे दी गई तालिका 3.10 में निवेश पर वापसी, और बकाया अग्रिम और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय पर उपभोगकर्ता प्रभारों की प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 3.10 : निवेश और अग्रिम पर वापसी और उपभोगकर्ता से प्रभारों की वसूली (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में)

(प्रतिशत)

अवधि	अग्रिम	निवेश	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें
1987-2004	12.84	4.88	4.87	53.48
VIIIवीं योजना (1992-1997)	11.23	2.35	9.57	57.22
IXवीं योजना (1997-2002)	14.15	5.30	3.59	55.80
2002-03	15.11	8.83	2.03	43.07
2003-04	15.91	9.84	1.91	45.27
वापसियों में परिवर्तन की औसतन वार्षिक दर				
1987-2004	4.71	12.58	-11.32	-1.06

(उपभोगकर्ता प्रभारों की वसूली उनके राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तिर्यो है।)

3.20 सरकारी निवेश पर वापसी की औसत दर (निवेश के प्रारंभिक स्टॉक पर आधारित) VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 2.35 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 9.84 प्रतिशत हो गई। तथापि यह वापसी निवेश के खातामूल्य पर आधारित थी न कि निवल मूल्य या बाजारी पूंजीकरण पर। इसी अवधि के दौरान अग्रिमों में (प्रारंभिक बकाया) ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 15.91 प्रतिशत हो गई। यद्यपि सरकार की वित्तीय मध्यस्थता पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं थी चूंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर वापसी उधारों पर लिये गये ब्याज के मूल्य से अधिक थी, सरकार के 4.88 प्रतिशत के निवेश पर वापसी की प्रवृत्ति दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों के ब्याज की दर (8.28 प्रतिशत)से बहुत नीचे गिर गई। तथापि निवेश पर वापसी की दर में एक गतिवर्धन देखा गया तथा 1987-2004 के दौरान धनात्मक परिवर्तन दर 12.58 प्रतिशत थी। वर्तमान स्तरों पर, इन्होंने बढ़ते हुए संसाधनों की लागत को अधिक कर दिया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में, वसूली की दर (राजस्व

प्राप्तियां/राजस्व व्यय) में घटती हुई प्रवृत्ति पाई गई थी। आर्थिक सेवाओं में, जो मुख्यतः रेलवे से प्राप्तियां थी, 2003-04 में राजस्व प्राप्तियां केवल 45 प्रतिशत राजस्व व्यय को ही पूरा कर पाई। वसूली दरों में भी एक नकारात्मक परिवर्तन दर थी तथा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान हाल ही के दो वर्षों में 57.22 प्रतिशत से घट कर 43-45 प्रतिशत रह गयी थी। सामाजिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली में गिरावट विशेष रूप से तीव्र थी तथा यह VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 9.57 प्रतिशत की औसत से गिर कर 2003-04 में 1.91 प्रतिशत रह गई। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं के राजस्व व्यय में, राजस्व प्राप्तियां, जो खर्चों का सदृश संचालन है, कम थीं। इसलिए इस अवसंरचना के सृजन पर कोई पूंजीगत प्रभार से या संचयमान पूंजीगत से वापसी न होने से, खर्चा नहीं किया गया था।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

3.21 क्रियाकलापों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं, (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है) सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित होता हुआ माना जा सकता है। बाद की दो श्रेणियां भी विकासात्मक प्रकृति की समझी जाती है। नीचे दी गई 3.11 तालिका सामाजिक सेवाओं और उसके विभिन्न घटकों पर व्यय में प्रवृत्तियां दर्शाती है।

तालिका 3.11 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) - प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवायें	शिक्षा	स्वास्थ्य	जलापूर्ति	सूचना	श्रमिक कल्याण	अन्य
1987-2004	10550	4369	1485	1819	795	532	1550
VIIIवीं योजना (1992-1997)	6903	2696	901	887	986	465	968
IXवीं योजना (1997-2002)	15998	6457	2227	3217	568	768	2761
2002-03	21810	9846	3164	4044	1170	764	2822
2003-04	24593	10965	3907	4669	1219	823	3010
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)							
1987-2004	15.17	15.30	15.84	24.10	0.00	10.10	19.01
VIIIवीं योजना (1992-1997)	19.61	16.02	11.39	35.64	12.93	9.52	36.63
IXवीं योजना (1997-2002)	7.96	11.38	19.15	12.90	0.00	10.68	25.93
2002-03	33.94	30.10	7.04	1.46	0.00	-9.34	-30.23
2003-04	12.76	11.37	23.48	15.45	4.19	7.72	6.66

टिप्पणी: मुख्य शीर्षों आदि में परिवर्तन के कारण, 1985-87 में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, सफाई एवं आवास, सूचना और प्रसारण, श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण अन्य) पर व्यय को छोड़ दिया गया है।

3.22 संघ सरकार का सामाजिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान औसत 6903 करोड़ रु. से बढ़कर 2003-04 में 24,593 करोड़ रु.

हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की दीर्घावधि प्रवृत्ति दर 15.17 प्रतिशत (1987-2004) थी। तथापि IXवीं योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली योजना की तुलना में, गिरावट 12 प्रतिशत बिन्दु से अधिक थी (VIIIवीं योजना के दौरान औसत वार्षिक दर 19.61 प्रतिशत से IXवीं योजना के दौरान 7.96 प्रतिशत तक)। सामाजिक सेवाओं के अन्दर शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, और सफाई (आवास और शहरी विकास शामिल है) पर व्यय सापेक्षतया उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी, स्वास्थ्य और जलापूर्ति पर व्यय में बहुत उत्प्लावकता देखी गई।

3.23 आर्थिक सेवाओं के घटकों पर व्यय नीचे तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व व पूंजीगत) -प्रवृत्तियां और संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आर्थिक सेवायें	कृषि एवं अनुषंगी	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूर संचार	अन्य
1987-2004	85893	13892	4110	6317	9241	31815	2577	7737	10204
VIIIवीं योजना (1992-1997)	69161	9665	3263	3061	7229	24246	1598	8417	11682
IXवीं योजना (1997-2002)	121107	20048	5146	10158	12294	44714	3937	13554	11256
2002-03	154041	31101	11737	12118	13965	60415	5416	3486	15803
2003-04	166058	32911	12174	13664	16761	64379	5681	3102	17387
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)									
1987-2004	11.72	15.95	25.09	11.25	7.68	11.90	14.15	6.61	7.59
VIIIवीं योजना (1992-1997)	9.35	14.89	81.37	4.36	2.17	9.22	13.62	26.75	-9.69
IXवीं योजना (1997-2002)	6.36	18.28	2.79	1.23	8.78	14.26	19.11	-27.41	-5.55
2002-03	8.98	9.92	89.64	-28.90	4.40	5.69	4.82	-6.77	52.20
2003-04	7.80	5.82	3.72	12.76	20.02	6.56	4.89	-11.02	10.02

3.24 आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 69,161 करोड़ रु. औसत से बढ़कर 2003-04 में 166,058 करोड़ रु. हो गया। 1987-2004 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर 11.72 प्रतिशत थी। जैसाकि सामाजिक सेवाओं के मामले में, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर में मन्दन देखा गया था। 3 प्रतिशत बिन्दुओं का यह मन्दन आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्षतया सन्तुलित था। अंतः - वर्ष और अंतः सेवाओं की वृद्धि दरों में बहुत प्रसरण था। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल करते हुए), ग्रामीण विकास डाक सेवाओं पर व्यय सापेक्ष उत्प्लावक था। तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में, व्यय की वृद्धि दर में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत तक की तीव्र गिरावट आई। 2001-02 और 2002-03 में उत्प्लावकता के बाद व्यय में वृद्धि, चालू वर्ष में और अधिक खिसक कर 3.72 प्रतिशत

तक रह गई। ऊर्जा सेक्टर में भी IXवीं योजना के दौरान वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, यद्यपि, 2002-03 की नकारात्मक वृद्धि के बाद चालू वर्ष में सुधार दिखता है। तथापि IXवीं योजना के दौरान तथा हाल ही के दो वर्षों में, विभाग के संचालनों के निगमीकरण के फलस्वरूप दूरसंचार पर व्यय में नकारात्मक वृद्धि की संभावना थी।

3.25 यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. के सापेक्ष में देखा जाये क्योंकि वह इन सेक्टरों की सापेक्षिक प्राथमिकता और इन व्यापक समूहों में विशिष्ट क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 1987-2004 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय, स.घ.उ. के औसतन 7.30 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 2003-04 में स.घ.उ. का 6.88 प्रतिशत तक गिर गया। चुनी हुई आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर स.घ.उ. के सापेक्ष में व्यय, तालिका 3.13 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.13 : स.घ.उ. के सापेक्ष में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय
(राजस्व एवं पूँजीगत)

(प्रतिशत)

अवधि	सामाजिक सेवायें				आर्थिक सेवायें				
	कुल	शिक्षा	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	कृषि और ग्रामीण विकास	ऊर्जा	परिवहन	अन्य
1987-2004	0.80	0.33	0.11	0.36	6.50	1.36	0.48	2.41	2.25
VIIIवीं योजना (1992-1997)	0.67	0.26	0.09	0.32	6.68	1.25	0.30	2.34	2.79
IXवीं योजना (1997-2002)	0.84	0.34	0.12	0.38	6.33	1.32	0.53	2.34	2.14
2002-03	0.88	0.40	0.13	0.36	6.24	1.73	0.49	2.45	1.57
2003-04	0.89	0.40	0.14	0.35	5.99	1.63	0.49	2.32	1.55
सापेक्ष अंश में परिवर्तन की वार्षिक औसत दर									
1987-2004	1.15	1.27	1.74	0.73	-1.88	2.82	-2.29	-1.72	-4.67

3.26 सामाजिक सेवाओं (इस सेक्टर में ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर) के व्यय की, 1987-2004 के दौरान उनके अंशों का स.घ.उ. के सापेक्ष में, धनात्मक विचलन दर थी। दो अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं-शिक्षा और स्वास्थ्य में भी धनात्मक विचलन दर को देखा गया था। तथापि, धनात्मक विचलन दर के बावजूद, सामाजिक सेक्टरों पर समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था। 1993-94 के मूल्यों पर आधारित स.घ.उ. के सापेक्ष में सामाजिक सेवाओं पर व्यय और प्रति व्यक्ति व्यय

नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है :




3.27 स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय अंशों की ऋणात्मक विचलन दर थी। स.घ.उ. से संबंधित आर्थिक सेवाओं पर व्यय के समग्र अंश की प्रवृत्ति दर 6.68 प्रतिशत (1992-97) से गिरकर 2003-2004 में 5.99 प्रतिशत रह गई। आर्थिक सेवाओं, परिवहन, उर्जा और अन्य आर्थिक सेवाओं में उनके सापेक्ष में परिवर्तन की ऋणात्मक दर थी। कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में, उनके सम्मिलित व्यय के अंश में, VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के औसत से 2003-2004 में 1.63 प्रतिशत का सुधार हुआ।

3.28 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय को देखने का दूसरा तरीका यह है कि उनका विश्लेषण प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार किया जाये। नीचे दी गयी तालिका 3.14 में चुनी हुई सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर 1993-1994 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति व्यय को प्रस्तुत किया गया है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्प्रभाव करने और व्यय की श्रेणी को वर्षों में तुलनात्मक बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय को स.घ.उ. डिफ्लेटर द्वारा अपस्फीति किया गया।

तालिका 3.14 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)
(1993-94 के मूल्यों पर रूपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवायें				आर्थिक सेवायें				
	कुल	शिक्षा	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	कृषि एवं ग्रामीण विकास	ऊर्जा	परिवहन	अन्य
1987-2004	85	35	12	38	735	141	54	271	270
VIIIवीं योजना (1992-1997)	68	27	9	32	693	126	31	243	293
IXवीं योजना (1997-2002)	105	42	14	48	795	164	68	291	272
2002-03	121	55	18	49	855	238	67	335	215
2003-04	129	58	21	51	874	237	72	339	226
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)									
1987-2004	4.92	5.04	5.53	4.48	1.78	6.65	1.35	1.94	-1.12

3.29 1993-94 के मूल्यों पर, संघ सरकार का सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय, VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 68 रु. की औसत से बढ़कर 2003-04 में 129 रु. हो गया। 1987-2004 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में, औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.92 प्रतिशत थी।



3.30 आर्थिक सेवाओं के मामले में, 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति व्यय VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान औसतन 693 रु. से बढ़कर 2003-04 में 874 रु. हो गया। आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में इन सेवाओं पर व्यय को ऊपर के ग्राफ में भी दर्शाया है। 1987-2004 के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर 1.78 प्रतिशत थी। कृषि और ग्रामीण विकास पर व्यय की 6.65 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि थी जबकि ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्रों में केवल सन्तुलित वृद्धि दर्ज की गई।

अध्याय 4

घाटा : राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन

4.1 वार्षिक बजट, तीन प्रकार के घाटे, जैसे राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे को इंगित करता है। इस अध्याय में इन घाटों के स्वरूप तथा परिमाण, समय पर उनकी प्रवृत्ति तथा इन घाटों को वित्तपोषित करने के ढंग की चर्चा की गई है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन दीर्घकालिक तथा निरन्तर दोनों प्रकार के हुए हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संविरोचना विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी इस विषय का एक कारण रही है। बृहद् आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमों को निर्धारित करने में मुख्यतः वित्तीय खर्च के रूप में होने वाले बजट घाटे के आकार के संबंध में नियम समाविष्ट होते हैं।

4.2 राजस्व घाटा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के निवल गैर-बचत तथा वर्तमान उपभोग में विचलन को दर्शाता है। राजस्व घाटा पूँजीगत/परिसंपत्ति को तदनुसार निर्माण किये बिना उधारों को बढ़ावा देता है। उधार, राजस्व घाटे को पूरा करने में सहयोग देता है इसलिए किसी भी परिसंपत्तियों का पृष्ठपोषण नहीं करता है तथा एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन संपत्तियों के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजकोषीय सुधार तथा बजट प्रबंधन (रा.सु.ब.प्र.) अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान है कि संघ सरकार को राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे और जिससे कि राजस्व घाटे को 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके।

4.3 राजस्व घाटे की प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर नीचे दी गयी तालिका 4.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	राजस्व घाटा प्रतिशत के अनुसार		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
1985-2004	152850	195669	42819	3.53	28.01	21.88
VIII वीं योजना (1992-1997)	131601	160541	28941	2.80	21.99	18.03
IX वीं योजना (1997-2002)	237397	313109	75711	3.95	31.89	24.18
2002-03	299826	409591	109765	4.44	36.61	26.80
2003-04	339100	440086	100986	3.64	29.78	22.95
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2004	13.14	14.12	18.22	3.58	4.49	3.60
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.61	14.64	10.88	सापेक्ष भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-2002)	8.12	10.40	17.29			
2002-03	13.02	9.06	-0.49			
2003-04	13.10	7.45	-8.00			

4.4 संघ सरकार का समग्र राजस्व घाटा VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 28941 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2003-04 में 100986 करोड़ रु. हो गया। राजस्व घाटे की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 18.22 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति के बीच एक नकारात्मक फँलाव ने राजस्व घाटे के बहाव में योगदान दिया। स.घ.उ. के सापेक्ष में, VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान राजस्व घाटे स.घ.उ. के 2.8 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-04 में 3.64 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. के राजस्व घाटे के हिस्से में परिवर्तन की वार्षिक औसत दर 3.58 प्रतिशत थी। VIII वीं योजना के दौरान राजस्व प्राप्तियों के समानुपात के रूप में, राजस्व घाटा लगभग 22 प्रतिशत औसत से 2003-04 में 29.8 प्रतिशत बढ़ गया। 1985-2004 के दौरान राजस्व व्यय में औसतन राजस्व प्राप्तियों में 28 प्रतिशत के लगभग कमी पड़ गई। 2001-02 में यह कमी बढ़कर 41.6 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय का समानुपात, 1985-2004 के दौरान राजस्व घाटा औसतन 21.88 प्रतिशत निकला, राजस्व व्यय के समानुपात को दर्शाता है जो ऋण वित्तपोषित किया गया था।

4.5 यद्यपि, पिछले दो वर्षों में, राजस्व घाटे में एक गिरावट थी। वर्ष 2003-04 में यह गिरावट आठ प्रतिशत की थी। इस गिरावट के कारण, स.घ.उ. में राजस्व घाटे का अनुपात, राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय भी कम हो गए थे। इन दो वर्षों में राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय के बीच चार प्रतिशत का एक सकारात्मक फँलाव देखा गया था। सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता तथा मध्यम गति से बढ़ते हुए राजस्व व्यय ने राजस्व घाटों में गिरावट तथा मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के सापेक्ष इसके अनुपात गिरावट में मदद की। रा.सु.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि मार्च, 2009

तक राजस्व घाटे की औसत की दर में गिरावट की आवश्यकता को तीव्रता से पूरा करने के सरकार के राजस्व घाटे को शून्य तक पहुँचाने के उद्देश्य को पूरा कर लिया जायेगा।

राजकोषीय घाटा

4.6 राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय का आधिक्य है (राजस्व प्राप्तियाँ, विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली)। राजकोषीय घाटा साधारणतयः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या अतिरिक्त लोक ऋणों से (आन्तरिक या बाह्य) या लोक लेखाओं में से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा प्रवृत्तियों के साथ घाटे की प्रवृत्तियों के सापेक्ष में मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

4.7 2002-03 तथा 2003-04 में राजकोषीय घाटे में गिरावट के बावजूद VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62565 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2003-04 में 80937 करोड़ रु. हो गया। 1985-2004 के दौरान राजकोषीय घाटे की वृद्धि प्रवृत्ति दर 10.25 प्रतिशत थी। गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर के बीच तथा कुल व्यय की औसतन सकारात्मक बढ़ोतरी, इन राजकोषीय समुच्चयों की तुलना में, राजकोषीय घाटे में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी के कारण थी। गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर तथा कुल व्यय के बीच के औसतन सकारात्मक फ़ैलाव में अपेक्षाकृत इन कुल राजकोषीय समुच्चयों की तुलना में राजकोषीय घाटों में, निम्नतर सापेक्ष बढ़ोतरी के कारण था। राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से भी कम थी। इस तरह, राजकोषीय घाटा और स.घ.उ. का अनुपात जो VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से गिर कर 2003-04 में 2.92 प्रतिशत रह गया। इस तरह इसके भाग में औसतन वार्षिक परिवर्तन दर (-)3.4 प्रतिशत थी। राजकोषीय घाटा तथा गैर-ऋण प्राप्तियाँ और कुल व्यय की औसतन वार्षिक परिवर्तन दर भी ऋणात्मक रही। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में राजकोषीय घाटे तथा तीनों राजकोषीय घाटा पैरामीटरों के अनुपात में तीव्र कमी, गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में प्रवाह के कारण थी। विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ विशेष तौर पर सा.क्षे.उ. के विनिवेश तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में इन दो वर्षों के दौरान उत्प्लावकता थी। ऋण समाप्ति योजना जिसने संघ सरकार के कर्जों जो मुख्यतः राज्यों द्वारा 13 प्रतिशत या उससे अधिक के ब्याज की दर देय थी, के पक्ष में पूर्व-भुगतान को सुसाध्य बनाया। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित वित्तीय समायोजन, बाज़ार कर्जों के माध्यम से किया गया था, इसलिए कर्जों के नये संवितरण से, वसूलियों में गिरावट रही।

तालिका 4.2 : राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के अनुसार		
				स.घ.उ.	गै.ऋ.प्रा.	कुल व्यय
1985-2004	168807	240451	71644	5.90	42.44	29.80
VIII वीं योजना (1992-1997)	140973	203539	62565	6.04	44.38	30.74
IX वीं योजना (1997-2002)	254827	374502	119675	6.25	46.96	31.96
2002-03	341722	476310	134588	5.45	39.39	28.26
2003-04	425880	506817	80937	2.92	19.00	15.97
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1985-2004	13.33	12.47	10.25	-3.40	-2.72	-1.97
VIII वीं योजना (1992-1997)	14.51	11.87	6.42	अनुपात में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-2002)	8.74	8.86	9.00			
2002-03	17.97	6.92	-13.63			
2003-04	24.63	6.40	-39.86			

4.8 पूंजीगत/परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों से उधार लेना तथा राजकोषीय घाटे को चलाना सरकार के लिए कोई असामान्य नहीं है। ऐसे उधारों के माध्यम से सृजित ये परिसम्पत्तियाँ, एक आय प्रवाह का सृजन करके स्वयं के लिए लाभकर हो सकती हैं। पूंजीगत निर्माण से आर्थिक क्षमता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समग्र आय की उत्पत्ति की जा सकती है तथा कर आधार को बढ़ाया जा सकता है। आगे, ऐसी स्थिति में जहाँ अवसंरचना वृद्धि के लिए बाध्यकारी बाधा बनती है, तो सरकार द्वारा ऐसी पूंजीगत रचना की वृद्धि में त्वरण को अधिक व्यावहारिक बना सकती है। अतः ऐसे में राजकोषीय घाटे के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजकोषीय घाटे के विस्तार की अधिक पूंजीगत व्यय को बनाये रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण के अस्तित्व के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करना, ऐसे घाटे पर एक वांछनीय हद तक सोच-विचार किया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 4.3 में योजना अवधियों से तथा हाल के दो वर्षों में राजकोषीय घाटे की संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 4.3 : राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्ज़ एवं अग्रिम
1985-2004	59.77	24.28	15.96
VIII वीं योजना (1992-1997)	46.26	28.25	25.49
IX वीं योजना (1997-2002)	63.26	19.53	17.20
2002-03	81.56	20.32	-1.87
2003-04	124.77	22.79	-47.56
परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2004	7.23	-4.25	

4.9 राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के घटक पर प्रभाव जारी रहा वह 1985-2004 के दौरान लगभग 60 प्रतिशत आंका गया। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2002-03 में 81.56 प्रतिशत हो गया। 1985-2004 के दौरान राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात में 7.23 प्रतिशत की एक सकारात्मक परिवर्तन दर देखी गयी थी। पहली बार 2003-04 के दौरान राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा। 1985-2004 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय (पूँजीगत व्यय-पूँजीगत प्राप्तियाँ) समग्र राजकोषीय घाटे के एक-चौथाई भाग से भी कम था। यही नहीं यह 4.25 प्रतिशत की ऋणात्मक परिवर्तन दर थी। राजकोषीय घाटे को निवल कर्ज़ों एवं अग्रिमों की लगभग 16 प्रतिशत की धन राशि से वित्तपोषित किया गया। 2002-03 और 2003-04 में कर्ज़ों एवं अग्रिमों की वसूली, जारी किये नवीन कर्ज़ों से आगे बढ़ गई तथा अधिशेष वास्तव में राजकोषीय घाटे के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किये गये। चालू व्यय की पूर्ति के लिए उधार ली गयी निधियों का निरन्तर उपयोग, न केवल परिसम्पत्ति बैकअप काट का उल्लेख करता है बल्कि इसने पूंजीगत व्यय (कर्ज़ों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए) के रूप में परिवर्तनीय समायोजन किए। यह थोड़े बहुत उधार लिए गए संसाधन केवल पूँजीगत गठन के लिए अंशतः आबंटित किए जा सकते थे।

प्राथमिक घाटा

4.10 जबकि राजकोषीय घाटा साधारणतया; ऐसे संसाधनों के एक भाग जिसे ब्याज भुगतानों द्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है उन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है। ब्याज का भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय तथा जो चालू विनिर्धारित वरीयताओं के लिए स्वतंत्र है, उनको दर्शाता है। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप की ओर ध्यान दें तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा जो ब्याज भुगतानों के निवल

वर्तमान असंतुलन को प्रस्तुत करता है, उनकी 1985-2004 के दौरान 17027 करोड़ रु. की औसत थी हालांकि इसमें एक मंदन प्रवृत्ति देखी गई। 2003-04 में एक प्राथमिक अधिशेष था क्योंकि ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटे को पार कर गया। प्राथमिक घाटा स.घ.उ. के सापेक्ष में VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से गिरकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत के स्तर तक रह गया। 2003-04 में इसमें एक सकारात्मक बदलाव आया। नीचे दी गई तालिका 4.4 में प्राथमिक घाटे तथा इसके पैरामीटर की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 4.4 : प्राथमिक घाटे एवं इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा	प्राथमिक राजस्व शेष	स.घ.उ. की प्रतिशत के रूप में	
						प्राथमिक घाटा	प्राथमिक राजस्व शेष
1985-2004	42819	71644	54617	17027	11798	1.40	0.97
VIII वीं योजना (1992-1997)	28941	62565	44280	18285	15339	1.77	1.48
IX वीं योजना (1997-2002)	75711	119675	91102	28573	15391	1.49	0.80
2002-03	109765	134588	124573	10015	14808	0.41	0.60
2003-04	100986	80937	128114	-47177	27128	-1.70	0.98
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)							
1985-2004	18.22	10.25	17.57		13.40	-12.40	-0.64
VIII वीं योजना (1992-1997)	10.88	6.42	17.44		परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-2002)	17.29	9.00	14.90				
2002-03	-0.49	-13.63	9.11				
2003-04	-8.00	-39.86	2.84				

4.11 इन सभी वर्षों में संघ सरकार के ब्याज भुगतान राजस्व घाटे से बढ़ गए जो यह दर्शाते हैं जो पिछले दायित्वों के राजस्व व्ययों के निवल भुगतानों को भी पूरा करने के लिए चालू राजस्व प्राप्तियाँ अपर्याप्त थी। तथापि VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान प्राथमिक राजस्व शेष जो स.घ.उ. के 1.48 प्रतिशत की औसत से घटकर 2003-04 में स.घ.उ. का 0.98 प्रतिशत रह गया (2002-03 में प्राथमिक राजस्व शेषों में स.घ.उ. की 0.60 प्रतिशत की गिरावट आई थी)। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान प्राथमिक राजस्व अधिशेष 11.66 प्रतिशत की औसत से गिरकर 2003-04 में आठ प्रतिशत रह गया।

4.12 2003-04 में स.घ.उ. के प्राथमिक घाटे में 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर (-)1.7 प्रतिशत तक स.घ.उ. का रह जाने का, सुधार, यह स्पष्ट दर्शाता है कि 2003-04 में पूँजीगत व्यय तथा कर्जों और अग्रिमों का ब्याज भुगतानों को सम्मिलित करते हुये उस वर्ष में किये गये खर्चों को गैर-ऋण प्राप्तियों से पूरा करना पर्याप्त था। तथापि ये

मुख्यतः कर्जों की वसूली में वृद्धि के कारण से था न कि राजस्व प्राप्तियों में कोई गतिवर्धन से था। कर्जों की वसूली या विविध पूँजीगत प्राप्तियों में उपार्जन सरकार की परिसम्पत्ति आधार में एक गिरावट को इंगित करता है तथा इसे एक सीमित अस्थाई विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

अध्याय 5

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

5.1 आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जो संघ सरकार के ऋण को संघटित करते हैं। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण लोक ऋण को संघटित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों को निरूपित करता है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता या न्यासी से अधिक बैंकर के रूप में अपनी क्षमता से अधिक उद्भूत होती हैं। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखों के भाग के रूप में दर्शाए जाते हैं। तथापि, यह सभी देयताएं सरकार के दायित्व हैं।

5.2 सरकार ऋण की पुनः अदायगी के लिए इन संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए इन देयताओं और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय मांगों जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है को वहन करती है।

सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

5.3 तालिका 5.1 विनिमय की वर्तमान दर तथा ऐतिहासिक दर (वह दर जिस पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) पर संगणित दोनों आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण तथा 1985-2004 के दौरान लोक लेखों सहित, सरकार की सकल देयताओं को प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट-V-क में उसकी संरचना के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शायी गई है।

तालिका 5.1: सकल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	(करोड़ रुपयों में)		
				कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1985-2004	401904	44448	203602	649954	124038	729544
VIII वीं योजना (1992-1997)	272725	49206	218152	540082	137732	628609
IX वीं योजना (1997-2002)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064
2002-03	1020689	59612	331419	1411720	196068	1548176
2003-04	1141706	46125	333725	1521556	184203	1659634
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2004	16.81	6.95	10.79	14.19	11.88	14.33
VIII वीं योजना (1992-1997)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IX वीं योजना (1997-2002)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
2002-03	11.79	-16.68	15.65	11.06	-1.92	10.62
2003-04	11.86	-22.63	0.70	7.78	-6.05	7.20

वित्त लेखाओं में विनिमय की वर्तमान दर पर बाह्य ऋण को दर्शाना 1991-92 से शुरू किया था। बाह्य ऋण के पूर्व आंकड़े विनिमय की वर्तमान दर पर श्रृंखला को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए हैं।

* वर्ष 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, राष्ट्रीय लघु बचतों में राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा.ल.ब.नि.) को जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक देयताएं शामिल नहीं हैं।

5.4 सकल राजकोषीय देयताएं VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 628,609 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2003-04 में 1659,634 करोड़ रु. हो गई थी। 1985-2004 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 14.33 प्रतिशत थी। आंतरिक ऋण, 2003-04 में इनका लगभग दो तिहाई के लिए लेखाबद्ध करने हेतु, सकल देयताओं का न केवल सबसे प्रमुख घटक था, बल्कि वह उसकी वृद्धि के साथ 16.81 प्रतिशत औसत होने का सबसे तीव्र बढ़ने वाला घटक भी था। लोक लेखे देयताओं की 10.79 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि थी। ये दो घटक, जो मूल रूप से घरेलू देयताएं हैं, 2003-2004 में सकल देयताओं का लगभग 89 प्रतिशत के बराबर बनते थे। सकल देयताओं में इन दो घटकों के हिस्से का भी VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत की औसत से वर्तमान स्तर तक सुधार हुआ था। 2003-04 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं सकल देयताओं का लगभग 11 प्रतिशत बनती थीं और 11.88 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ी थी। सकल देयताएं वर्षों तक उनकी वृद्धि दरों में मन्दन दर्शाती थी। 1985-2004 के दौरान राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दरों में औसत वार्षिक विनिमय दर (-)4.67 प्रतिशत थी। ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताएं यद्यपि निम्न दर पर बढ़ी थी, केवल ब्याज की गणना के लिए ही थी क्योंकि इस ऋण के पुनः भुगतान दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाता है।

स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताएं


5.5 तालिका 5.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की सकल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. का 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.72 प्रतिशत की औसत तक अत्वरित हुआ और इसके आगे IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत की औसत तक आ गया था। हाल ही के दो वर्षों में जबकि राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 2002-03 में स.घ.उ. के 62.69 प्रतिशत तक बढ़ गया; यह वर्तमान वर्ष में 59.87 प्रतिशत तक गिर गया जो कि दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तरों के समीप था। 1985-2004 के दौरान, स.घ.उ. अनुपात को राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति में 0.17 प्रतिशत के औसत वार्षिक दर के परिवर्तन के साथ त्वरण था। 2.34 प्रतिशत के आन्तरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में औसत वार्षिक दर के परिवर्तन ने, ऋण-स.घ.उ. अनुपात के इस नवीन त्वरण में अत्यधिक योगदान दिया।

तालिका 5.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखे	कुल देयताएं	वर्तमान दरों पर बाह्य ऋण	कुल देयताएं
1985-2004	33.11	3.66	16.77	53.54	10.22	60.10
VIIIवीं योजना (1992-1997)	26.34	4.75	21.07	52.16	13.30	60.72
IX वीं योजना (1997-2002)	34.26	3.22	15.26	52.74	9.56	59.08
2002-03	41.33	2.41	13.42	57.16	7.94	62.69
2003-04	41.18	1.66	12.04	54.89	6.64	59.87
सापेक्षित हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-2004	2.34	-6.29	-2.94	0.05	-1.98	0.17

5.6 यदि 1985-86 में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों को 100 पर रखा जाये तो, 2003-04 में 997 के स.घ.उ. के सूचकांक के विरुद्ध आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा सकल देयताओं का सूचकांक मूल्य क्रमशः 1607, 691 तथा 1137 होगा। 1985-2004 के दौरान सकल तथा घरेलू देयताओं की गति तथा समग्र ऋण-स.घ.उ. अनुपात नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:-



5.7 सकल राजकोषीय देयताओं पर संघ सरकार की प्राप्तियों के सापेक्ष में दृष्टि डालना उचित होगा। यह अनुपात ऋण स्टॉक के लिए एक अच्छा सूचक माना गया है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्रोतों से सम्बन्धित है जो इसकी सेवा और प्रतिदान के लिए उपलब्ध हैं। तालिका 5.3 बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को, गैर-ऋण प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों और वचनबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान करवाने के बाद, प्रतिशतता के रूप में दर्शाती है।

तालिका 5.3: गैर-ऋण प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों तथा अवचनबद्ध प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताएं

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ	अवचनबद्ध प्राप्तियाँ
1985-2004	432	477	1147
VIIIवीं योजना (1992-1997)	446	478	1047
IXवीं योजना (1997-2002)	444	476	1290
2002-03	453	516	1401
2003-04	390	489	1163
सापेक्षित हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2004	0.88	1.05	3.70
औसत वार्षिक वृद्धि दर			
1985-2004	13.33	13.14	10.26

टिप्पणी:- गैर-ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। अवचनबद्ध प्राप्तियाँ वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों की वचनबद्ध देयताओं को छोड़कर राजस्व प्राप्तियाँ (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) होती हैं।

5.8 1985-2004 के दौरान राजस्व, गैर-ऋण और अवचनबद्ध प्राप्तियों के प्रति राजकोषीय देयताओं के अनुपात में परिवर्तन दर सकारात्मक थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की प्रवृत्ति दर उपरोक्त तीन पैरामीटरों की वृद्धि की दर से बढ़ गई थी। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों के प्रति राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात 446 प्रतिशत से 2002-03 में 453 हो गया था। तथापि, यह 2003-04 में ऋणों तथा अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण 390 प्रतिशत तक गिर गया। राजस्व प्राप्तियों तथा इसके अवचनबद्ध घटकों के प्रति, समग्र राजकोषीय देयताओं के अनुपात के मामले में, औसत वार्षिक परिवर्तन की दर सकारात्मक थी तथा समग्र राजकोषीय देयताओं के सापेक्ष में उनके प्रवृत्ति वृद्धि दरों में अन्तर से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित थी।

ऋण धारिता

5.9 यदि सरकार दूरदर्शी भविष्य के लिए इन देयताओं के सम्भार का लाभ लेने में सक्षम होती है, और ऋण-स.घ.उ. अनुपात विस्फोटक समानुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थ व्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से बढ़ती है तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात की स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। ऋण की धारिता की अंतः अस्थायी बजट प्रतिबंधों के संबंध में भी जांच की जाती है अन्तःधारिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उधारदाताओं

से किसी प्रतिकूल आशय या प्रति उत्तर के बिना, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे के पूर्व व्यवहार को अनिश्चित रूप से जारी रखा जा सकता था। इस प्रकार, ऋण की धारिता के प्रश्न पर यह विचारणीय है कि क्या पॉन्जी वित्तपोषण को ऋण प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग किया गया था। सम्पन्नता या समग्र बजट प्रतिबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक ऋण स्टाक, भविष्य में प्राथमिक आधिक्य के वर्तमान कटौती किये गये मूल्य के बराबर हो। चालू ऋण की समानता और आधिक्य के वर्तमान मूल्य से, अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ऋण का अंत में पुनर्भुगतान हो चुका है या कि ऋण अन्त में स्थिर रहा। इन सबसे यह परिणाम निकलता है कि ऋण अन्त में ब्याज दर से कम तीव्रता से बढ़ता है। ऋण स्थिरता दो संभव उपायों में से एक में हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रीकरण की अधिकता में भी)। परन्तु यदि नाममात्र ब्याज दर वृद्धि दर से बढ़ती है तो ऋण स्थिरता की सम्भावना के लिए प्राथमिक घाटा मुद्रीकरण से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए।

5.10 ऋण धारिता की कुछ निम्नलिखित पैरामीटरों के अनुसार जांच की जाती है :

- स.घ.उ. वृद्धि या डोमर अन्तर के संबंध में ब्याज की दर
- अन्तः कालिक बजट प्रतिबंधों की ऋण संतुष्टी के संदर्भ में ब्याज दर और ऋण की वृद्धि
- देयताओं के लिए परिसम्पत्तियों के समर्थन में उधार ली गई निधियों का उपयोग
- मूल और ब्याज के भुगतान के बाद सकल उधार से निधियों की निवल उपलब्धता

5.11 काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1985-2004 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही है, जैसे कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। तथापि विस्तार, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.63 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान गिरकर औसत 1.37 प्रतिशत हो गया था। 2002-03 में स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार नकारात्मक हो गया था परन्तु बाद में 2003-04 में 3.97 प्रतिशत तक बढ़कर सकारात्मक हो गया।

5.12 यद्यपि, राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दरें, एक संकुचित स्तर से बढ़ीं। 1985-2004 के दौरान बाह्य ऋण पर औसत वार्षिक ब्याज की दर 2.84 प्रतिशत थी। यह आठवीं योजना (1992-97) के दौरान 3.07 प्रतिशत की औसत से 2003-04 में

1.60 प्रतिशत तक गिर गयी। घरेलू देयताओं के लिए (लोक ऋण तथा लोक लेखे) औसत ब्याज की दर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.42 प्रतिशत थी जो 2003-04 में नाममात्र को घटकर 9.24 प्रतिशत हो गई। घरेलू देयताओं पर ब्याज की दरों की औसत में गिरावट 2000-01 में आरम्भ हुई तथा इसमें पिछले चार वर्षों में 155 आधार अंकों की गिरावट देखने में आई (उच्चतम ब्याज की दर 1999-2000 में 10.79 प्रतिशत थी)। ब्याज की दर में गिरावट नाममात्र थी, क्योंकि ऋण की बढ़ोतरी महत्वपूर्ण रही। ऋण पर ब्याज की औसत दर तथा डोमर गैप तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत में)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1985-2004	9.01	2.84	7.85	14.14	6.29
VIIIवीं योजना (1992-1997)	9.37	3.07	7.91	16.54	8.63
IXवीं योजना (1997-2002)	10.42	2.51	9.06	10.43	1.37
2002-03	10.03	2.13	8.90	8.21	-0.69
2003-04	9.24	1.60	8.28	12.25	3.97
औसत-वार्षिक वृद्धि दर					
1985-2004	2.30	-2.27	2.23		

औसत ब्याज दर = वर्ष*100 के शुरू में भुगतान किया गया ब्याज/बकाया देयताएं

5.13 राजकोषीय देयताओं-स.घ.उ. अनुपात के लिए सहायक के रूप में दो घटकों की पहचान की जाती है। एक है, प्राथमिक घाटे का संचित प्रभाव तथा दूसरा है, स.घ.उ. तथा ब्याज दरों की वृद्धि दर के बीच अन्तर का संचित प्रभाव। चूँकि 1985-2004 के अधिकतर भाग के लिए, संघ सरकार की देयताएं स.घ.उ. की वृद्धि दर से नीचे थी, संचित प्राथमिक घाटे का दो तिहाई, इस सकारात्मक गैप द्वारा समाविष्ट किया गया था। स्थिति में 2002-03 में एक परिवर्तन हुआ जब स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार नकारात्मक हो गया था, जिससे राजकोषीय देयताओं-स.घ.उ. अनुपात में उतनी वृद्धि हुई जितनी प्राथमिक घाटे-स.घ.उ. अनुपात से अपेक्षित थी। तथापि, वर्तमान वर्ष में स.घ.उ. वृद्धि, ब्याज दरों से उँची थी जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी देयताएं डोमर गैप द्वारा समाविष्ट की गईं। प्राथमिक घाटा- स.घ.उ. तथा ऋण-स.घ.उ. के बीच सम्बन्ध, डोमर गैप के साथ तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 : ऋण-स.घ.उ. अनुपात तथा प्राथमिक घाटे में वृद्धि

अवधि	ऋण स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि	संचित प्राथमिक घाटा- स.घ.उ. अनुपात	औसत वार्षिक डोमर गैप
1985-2004	7.36	41.39	6.29
VIIIवीं योजना(1992-97)	-9.11	9.78	8.63
IXवीं योजना (1997-2002)	2.10	7.74	1.37
2002-03	1.36	0.41	-0.69
2003-04	-2.82	-1.70	3.97

5.14 सरकार के लिए, पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखाविधि पद्धति में सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में ली गई स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए ही तुलन-पत्र सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखाओं में किए गए व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को भी अधिग्रहण कर उनका प्रावधान किया जाता है। सरकारी निवेश, बकाया कर्जे एवं पेशगियां तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं से इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता के प्रतिनियुक्त उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तलिका 5.6: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा परिसंपत्तियों का देयताओं के प्रति अनुपात

(करोड़ रुपयों में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	परिसंपत्तियों का देयताओं प्रति अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता
1985-2004	729544	389247	53.35	14.33	10.38	0.72
VIIIवीं योजना (1992-1997)	628609	362555	57.68	12.48	10.31	0.83
IXवीं योजना (1997-2002)	1131064	575689	50.90	11.85	8.28	0.70
2002-03	1548176	693286	44.78	10.62	4.20	0.40
2003-04	1659634	688434	41.48	7.20	-0.70	

5.15 VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान परिसम्पत्तियों के प्रति देयताओं के अनुपात ने 57.68 प्रतिशत की औसत में दीर्घकालीन गिरावट जो 2003-04 में 41.48 प्रतिशत से कम हो गई थी, को प्रमाणित किया। इस अनुपात में, परिवर्तन की औसत वार्षिक दर, 1985-2004 के दौरान (-) 3.46 प्रतिशत थी। 2003-04 तक संघ सरकार की लगभग 60 प्रतिशत देयताओं की परिसंपत्तियों के समर्थन की क्षमता समाप्त हो गई थी। परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि दर न केवल देयताओं की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम रही बल्कि इन वृद्धि दरों के बीच विस्तार और भी बढ़ रहा था। देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 से 2002-03 में 0.40 तक की गिरावट आई थी। 2003-04 में कर्जों व अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण समग्र परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही।

5.16 ऋण धारिता का एक अन्य मामला कुल ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण मोचन का अनुपात है। उच्चतर अनुपात यह दर्शाता है कि जिस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण मोचन में प्रयुक्त होती थी, संसाधनों की निवल संभूति कम थी। तालिका 5.7, 1985-2004 के दौरान, और VIIIवीं और IXवीं योजना अवधियों में, हाल के दो वर्षों की सूचना सहित, ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात दर्शाती है।

तालिका 5.7: ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनः अदायगी		ऋण पुनः अदायगी (1) / ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनः अदायगी (2) / ऋण प्राप्तियां
		(मूल) (1)	(मूल+ ब्याज) (2)		
		(करोड़ रु. में) (वार्षिक औसत)		(प्रतिशत)	
1985-2004	348540	276532	331149	79.34	95.01
VIIIवीं योजना (1992-1997)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IXवीं योजना (1997-2002)	530341	411106	502208	77.52	94.70
2002-03	623645	485764	610337	77.89	97.87
2003-04	811010	726131	854245	89.53	105.33

ऋण प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाए गए वर्षों का औसत है तथा अर्थोपाय अग्रिमों का निवल है।

5.17 ऋण धारिता के मामलों की वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों में ही निहित है- (क) वित्त पोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग नहीं की जा रही तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग की जा रही, जो या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करती है या जो परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी कि ऋण धारिता को सार्थक पूर्ण ढंग से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बदले हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। तालिका 5.8 VIIIवीं तथा IXवीं योजना तथा हाल के दो वर्षों के लिए, जैसा ऊपर परिभाषित किया गया है, संसाधन गैप को इंगित करती है। यह देखा जा सकता है कि 1985-2004 के दौरान, बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए लगभग एक चौथाई से कम पड़ गई थीं। यह गैप IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। तथापि, बाद के दो वर्षों में, व्यय में नवीन वृद्धि तथा ब्याज दरों में नवीनता के कारण एक सकारात्मक गैप था।

तालिका 5.8 : राजस्व व्यय बढ़ोतरी तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए राजस्व प्राप्तियों की बढ़ोतरी में कमी

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	बढ़ोतरी				संसाधन गैप
	प्राप्तियां	गैर ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	कुल व्यय	
1985-2004	16737	15338	6700	22038	-5301
VIIIवीं योजना (1992-1997)	16887	13589	6576	20166	-3279
IXवीं योजना (1997-2002)	18621	23212	10939	34151	-15530
2002-03	34547	23609	10400	34009	538
2003-04	39274	26954	3541	30495	8779

रोकड़ प्रबंधन

5.18 संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति को क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस पद्धति द्वारा ऋण प्रबंधन और रोकड़ प्रबंधन में भी अधिक दक्षता की मांग की गई थी। जबकि अ.अ. का निरन्तर आधार पर लाभ उठाने की आवश्यकता थी, पद्धति में स्थिरता देखी गई। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के अंत में कोई बकाया अ.अ. शेष नहीं थे (तालिका 5.9)।

तालिका 5.9: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1999-00	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य

अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

5.19 31 मार्च 2004, को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता, 64,521 करोड़ रु. थी। अधिकतर अप्रयुक्त बाह्य सहायता अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए थी (विवरण परिशिष्ट-V-बी में)। तालिका 5.10 वर्षवार अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता को दर्शाती है।

तालिका 5.10 : अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1999-2000	56917
2000-2001	56920
2001-02	62565
2002-03	67365
2003-04	64521

5.20 अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.11, 1999-2004 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता

के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप 2003-04 में 93.15 करोड़ रु. का वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय हुआ।

तालिका 5.11: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ए डी बी	फ्रांस	जर्मनी	आईबीआरडी	जोड़
1999-2000	15.71	0.36	0.37	25.33	41.77
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91*	93.15

स्रोत: बाह्य सहायता विवरणिका 2002-2003. * आई.डी.ए. सहायता सम्मिलित है।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

5.21 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ निवेश का स्वरूप लम्बी अवधि की परिपक्वताओं द्वारा विशेषीकृत किया जाता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जबकि गारंटियां रूढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता; इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीधारी और इसके आह्वान किये जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेंट इण्डिया बॉन्ड्स और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में, सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 5.12, 1999-2004 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.12: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	बकाया गारंटीकृत राशियों के % के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.65
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33

5.22 कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. के 6.7 प्रतिशत थी तथा संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती हैं।

5.23 संघ सरकार के अनुदेशों के अनुसार, सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आन्तरिक उधारों पर एक प्रतिशत की दर से तथा बाह्य उधारों पर 1.2 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क उद्ग्राह्य किया जाना अपेक्षित है। गारंटी शुल्क, गारंटी की तिथि पर तथा उसके पश्चात् प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को लगाया जाना होता है। जहां गारंटी शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि को न हुआ हो, तो उसे सामान्य से दुगनी दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए था।

तालिका 5.13: गारंटी शुल्क

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बकाया गारंटीकृत राशि			देय गारंटी शुल्क			प्राप्त कुल गारंटी शुल्क	कुल बकाया गारंटी के प्रतिशत के रूप में
	आन्तरिक	बाह्य	जोड़	आन्तरिक	बाह्य	जोड़		
1999-2000	36291	47663	83954	363	572	935	280	0.33
2000-01	31197	55664	86862	312	668	980	542	0.62
2001-02	39853	57006	96859	399	684	1083	484	0.50
2002-03	39520	51097	90617	395	613	1008	491	0.55
2003-04	37452	50328	87780	375	604	979	401	0.46

5.24 ऋण सेवा में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप भा.स.नि. में से कुल संवितरण का एक भारी समानुपात, निधि पर भारित है अर्थात् इसके लिए संसद द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं होती। 2003-04 में, 937780 करोड़ रु. के कुल संवितरण में से केवल 36 प्रतिशत पर संसद द्वारा वोट किया गया था। कुल संवितरण का 64 प्रतिशत ऋण सेवा दायित्वों अर्थात् ऋण पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान के प्रति उपयोग किया गया था।

अध्याय 6

विनियोग लेखे 2003-04 : प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

6.1 लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

6.2 नियंत्रक महालेखा (नि.म.ले.) सिविल मंत्रालयों के 96 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा तथा रेलवे मंत्रालय और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। 2003-04 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	96
रक्षा सेवायें	6
डाक सेवायें	1
रेलवे	16
जोड़ :	119

6.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण नियंत्रण तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है।

एक सारांश

6.4 तालिका 6.1 वर्ष 2003-04 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **परिशिष्ट-VI-क** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.1 : 2003-04 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	अव्ययित प्रावधान
सिविल	818603	830989	(+) 12386
डाक	5936	5784	152
रक्षा सेवाएं	67859	62429	5430
रेलवे	77205	75737	1468
कुल जोड़	969603	974939	* (+) 5336

* आधिक्य

6.5 12386 करोड़ रु. का निवल आधिक्य सात अनुदानों के अंतर्गत 42190 करोड़ रु. के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों में 29804 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान होने के कारण था। 42190 करोड़ रु. के समग्र अधिक व्यय में से 42183 करोड़ रु., अनुदान सं. 37-ऋण का पुनर्भुगतान के अंतर्गत उच्च लागत के बाह्य कर्जों का पूर्व-भुगतान करने के कारण था। 29804 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधान में से 185 करोड़ रु. 364 दिवसीय खजाना बिलों पर बजट से कम ब्याज का भुगतान करने के कारण थे। इसको छोड़कर, सकल अव्ययित प्रावधान 29619 करोड़ रु. था।

6.6 सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विभागों के अंतर्गत 201 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान तथा सात अनुभागों में आधिक्य, डाक के चार अनुभागों में अव्ययित प्रावधान, रक्षा सेवाओं के 11 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा एक अनुभाग

में आधिक्य और रेलवे के 22 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा 13 अनुभागों में आधिक्य थे। **परिशिष्ट-VI-ख** विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

6.7 **परिशिष्ट-VI-ग** में वर्ष 1992-2004 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 66 से 77 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

6.8 2003-04 के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण 830989 करोड़ रु. के थे जो 2002-2003 के दौरान 717952 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 113037 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1992-93 में 203576 करोड़ रु. से 308 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1992-93 में 134672 करोड़ रु. से 2003-04 में 599889 करोड़ रु. तक 345 प्रतिशत बढ़ गए तथा दत्तमत संवितरण उसी अवधि में 68904 करोड़ रु. से 231100 करोड़ रु. तक 235 प्रतिशत बढ़ गए। 2003-04 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (128114 करोड़ रु. जो 2002-03 के लिए 124573 करोड़ रु. से तीन प्रतिशत अधिक था), ऋण की चुकौती (430963 करोड़ रु.), मुख्यतः ब्लॉक अनुदानों के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए कर्जे, के कारण था; तथा कुल संवितरणों का 72 प्रतिशत बनता था।

6.9 चूँकि प्रभारित संवितरणों के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 28 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल - 974939 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 62 प्रतिशत (599968 करोड़ रु.) बनती थी (डाक, रक्षा एवं रेलवे सहित)।

संवितरण

6.10 **परिशिष्ट-VI घ** में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग मार्च 2004 माह में ही जारी किया गया था। क्योंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी की गई निधियां वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उसी वर्ष के दौरान उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था। जनवरी 2005 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (अनुदान सं.27) द्वारा बताए गए कारणों में, योजना आयोग द्वारा अगस्त में निधियों का अनुमोदन करने में विलम्ब होना, वित्त मंत्रालय द्वारा

दिसम्बर-जनवरी में बजट की सीमा का पुनरीक्षण/अंतिम रूप देने में देर होने तथा भारी वर्षा के कारण निर्माणकार्य की धीमी प्रगति होना, थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अनुदान सं. 58) द्वारा अंधाधुंध व्यय के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में भारी राशियां जारी करने को आरोपित किया गया था। आगे बताया गया कि इस प्रथा से बचने के लिए अब सचिव (डब्ल्यू.सी.डी.) द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठकों में स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम नियोजन मंत्रालय (अनुदान सं.87) ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय करने की प्रथा से बचने के लिए समस्त मंडलीय अध्यक्षों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2003-04 : एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 71 में यह व्यवस्था है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2003-04 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में सात अनुदानों के सात खण्डों में 421901976292 रु. (अर्थात् 42190.20 करोड़ रु.) और रेलवे के नौ अनुदानों/विनियोगों के 13 खण्डों के अंतर्गत 1175.28 करोड़ रु. तथा रक्षा में एक अनुदान के एक खंड में 37.50 करोड़ रु. का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 7.1 : अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

		(रुपयों में)			
		सिविल	रेलवे	रक्षा	
दत्तमत	राजस्व	39785153	7532852538	375027533	
	पूँजीगत	14302652	4117206239		
प्रभारित	राजस्व	20517240	79408223		
	पूँजीगत	421827371247	23364713		
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		7	9	1	
कुल आधिक्य		421901976292	11752831713	375027533	434029835538

तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
सिविल:				
राजस्व (दत्तमत)				
1.	15- दूरसंचार विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	39432800000 39472585153 39785153	बी.एस.एन.एल. में समाविष्ट किये गये कर्मचारियों को पेंशन/ग्रेच्युटी परिवर्तित मूल्य के भुगतान के/विश्वव्यापी सेवा दायित्व आदि के अन्तर्गत प्रतिभूति के भुगतान के कारण।
राजस्व (प्रभारित)				
2.	39 पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	127400000 147358401 19958401	उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन सम्बन्धी प्रभारों से संबद्ध प्रत्याशा से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण।
3.	52- मंत्रीमंडल	अनुदान व्यय आधिक्य	1900000 2458839 558839	कोर्ट डिक्री पर किये गये भुगतान के कारण।
पूँजीगत (दत्तमत)				
4.	16- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	589000000 601859171 12859171	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के हित के लिए तथा विदेशी मुद्रा-स्फीति की विनिमय दरों के व्यय को वहन करने के कारण।
5.	27- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	702100000 703295395 1195395	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रति वचनबद्ध देयता को वहन करने तथा पूर्वोत्तर स्टाफ परिषद/अतिथि गृह के लिए आवास के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को वहन करने के कारण।
6.	67- कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	विनियोग व्यय आधिक्य	6000000 6248086 248086	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निर्माण हेतु अनुमानों के तैयार होने के बाद भवन निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
पूँजीगत (प्रभारित)			
7.	37- ऋण का पुनर्भुगतान	अनुदान व्यय आधिक्य	3887803200000 4309630571247 421827371247
			कर्जे के अग्रिम भुगतान तथा विनिमय दरों की उतार-चढ़ाव के कारण।
रक्षा:			
राजस्व (दत्तमत)			
8.	24- रक्षा आयुध कारखाने	विनियोग व्यय आधिक्य	9315400000 9690427533 375027533
			गोला-बारूद तथा आयुध उपकरण संबंधी सेवाओं के लिए जारी किए जाने वाले, घटा शीर्षों के अन्तर्गत फैक्टरी नगों की कमी के कारण।
रेलवे:			
राजस्व (दत्तमत)			
9.	14- निधियों को विनियोग- डी. आर. एफ., डी. एफ., पेंशन तथा, सी एफ.	अनुदान व्यय आधिक्य	98970000000 105786181059 6816181059
			विवरण 2005 के प्रतिवेदन सं. 8 (रेलवे) में हैं
10.	15- सामान्य राजस्व का लाभांश	अनुदान व्यय आधिक्य	33154100000 33870771479 716671479
			-वही-
राजस्व (प्रभारित)			
11.	3- सामान्य, अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	523000 1947035 1424035
			-वही-
12.	7- संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	71000 92996 21996
			-वही-
13.	8- संचालन खर्चे - रोलिंग स्टाक तथा उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य	1164000 1286059 122059
			-वही-
14.	9- संचालन खर्चे - यातायात	विनियोग व्यय आधिक्य	1067000 1552568 485568
			-वही-
15.	10- संचालन खर्चे - ईंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	0 761370417 76137047
			-वही-
16.	11- स्टाफ कल्याण तथा सुख सुविधाएँ	विनियोग व्यय आधिक्य	575000 1792518 1217518
			-वही-

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
पूँजीगत (दत्तमत)				
17.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा अदला-बदली विशेष रेलवे सुरक्षा निधि	अनुदान व्यय आधिक्य	11900015000 13186151856 1286136856	-वही-
18.	16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा अदला-बदली - पूँजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	191766090000 194597159383 2831069383	-वही-
पूँजीगत (प्रभारित)				
19.	16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा अदला-बदली - पूँजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	80000000 96345841 16345841	विवरण 2005 के प्रतिवेदन सं. 8 (रेलवे) में हैं
20.	16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा अदला-बदली - रेलवे निधियां	विनियोग व्यय आधिक्य	9926000 16944381 7018381	-वही-
21.	16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा अदला-बदली - ओ.एल.डब्ल्यू.आर.	विनियोग व्यय आधिक्य	26000 26491 491	-वही-

7.2 अधिक संवितरणों के विवरण जैसे रेलवे के अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भी नि.म.ले.प. के 2005 के प्रतिवेदन सं. 8 में उल्लिखित हैं।

भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण व्यय नियन्त्रण

7.3 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबंध क के प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालयों के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान न किया गया हो। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जायेगी। वर्ष 2003-04 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से 19 अनुदानों तथा विनियोगों के 56 मामलों का पता चला, जहां पर मंत्रालयों के भु.ले.का. ने उपलब्ध प्रावधानों से 55728.50 करोड़ रु.का अधिक भुगतान किया हालांकि विभाग ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अंतिम आधिक्य व्यय को उपयुक्त रूप से समायोजित

करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे जो भु.ले.का. द्वारा त्रुटिपूर्ण व्यय नियंत्रण का संकेत देता है। दिये गये कारण तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि अधिक व्यय, प्रस्तावित पुनर्विनियोजन से काफी अधिक है। कुछ उप-शीर्ष जिनके अन्तर्गत दो करोड़ या इससे अधिक आधिक्य हुए, **परिशिष्ट VII-क** में दिए गए हैं।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

7.4 वर्ष 2003-04 के दौरान 38 अनुदानों और एक विनियोग से सम्बन्धित 46 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान कृषि, उर्वरक, खाद्य एवं लोक संवितरण, महिला एवं बाल विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, परिवार कल्याण, भूतल परिवहन एवं राजमार्गों तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। **परिशिष्ट-VII-ख** अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे इंगित करता है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

7.5 सा.वि.नि. 69 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2003-04 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के 96 अनुदानों/विनियोगों के 201 खण्डों के अंतर्गत 29803.84 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। यह छः अनुदानों के सात खण्डों तथा एक विनियोग के अंतर्गत आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था, परिणामतः 12386.35 करोड़ रु. का निवल आधिक्य रहा।

अभ्यर्पित की गई राशियाँ तालिका 7.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

	निवल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व				
दत्तमत	15962.12	14852.02	7145.23	1110.10
प्रभारित	4739.42	5233.82	5227.64	-
कुल : राजस्व	20701.54	20085.84	12372.87	-

(करोड़ रुपयों में)

	निवल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
पूँजीगत				
दत्तमत	7265.22	6942.94	2276.46	322.27
प्रभारित	(+) 40353.11	8994.01	8992.61	-
कुल : राजस्व	(+) 33087.89	15936.95	11269.07	-
सकल जोड़	(+) 12386.35	36022.79	23641.94	-

7.6 आर्थिक कार्य विभाग, ब्याज भुगतान, राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण, विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन विभाग, लक्षद्वीप तथा रक्षा के संबंध में अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधान राशि से बढ़ गई। विवरण **परिशिष्ट-VII-ग** में दिए गए हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

7.7 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोग अनुदान अथवा विनियोग से संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा अव्ययित प्रावधान विनियोग की इकाई में प्रभावित हो सकती है।

7.8 2003-04 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये कृषि (555 करोड़ रु.) उर्वरक विभाग (1088 करोड़ रु.) वाणिज्य विभाग (367 करोड़ रु.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (411 करोड़ रु.), राज्य तथा सं.रा.क्षे. सरकारों को अंतरित (4346 करोड़ रु.), भारी उद्योग विभाग (541 करोड़ रु.), प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (508 करोड़ रु.), पेय जलापूर्ति विभाग (300 करोड़ रु.), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (337 करोड़ रु.) ग्रामीण विकास विभाग (956 करोड़ रु.) तथा अंतरिक्ष विभाग (342 करोड़ रु.) थे।

उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.9 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि छः अनुदानों/विनियोगों के सात मामलों में, कुल 40.88 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। दो करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले **परिशिष्ट-VII घ** में दिए गए हैं। परिणामतः उप शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

उप शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.10 इसी प्रकार, पांच अनुदानों/विनियोगों के छः उपशीर्षों में, जैसा कि **परिशिष्ट-VII-ड**, में उल्लेख किया गया है, जहां उनसे पुनर्विनियोजन करने से पूर्व प्रत्येक के अंतर्गत अंतिम संवितरण मूल प्रावधान से अधिक था, कुल 148.88 करोड़ रु. का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन था। उनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात् अन्तिम प्रावधान में आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों से अधिक था।

अनियमित पुनर्विनियोग

7.11 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

7.12 2003-04 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 74 अनुदानों/विनियोगों के 483 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें एक करोड़ रूपए से अधिक का पुनर्विनियोग किया गया था। इनमें से, 62 अनुदान/विनियोगों के 263 उप-शीर्षों/मामलों में पुनर्विनियोजन बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इस प्रकार इन्हें अनुपूरक अनुदान मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना अपेक्षित था। केवल 68 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोग संसद को सूचित किए गए थे।

सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोग

7.13 सभी पुनर्विनियोग जिनका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत एक करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित पुनर्विनियोजन नियन्त्रण की सीमा प्रावधान के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 7.4 में

उल्लिखित मामलों में, एक करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्विनियोजन के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।

तालिका 7.4: मामले जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
1.	43 - अप्रत्यक्ष कर	2037 - सीमाशुल्क	समुद्री सीमा शुल्क-महापत्तन	मू: अनु. पु.वि.	125.56 40.25 2.27
2.	-वही-	-वही-	राजस्व आसूचना निदेशालय	मू: अनु. पु.वि.	23.51 1.00 1.05
3.	-वही-	2038 - संघ उत्पाद शुल्क	निरीक्षण	मू: अनु. पु.वि.	17.50 9.93 2.60
4.	-वही-	-वही-	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स राष्ट्रीय अकादमी	मू: पु.वि.	8.25 1.10
5.	-वही-	-वही-	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सतर्कता महानिदेशालय	मू: अनु. पु.वि.	13.75 0.19 1.32
6.	-वही-	-वही-	आयुक्तालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)	मू: अनु. पु.वि.	647.17 32.98 9.76
7.	-वही-	4059- लोक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	तैयार आवास का अधिग्रहण	मू: अनु. पु.वि..	15.00 0.01 1.28
8.	47-भारतीय औषधि और होम्योपैथी प्रणाली विभाग	2210- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान	वा: पू. पु.वि.	8.50 0.01 1.23
9.	-वही-	-वही-	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद को अनुदान	मू: अनु.	16.00 1.88
10.	-वही-	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	राज्य औषधि जांच शालाएं/ फार्मेटिक्स	मू: अनु.	3.00 5.70
11.	-वही-	-वही-	जिला अस्पतालों में आई.एस.एम. विंग स्थापित करना	मू: अनु.	2.00 2.32
12.	56 - प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	2202 - सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	मू: अनु. पु.वि.	1929.58 350.00 431.07

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
13.	87 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2553 - संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	अनुदान सहायता	मू. अनु. पु.वि.	1580.00 100.00 2.00

मू. = मूल प्रावधान अनु. = अनुपूरक पु.वि. = पुनर्विनियोजन

अनुपूरक अनुदानों का उपयोग

7.14 1997-98 से आगे सिविल मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VII-च में दी गई हैं। 2003-04 के दौरान प्राप्त किये गए अनुपूरक अनुदानों (सिविल) का विवरण तालिका 7.5 में दिया गया है।

तालिका 7.5: 2003-04 के दौरान सिविल मन्त्रालयों में प्राप्त अनुपूरक अनुदान
(करोड़ रुपयों में)

अनुभाग	राशि
दत्तमत्त	
राजस्व	15888.42
पूंजीगत	1862.50
कर्जे एवं पेशगियां	1516.62
प्रभारित	
राजस्व	4743.53
पूंजीगत	4.32
लोक ऋण	21701.79
कर्जे एवं पेशगियां	1115.19
जोड़	46832.37
अनुदान/विनियोगों की संख्या	81
अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए परन्तु उपयोग नहीं किए गए	
12 अनुदान (17 मामले)	2044.46 करोड़ रु.

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.15 12 अनुदानों से संबंधित 17 मामलों में, जिनके ब्यौरे तालिका 7.6 में दिए गए हैं, जबकि, अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2003-04 के दौरान 2044.46 करोड़ रु. प्राप्त किए गए थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि का अनावश्यक शेष रहना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने को इंगित करता था।

तालिका 7.6: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	8- उर्वरक विभाग	13455.97	520.99	12395.73	1581.23
2.	12- वाणिज्य विभाग	1669.35	205.64	1514.70	360.29
3.	29-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1099.14	30.46	1011.93	117.67
4.	31- आर्थिक कार्य विभाग	4381.12	288.88	2586.26	2083.74
5.	35- राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	26184.64	371.00	26140.06	415.58
6.	51- गृह मंत्रालय	697.30	32.64	680.90	49.04
7.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	754.11	20.03	736.25	37.89
8.	76- सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	5611.19	4.28	5466.01	149.46
9.	90- संस्कृति विभाग	543.72	6.74	537.97	12.49
10.	103- युवा मामले एवं खेल विभाग	431.04	55.03	419.56	66.51
राजस्व प्रभारित					
11.	12- वाणिज्य विभाग	0.20	0.20	0.18	0.22
12.	32- मुद्रा, सिक्के एवं मोहरें	2.10	0.16	1.66	0.60
पूंजीगत-दत्तमत					
13.	29- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	25.45	5.01	24.26	6.20
14.	51- गृह मंत्रालय	20.50	3.05	16.77	6.78
पूंजीगत-प्रभारित					
15.	35- राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अन्तरण	25196.92	500.00	24746.27	950.65
16.	53- पुलिस	342.35	0.25	27.16	315.44
17.	76- सड़क यातायात एवं राजमार्ग	5.30	0.10	4.12	1.28
जोड़			2044.46		

व्यय/संशोधित अनुमानों का अवास्तविक अनुमान

7.16 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने तालिका 7.7 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ रहे। कम्पनी मामलों के मंत्रालय (अनुदान सं.44) द्वारा बचत के

लिए लम्बी न्यायिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, उत्पन्न अप्रत्याशित हालातों के कारण, नव सृजित निकाय (सी.सी.आई.) द्वारा गैर-उन्नति को आरोपित किया गया था (नवम्बर 2004)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि घटनाओं के क्रम का पूर्वानुमान लागये बिना बड़े अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना मंत्रालय की अनियमितता थी। संघ लोक सेवा आयोग (अनुदान सं.74) द्वारा बचत के अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए अतिरिक्त निधियों के प्रावधान ताकि परीक्षाओं के सफल आयोजन में वित्तीय रुकावट न आये, को आरोपित किया था (नवम्बर 2004)। उत्तर इस बात की ओर संकेत करता है कि आयोग वास्तविक व्यय का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा।

तालिका 7.7 : उप-शीर्षों के लिए अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	कारण
1.	37- ऋण की चुकौती	6002.00.221- तेल उत्पादक एवं निर्यात परिषद विशेष निधियों से ऋण	19.99	56.18	18.62	57.55	ऋण की पूर्व अदायगी का कार्यान्वयन न करना
2.	43- अप्रत्यक्ष कर	2037.00.102.01- समुद्री सीमा-शुल्क-महापत्तन	227.53	22.98	214.62	35.89	रिक्त पदों को न भरना/किराये के संशोधन के प्रस्ताव तथा स्थल के किराये पर लेने को अन्तिम रूप देने में देरी।
3.		2037.00.102.05- राजस्व सतर्कता निदेशालय	23.51	1.00	22.95	1.56	लम्बित अधिनिर्णय के मामलों को अन्तिम रूप न दिया जाना।
4.		2038.00.001.06- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सतर्कता महानिदेशालय	13.75	0.19	13.45	0.49	-वही-
5.	44- कम्पनी मामलों का विभाग	3475.00.800.56- भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सी.सी.आई.)	0.45	6.00	0.52	5.93	रिक्त पदों का न भरा जाना।
6.	60- श्रम मंत्रालय	2230.01.102.08- फ़ैक्ट्री सलाह सेवाओं के महानिदेशालय की प्लान योजनाएं (डी.जी.एफ. ए.एस.एल.आई.)	0.90	0.01	0.37	0.54	बचत रिक्त पदों के कारण थी।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	कारण
7.	74- संघ लोक सेवा आयोग	2051.00.101.02-परीक्षाओं तथा चयन पर व्यय	17.97	0.11	17.60	0.48	व्यक्तिगत बातचीत/ साक्षात्कार बोर्ड की कम संख्या तथा प्रत्याशियों एवं पर्यवेक्षकों को भुगतान पर कम व्यय।
8.	90- संस्कृति विभाग	4202.04.104.01 भवन	-	1.00	0.03	0.97	निर्माण परियोजनाओं के लिए आरेखन का संकलन न होना
9.		4202.04.108.01- भवन	-	1.50	-	1.50	शहरी विकास मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय को निधियों के हस्तान्तरण के कारण।

डाक सेवाएं (अनुदान सं.14)

7.17 अनुदान सं.-14 के पूंजीगत भाग के केवल एक शीर्ष अर्थात् 'डाक सेवाओं का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों 2001-02 से 2003-04 तक के लिए निरन्तर बचतें देखी गई थी जैसा कि तालिका 7.8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 7.8 : पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान तथा अनुपूरक	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2001-02	107.38	51.92	55.46	52
2002-03	128.56	41.54	87.02	68
2003-04	129.18	48.16	81.02	63

7.18 विभाग द्वारा 2003-04 के लिए राजस्व (दत्तमत) तथा पूंजीगत (दत्तमत) भागों के अन्तर्गत बचतों के लिए बताये गये कारण निम्न प्रकार थे:

तालिका 7.9 : अनुदान में बचतें

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं. 14	कुल अनुदान या विनियोग	वार्षिक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताये गये सहायक कारण
राजस्व (दत्तमत)	5806.50	5735.88	70.62	<ul style="list-style-type: none"> - योजनागत खंड के अन्तर्गत अपेक्षित प्रशिक्षण देने के लक्ष्यों की कम उपलब्धि। - अपेक्षाकृत कम बिलों का प्रस्तुतीकरण। दावों की अप्राप्ति के कारण व्यय अपेक्षा से कम हुआ था। - मशीनरी एवं उपकरण, व्यावसायिक सेवाओं तथा मितव्ययी उपायों के अन्तर्गत बिलों की अप्राप्ति । - 2003-04 के लिए रेलवे दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिया जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन। - वेतन तथा व्यवसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अपेक्षा से कम व्यय। - आशानुकूल दावों की गैर-प्राप्ति। - पी.टी.सी., मैसूर तथा वड़ोदरा से स्टाफ क्वार्टरों के लिए निर्माणकार्य को सौंपने में विलम्ब। - भूमि-विवाद के कारण नयी परियोजनाओं का आरम्भ न होना। - एम.एम.एस.वाहनों की खरीद के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन न होना तथा अन्तिम बिल की गैर-प्राप्ति।
पूंजीगत (दत्तमत)	129.18	48.16	81.02	<ul style="list-style-type: none"> - 'डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत, डी.जी.एस.एंड डी. को अग्रिम भुगतान में दिये गये चैक का समाधान न करना, कम्प्यूटरों के अधिप्रापण हेतु आपूर्ति आदेशों का देरी से किया जाना, कुछ खंडों द्वारा निधियों का कम उपयोग आदि।
जोड़	5935.68	5784.04	151.64	

रक्षा सेवाएं (अनुदान सं. 21, 22, 23, 24 तथा 26)

7.19 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने दत्तमत भाग के पांच अनुदानों के अन्तर्गत 2001-04 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जैसा कि तालिका 7.10 में विवरण दिया गया है।

तालिका 7.10 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/लघु शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण
21- रक्षा सेवाएं-थलसेना				
109- निरीक्षण संगठन	6.13	11.48	32.89	विदेश यात्रा तथा प्रूफिंग पर आयुध फैक्ट्रियों में कम उत्पादन के कारण कम व्यय।
110- भंडार	278.07	62.63	198.30	कुछ आपूर्तियों आयातित तेल/ल्यूब्रिकैंट्स बिजली के भंडारों का न होना तथा आयुध उद्योगों द्वारा गोला-बारूद की आपूर्तियों में कमियां।
800-अन्य व्यय	47.60	19.12	11.87	भंडारण प्रभारों तथा टेलिफोन बिलों में मितव्ययी उपायों को अपनाना।
22- रक्षा सेवाएं-नौ सेना				
111- निर्माण कार्य	17.64	19.33	20.24	बिजली बोर्ड/नगर पालिकाओं द्वारा बिजली तथा पानी के बिलों को प्रस्तुत न करना, कोची में निकर्षण के अनुमोदन में विलम्ब।
23- रक्षा सेवाएं-वायुसेना				
110- भंडार	130.27	6.75	93.15	हवाई फ्रेमों/हवाई-इंजनों की संपूर्ण सफाई में विलम्ब, डिलीवरी अनुसूची के अनुसार मरम्मत भंडारों की आपूर्ति में विलम्ब एवं वस्तुओं की अप्राप्ति।
111- निर्माण कार्य	5.71	19.82	23.15	कुछ निर्माण कार्यों का निष्पादन न करना, कुछ अनुपूरक बिलों का गैर-भुगतान तथा ऊर्जा-संरक्षण के कारण बिजली टैरिफ में बचत।
800-अन्य व्यय	10.97	7.82	6.94	मितव्ययी उपायों को अपनाना और किराया एवं टेलिफोन टैरिफ बिलों में कमी।
24- रक्षा आयुध कारखाने				
110- भंडार	40.93	173.20	31.18	बैंक के साथ भुगतान लेन-देनों को पूरा करने में विलम्ब, भंडारों की अप्राप्ति तथा एक फर्म से अनापेक्षित बकाया वसूली।
800-अन्य व्यय	14.24	43.51	24.22	बिजली तथा जल/उपभोज्यों तथा कारखानों की आकस्मिक आवश्यकताओं पर कम व्यय।
26- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
05- अनुसंधान एवं विकास संगठन				
111- निर्माण कार्य	16.58	8.45	15.23	एक विशेष योजना के प्रति, कुछ वचनबद्धताओं को पूरा न किया जाना।

7.20 उपर्युक्त अनुदानों के शीर्षों में भारी अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने को इंगित करती है।

अध्याय 8

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं. 33 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान

(वित्त मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.1 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु, विभिन्न कृषि, औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को निवेशों, कर्जों तथा सहायता अनुदान/परिदान के प्रति भुगतान हेतु योजनाएं, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाता है।

समग्र स्थिति

8.2 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 8.1 : समग्र स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान आधिक्य (+)/बचत(-)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2001-02	1990.97	5183.95	1982.46	5915.31	(-)8.51	(+) 731.36
2002-03	7170.19	2545.46	5946.08	2523.12	(-)1224.11	(-)22.34
2003-04	9918.76	3747.24	8753.12	1320.20	(-)1165.64	(-)2427.04

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.3 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। तथापि, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ओर, कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत काफी अधिक व्यय था। उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधानों और अधिक व्यय के कुछ उदाहरण, **परिशिष्ट-VIII-क** और **ख** में दिए गए हैं।

इतने बड़े अव्ययित प्रावधान/आधिक्य, बजट सम्बन्धी पूर्वानुमानों तथा कार्यक्रम प्रबन्धन की दक्षता के पुनरीक्षण की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.4 सा.वि.नि. के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध क के प्रावधानों के अनुसार, लेखा अधिकारी के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान न किया गया हो। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.), अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग के आदेश जारी करके ही प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2001-2004 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि तालिका 8.2 में उल्लिखित मामलों में, मंत्रालय के भु.ले.का. ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक के भुगतान किए तथा विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अन्तिम आधिक्य व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। इस आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया से बचने के परिणामस्वरूप खराब व्यय नियंत्रण हुआ।

तालिका 8.2 : विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल/पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम अधिक व्यय
2001-02	4552.00.800.14 उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाएं/योजनाएं	मू. 7.00 पु. (-) 5.45	7.00	5.45
2002-03	3475.00.800.30 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	मू. 237.98 पु. (-) 7.09	235.60	4.71
2003-04	3475.00.800.30 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	अ. 0.01 पु. 27.92	28.77	0.84

अवास्तविक बजट बनाना

8.5 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को अपने अनुमान बनाते समय, पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्ति और अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। 2001-04 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नीचे दर्शाए गये उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानों के 52 से 100 प्रतिशत अप्रयुक्त रहे और अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये थे जिससे वह उद्देश्य, जिसके लिए संसद द्वारा मूल बजट प्रावधान पारित किये गये थे, विफल हो गया था।

तालिका 8.3 : अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2001-02					
राजस्व भाग					
1.	2885.01.800.01 भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम को अनुदान	62.90	30.08	32.82	52
पूँजीगत भाग					
2.	4885.01.190.03 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पूँजीगत भाग के लिए अंशदान	400.00	-----	400.00	100
2002-03					
राजस्व भाग					
3.	2416.00.800.01 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) को अनुदान	111.55	10.96	100.59	90
4.	2885.01.800.06 भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान	54.95	16.90	38.05	69
5.	3052.80.800.01 एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा जलयानों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अन्तर के लिए आर्थिक सहायता	0.31	-----	0.31	100
6.	3475.00.111.01 रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स से उत्पन्न विनिमय हानि के प्रति एम.ओ.वी.* लेखे का भुगतान	936.95	273.62	663.33	71
7.	3475.00.800.29 भारतीय औद्योगिक क्रेडिट निवेश निगम	34.73	1.55	33.18	96
8.	3475.00.800.55 भारत मिलिनियम जमा पर विनिमय हानि	446.44	100.59	345.85	77
पूँजीगत भाग					
9.	5466.00.202 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान	3.75	-----	3.75	100
10.	5466.00.203 एशियन विकास बैंक में निवेश	10.00	1.51	8.49	85

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
11.	6885.01.190.02 भारतीय औद्योगिक क्रेडिट तथा निवेश निगम	1.00	-----	1.00	100
2003-04					
राजस्व भाग					
12.	2235.60.800.01 भारतीय जीवन बीमा निगम को समुदाय आधारित विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिये भुगतान	70.00	-----	70.00	100
13.	3475.00.111.01 रिसर्जेन्ट इंडिया बॉन्ड्स से उत्पन्न विनिमय हानि के लिए एम.ओ.वी.* लेखाओं का भुगतान	288.57	-----	288.57	100
14.	3475.00.800.29 भारतीय औद्योगिक क्रेडिट निवेश निगम	35.64	-----	35.64	100
15.	3475.00.800.55 भारत मिलिनियम जमा पर विनिमय हानि	423.90	-----	423.90	100
पूंजीगत भाग					
16.	4885.01.190.10 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूंजीगत भाग के लिए अंशदान	772.98	-----	772.98	100
17.	5466.00.201 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	116.20	-----	116.20	100
18.	6885.01.190.03 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1573.00	-----	1573.00	100

* एम.ओ.वी.-मूल्य लेखे का अनुरक्षण

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.6 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होता है तथा इसके अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय उचित सावधानी से कार्य करना होता है। केवल विशेष एवं अतितात्कालिक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में, यद्यपि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये गये थे, तथापि कोई व्यय नहीं किया गया था। यह अनुश्रवण एवं व्यय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 8.4 अव्ययित अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक संवतिरण	अव्ययित प्रावधान
2001-02	4885.01.190.03	अ. 400.00	--	400.00
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पूंजीगत भाग के लिए अंशदान	पु. (-) 400.00		
2002-03	2416.00.800.01	मू. 100.00	10.96	100.59*
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) के लिए अनुदान	अ. 11.55		
		पु. (-) 100.60		
	2885.01.800.02	अ. 18.94	--	18.94
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान			
	6885.01.190.02	अ. 1.00	--	1.00
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम			

* 100 करोड़ रु. के मूल प्रावधान के प्रति केवल 10.96 करोड़ रु. का वास्तविक संवतिरण था जिसका परिणाम था अनुपूरक अनुदान का अप्रयुक्त रहना।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.7 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में यह व्यवस्था है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को संभावित भावी आधिक्य हेतु आरक्षित भी नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि नियमावली के विपरीत मंत्रालय ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्षों के अन्त में अव्ययित प्रावधानों को अभ्यर्पित किया। 2001-04 के दौरान अभ्यर्पित की गयी राशियों का विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका 8.5 : अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2001-02	8.51	731.36*	4.63	98.83	31.3.2002
2002-03	1224.11	22.34	1208.72	21.99	31.3.2003
2003-04	1165.64	2427.04	1157.25	2427.03	31.3.2004

* 2001-02 के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अन्तर्गत 731.36 करोड़ रु. का आनुमानिक निवल अधिक व्यय था जो कि राष्ट्रीय औद्योगिक क्रेडिट पोर्टफोलियो के बकाया शेषों का भा.रि.बैं. की बहियों से भारत सरकार को अंतरण करने के कारण था। अधिक व्यय पूर्ण रूप से तकनीकी था तथा प्रोद्भूत ब्याज के कारण तथा भा.रि.बैं. द्वारा किये गये प्रीमियम भुगतान (लेखा पुस्तक समायोजन) के कारण था जिसमें कोई रोकड़ की अदायगी शामिल नहीं थी। यद्यपि यह राशि लेखाओं में औद्योगिक तथा वित्तीय संस्थानों को कर्जे के अन्तर्गत बुक की गई थी, अनुपूरक मांग केवल कर्जे की मूल राशि के लिए प्राप्त की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, आनुमानिक अधिक व्यय हुआ।

अन्धाधुन्ध व्यय

8.8 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेषरूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत, मार्च के महीने में भारी संवितरण किए गये थे। कुछ उदाहरण नीचे दिए गये हैं:

तालिका 8.6 : अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान	मार्च के दौरान (प्रतिशतता)
2001-02	2075 – विविध सामान्य सेवाएं	125.00	125.00 (100)
	2552 – उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1.50	1.50 (100)
	3465 – सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थान	300.00	300.00 (100)
	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1403.40	996.25 (71)
	4552 – उत्तर पूर्व क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय	7.00	7.00 (100)
	5465 – सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	1300.00	1300.00 (100)
	6885 – औद्योगिक एवं खनिजों को अन्य कर्ज	4443.05	4039.45 (91)
2002-03	2075 – विविध सामान्य सेवाएं	125.00	125.00 (100)
	2885 – उद्योगों व खनिजों पर अन्य परिव्यय	52.02	48.11 (92)
	3465 – सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थान	2449.00	1612.08 (66)
	5465 – सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों में निवेश	770.00	770.00 (100)
	6416 – कृषि संबंधी वित्तीय संस्थानों को कर्ज	100.00	100.00 (100)
	6885 – उद्योगों एवं खनिजों को अन्य कर्ज	524.84	521.17 (99)
2003-04	2235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	235.37	205.57 (87)
	2416 – कृषि सम्बन्धी वित्तीय संस्थान	27.36	9.23 (34)
	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	69.81	36.18 (52)
	6416 – कृषि सम्बन्धी वित्तीय संस्थानों को कर्ज	1.08	1.08 (100)

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग (आं.ले.वि.), वित्त मंत्रालय के सभी तीनों विभागों अर्थात् राजस्व विभाग, व्यय विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक कार्य विभाग, जिससे अनुदान संख्या 33 सम्बन्धित है, की 223 इकाईयों को शामिल करके 31 मार्च 2004 को आं.ले.वि. के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कुल 259 इकाईयां हैं। निम्नलिखित तालिका पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा के लिए नियोजित तथा लेखापरीक्षित की गई कुल इकाईयों की संख्या को दर्शाती है:-

तालिका 8.7: इकाईयों की लेखापरीक्षा में कमी

वर्ष	इकाईयां	
	नियोजित	लेखापरीक्षित
2001-02	153	148
2002-03	187	182
2003-04	136	129

लेखापरीक्षा नियंत्रण रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के पूरा होने के तीन से छः महीने बाद जारी किये गये थे जैसा नीचे दिया गया है:-

तालिका 8.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने में विलम्ब

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में समय अंतराल	इकाईयों की संख्या		
	2001-02	2002-03	2003-04
एक माह के अन्दर	23 (17)	22 (19)	24 (19)
1 से 2 माह	49 (41)	29 (24)	44 (38)
2 से 3 माह	32 (27)	36 (36)	18 (13)
3 से 6 माह	22 (16)	54 (43)	32 (24)
6 माह से ऊपर	11 (10)	15 (13)	8 (8)
जोड़	137 (111)	156 (135)	126 (102)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े आर्थिक कार्य विभाग से संदर्भित हैं।

आर्थिक कार्य विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा से पता चला कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने केवल आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के माध्यम से सृजित लेनदेनों की ही लेखापरीक्षा की थी। बजट बनाने, व्यय नियंत्रण, अधिक व्यय, अव्ययित प्रावधान, योजनाओं का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन इत्यादि पर निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणियां नहीं की गई थी जिसका उपर्युक्त महत्वपूर्ण पक्षों पर समय से चेतावनी संकेतक देने के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता था।

**अनुदान सं. 57 माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)**

प्रस्तावना

8.10 माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तीन संघटक विभागों में से एक है। इसका मुख्य कार्य, शिक्षा नीति तैयार करना, अनुसंधान सहित उच्च शिक्षा के मानक तय करना तथा समन्वय स्थापित करना, तकनीकी शिक्षा का विस्तार तथा विकास करना, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करना, छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करना, अध्ययनों को विकसित व प्रोत्साहित करना तथा संस्कृत और अन्य प्रतिष्ठित भाषाओं में अनुसंधान करना तथा यूनेस्को की सहायता तथा अन्य कार्यक्रमों के साथ इसकी गतिविधियों को समन्वित करना है।

समग्र स्थिति

8.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के दत्तमत भाग के अन्तर्गत, बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान नीचे दर्शाए गये हैं:

तालिका 8.9 : समग्र स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2001 - 2002	4414.76	0.02	4292.42	-	122.34 (3)	0.02 (100)
2002 - 2003	4905.23	0.01	4613.96	-	291.27 (6)	0.01 (100)
2003 - 2004	4956.58	0.01	4740.30	-	216.28 (4)	0.01 (100)

वित्तीय वर्ष के मार्च माह के दौरान अंधाधुंध व्यय

8.12 सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 69 के अनुसार अंधाधुंध संवितरणों को विशेष तौर पर वित्तीय वर्षों के अन्तिम महीनों में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, माह जनवरी-मार्च के दौरान कुल संवितरणों का 24 से 100 प्रतिशत की सीमा तक संवितरण किए गए थे जिनका

विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8.10 : अंधाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण	
		वर्ष के दौरान कुल	मार्च के दौरान (प्रतिशतता)
2001-02	2203- तकनीकी शिक्षा	1185.46	479.27 (40)
	2204- खेलकूद व युवा सेवाएं	0.60	0.21 (35)
	2552- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	14.26	7.59 (53)
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	272.58	176.92 (65)
2002-03	2203- तकनीकी शिक्षा	1365.55	664.42 (49)
	2204- खेलकूद व युवा सेवाएं	0.79	0.64 (81)
	2552- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	15.00	4.50 (30)
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	116.55	32.48 (28)
	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	0.02	0.02 (100)
2003-04	2203- तकनीकी शिक्षा	1371.47	335.65 (24)
	2204- खेलकूद व युवा सेवाएं	0.65	0.47 (72)
	2552- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	21.00	6.00 (29)
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	129.52	60.71 (47)
	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	0.81	0.70 (86)

समस्त निधियों का अनुपयोग या उससे पुनर्विनियोग

8.13 2001-2002 में 29 उप-शीर्षों के अन्तर्गत, 2002-03 में 36 उपशीर्षों के अन्तर्गत तथा 2003-04 में 33 उप-शीर्षों के अन्तर्गत समस्त प्रावधान या तो अप्रयुक्त रहे या पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किये गये थे। दो करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट-ग** में दिये गये हैं। स्पष्टतया प्रावधान, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किये गये बजट परिपत्रों में निहित अनुदेशों के उल्लंघन में, परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त पूर्व-बजट संवीक्षा किये बिना, तैयार किये गये थे।

निरन्तर बचत एवं अवास्तविक बजट बनाना

8.14 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 63 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण-प्रवृत्तियों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए। वर्ष 2001-04 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का निरन्तर कम उपयोग रहा जो अवास्तविक बजट बनाने, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमेपन को इंगित करता था। पिछले तीन वर्षों में कुछ योजनाएं, जिनमें निरन्तर अव्ययित प्रावधान रहे, निम्न प्रकार हैं:-

तालिका 8.11: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

योजना का नाम	वर्ष	व्यय	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा बताए गये सहायक कारण
शिक्षा का व्यावसायीकरण	2001-02	37.15	5.35	अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेश।
	2002-03	11.56	31.44	राज्य सरकार के पास पड़े अव्ययित शेषों का समायोजन आदि।
	2003-04	7.10	42.65	नये पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने, नये विद्यालयों/संस्थानों के चयन हेतु नये प्रस्तावों पर विचार न करना।
समुदाय पोलिटैक्निकों की योजना	2001-02	32.45	20.45	समुदायिक पोलिटैक्निकों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
	2002-03	30.94	34.06	कुछ समुदायिक पोलिटैक्निकों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र उचित फार्मेट में प्रस्तुत न करना।
	2003-04	20.63	51.37	व्यय वित्त समिति द्वारा योजना को अन्तिम रूप न दिया जाना तथा सामुदायिक पोलिटैक्निकों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।

योजना का नाम	वर्ष	व्यय	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा बताए गये सहायक कारण
राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद तथा पुस्तकों को प्रोत्साहन संबंधी गतिविधियों पर अनुदान एवं व्यय	2001-02	0.36	0.14	-
	2002-03	0.75	0.60	शिक्षा, पुस्तकालयों की योजना, गठन स्थिति के अंतर्गत थी।
	2003-04	1.10	0.40	-
बौद्धिक सम्पत्ति, शिक्षा, अनुसंधान तथा सार्वजनिक पहुँच के लिए योजना	2001-02	0.79	2.01	चैन्नई, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय कानून विद्यालय विश्वविद्यालय, बंगलौर में तीन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार चैयरो की स्थापना के लिए कम राशि की संस्वीकृति।
	2002-03	1.88	0.64	कम प्रस्तावों की प्राप्ति
	2003-04	2.19	0.61	कम प्रस्तावों की प्राप्ति
डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल महाविद्यालय न्यास, दिल्ली	2001-02	0.38	0.50	-
	2002-03	0.38	0.47	-
	2003-04	0.40	0.40	-
बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा	2001-02	शून्य	1.00	योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण।
	2002-03	शून्य	0.90	- वहीं-
	2003-04	शून्य	1.00	- वहीं-

उप-शीर्षों के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान

8.15 वर्ष 2001-04 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत भारी अव्ययित प्रावधान थे जो अवास्तविक बजट बनाने तथा विभाग/मंत्रालय की योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन में धीमेपन को इंगित करते थे (परिशिष्ट-VIII-घ)।

अवास्तविक बजट बनाना

8.16 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखकर अपने अनुमानों को तैयार करना अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि 2001-04 की अवधि के दौरान विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये थे जिससे संसद द्वारा पारित बजट प्रावधानों का मूल उद्देश्य विफल रहा। कुछ मामले **परिशिष्ट-VIII-ड** में दिये गये हैं।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.17 मंत्रालयों/विभागों को, अव्ययित प्रावधानों को उनका पूर्वानुमान होते ही अभ्यर्पण करना अपेक्षित है ताकि ऐसी राशियों का अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। यद्यपि विभाग ने 2001-04 के दौरान अव्ययित राशियों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन, और वह भी आंशिक तौर पर अभ्यर्पित किया था, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.12: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2001-2002	122.34	0.02	115.14	0.02	31.03.2002
2002-2003	291.27	0.01	283.24	0.01	31.03.2003
2003-2004	216.28	0.01	209.13	0.01	31.03.2004

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.18 निम्नलिखित उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप, उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत, इन शीर्षों में पुनः विनियोजित राशि से कम थी।

तालिका 8.13: अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2001-02	2202.02.004.02 विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास	मू. 0.20 पु. 0.02	-	0.22
2.	2002-03	2202.80.798.04 यूनेस्को सम्मेलन इत्यादि के लिए प्रतिनियुक्ति एवं प्रतिनिधि मंडल	मू. 0.10 पु. 0.03	0.02	0.11
3.	2002-03	2202.80.001.09 विदेशी शैक्षिक संस्थान	मू. 3.38 पु. 0.21	3.33	0.26
4.	2003 -04	2203.00.112.35 कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान	अ. -- पु. 0.50	-	0.50
5.	2003-04	2203.00.112.36 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	अ. -- पु. 0.50	-	0.50

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.19 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध 'क' के अनुसार लेखा अधिकारी के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि विनियोग की प्रारम्भिक इकाई के किसी उप-शीर्ष के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान न किया गया हो। उन मामलों में, जहां भुगतान के लिए विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदि के आदेश जारी करके ही प्रदान कर दी जायेंगी। वर्ष 2001-04 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित मामलों में मंत्रालय के भु.ले.का. ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक के भुगतान किए यद्यपि विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अन्तिम अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। इस आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के कार्य न करने के परिणामस्वरूप खराब व्यय नियंत्रण हुआ।

तालिका 8.14: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान/ पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य व्यय
2001-02	2202.80.798.04 यूनेस्को सम्मेलन आदि के लिए प्रतिनियुक्ति तथा प्रतिनिधि मंडल	मू. 0.16 पु. (-) 0.08	0.14	0.06
2002-03	2202.80.004.01 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	मू. 39.75 पु. (-) 4.69	35.15	0.09
	2202.80.107.05 बिना न्यायपालिका संघ क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	मू. 0.05 पु. 0.04	0.02	0.01
	2202.80.107.12 विदेशी सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति के प्रति विदेश में जा रहे भारतीय छात्र	मू. 0.80 पु. (-) 0.35	0.46	0.01
2003-04	2202.80.798.04 यूनेस्को सम्मेलन के लिए प्रतिनियुक्ति एवं प्रतिनिधिमंडल आदि	मू. 0.40 पु. (-) 0.06	0.37	0.03
	2203.00.800.01 एशिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक	मू. 0.25 पु. 0.08	0.20	0.03

भा.प्रौ.सं., गुवाहाटी को योजनागत अनुदान का अविवेकपूर्ण जारी करना परिणामतः 45.84 करोड़ रु. के अव्ययित शेष रहे

8.20 वर्ष 2003-04 के लिए भा.प्रौ.सं., गुवाहाटी को 5.00 करोड़ रु., 15.00 करोड़ रु. तथा 40.00 करोड़ रु. की तीन किश्तों में 60 करोड़ रु. योजनागत अनुदान के रूप में जारी किये गये थे। इसके साथ-साथ, संस्थान के पास पिछले वर्ष का 37.07 करोड़ रु. का अव्ययित शेष भी था। वित्तीय वर्ष 2003-04 के अंत में संस्थान के पास 45.85 करोड़ रु. का अप्रयुक्त शेष भी था। प्रथम व द्वितीय किश्त में जारी योजनागत अनुदान (5.00 करोड़ रु.+15.00 करोड़ रु.) तथा पिछले वर्ष का अप्रयुक्त शेष (37.07 करोड़ रु.) मिलकर 57.07 करोड़ रु. हुआ जो समस्त वर्ष के लिए 51.23 करोड़ रु. की पूर्ति के लिए पर्याप्त था। इससे स्पष्ट होता है कि 40.00 करोड़ रु. की जारी की गई तीसरी किश्त अविवेकपूर्ण थी तथा इसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। इस पहलू पर बजट बनाते समय ध्यान देना चाहिये था तथा बड़े अव्ययित शेषों की प्रवृत्ति को बन्द करना चाहिए था।

उपयोग प्रमाण-पत्र

8.21 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 150 के अनुसार, संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र, नियंत्रक-लेखा को प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान उचित रूप से तथा उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, ही उपयोग में लाए गए थे तथा जहां अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी किये गये थे, क्या निर्धारित शर्तें पूरी की गई थी।

2000-01 तथा 2002-03 के दौरान माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदानों से सम्बन्धित उपयोग प्रमाणपत्रों के लेखों की संवीक्षा से पता चला कि 3842.45 करोड़ रु. से संबंधित 1878 उपयोग प्रमाण-पत्र अक्टूबर 2004 में बकाया थे जैसा नीचे वर्णन किया गया है:

तालिका 8.15 : प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपयों में)

सहायता अनुदान संस्वीकृत करने वाला विभाग	अनुदान संस्वीकृति की अवधि/वर्ष	प्राप्य		प्राप्त		बकाया	
		उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	2000-01	1701	3733.86	1379	3677.68	322	56.18
	2001-02	1755	3943.31	1075	2318.89	680	1624.42
	2002-03	882	2172.46	6	10.62	876	2161.85
	जोड़	4338	9849.63	2460	6007.19	1878	3842.45

उपयोग प्रमाण-पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए गये थे जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गये थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

8.22 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध, मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक-लेखा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है, इसके साथ-साथ इसमें शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, युवा मामले एवं खेल-कूद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा इन विभागों के अन्तर्गत सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय, शामिल हैं। वर्तमान में, प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग से संबंधित 27 इकाइयों को शामिल करके आन्तरिक लेखापरीक्षा के अधिकार में कुल 189 इकाइयां हैं। 2001-04 के दौरान स्कन्ध द्वारा कुल 10 इकाइयां निरीक्षित की गई थीं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.16: आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

वर्ष	इकाइयों की कुल संख्या		वास्तव में निरीक्षित		निरीक्षण की गई इकाइयों की प्रतिशतता
	नियमित लेखापरीक्षा	विशेष लेखापरीक्षा	नियमित लेखापरीक्षा	विशेष लेखापरीक्षा	
2001-02	27	8	2	8	7.4
2002-03	27	12	3	12	11.11
2003-04	27	2	5	2	18.5

टिप्पणी: विशेष लेखापरीक्षा में, गै.स.सं./सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकाय जो मंत्रालय के विशेष अनुरोध पर लेखापरीक्षित किये गये थे, सम्मिलित हैं।

इस प्रकार शिक्षा विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति, जिसमें प्रतिवर्ष केवल 7.4 प्रतिशत से 18.5 प्रतिशत इकाइयों की ही लेखापरीक्षा की गई थी, संतोषजनक नहीं थी। विभाग द्वारा बड़ी राशि को निधियों के प्रबन्ध करने तथा इसकी गतिविधियों के बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, व्यय की अर्थव्यवस्था तथा इसकी प्रमात्रा, गति, नियमितता, औचित्य पर प्रभावी नजर रखने के लिये एक आन्तरिक लेखापरीक्षा स्थापित करने की आवश्यकता है।

अनुदान सं. 64- गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत का मंत्रालय

प्रस्तावना :

8.23 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई तथा नवीनीकरण करने योग्य ऊर्जाओं के समग्र क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

समग्र स्थिति

8.24 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति तालिका 8.17 में दी गई है :

तालिका 8.17: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2001-02	420.13	195.86	307.51	195.85	112.62	0.01
2002-03	499.49	130.05	298.31	130.02	201.18	0.03
2003-04	505.13	125.04	299.29	82.04	205.84	43.00

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.25 पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व विभाग के अन्तर्गत 100.00 करोड़ रू. से अधिक के निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। अव्ययित प्रावधान 2001-02 के दौरान 112.63 करोड़ रू. से बढ़कर 2003-04 में 248.84 करोड़ रू. हो गये थे। इतने बड़े अव्ययित प्रावधानों को गत वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था। तथापि, इस प्रवृत्ति को बन्द करने हेतु मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये थे।

अंधाधुंध व्यय

8.26 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुसार, अन्धाधुंध व्यय, विशेष तौर पर वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में, को वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में बड़े संवितरण किये गये थे। कुछ एक उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका 8.18: अन्तिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण		
		वर्ष के दौरान	अंतिम तिमाही के दौरान	अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
2001-02	2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	0.33	0.28	85
	2810- गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत	267.95	167.49	63
	3601- राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	23.40	12.02	51
	4810- गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों पर पूंजीगत व्यय	27.15	13.53	50
2002-03	2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	0.14	0.14	100
	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	45.52	36.50	80
	2810- गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत	223.66	155.22	69
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	14.14	13.68	97
	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	5.14	3.97	77
	4810- गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों पर पूंजीगत व्यय	35.02	17.50	50
	6810- गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के लिए कर्जे	95.00	65.00	68
2003-04	2810- गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोत	265.51	184.97	70
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.83	14.26	68
	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	2.04	1.76	86
	4810- गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों पर पूंजीगत व्यय	40.04	20.00	50
	6810- गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के लिए कर्जे	42.00	42.00	100

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.27 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में प्रावधान है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर, उसको, वित्तीय वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा किये बिना, सरकार को अभ्यर्पित किया जाना होता है। अव्ययित प्रावधान को किसी भविष्य सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि इस नियमावली के प्रतिकूल, मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्षों के अंत में अभ्यर्पित किया था। 2001-04 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका 8.19: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण (दत्तमत्त)

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व (प्रतिशतता)	पूंजीगत (प्रतिशतता)	अभ्यर्पित की तिथि
2001-02	112.62	0.01	104.05 (92)	-	31.3.2002
2002-03	201.18	0.03	186.90 (93)	-	31.3.2003
2003-04	205.84	43.00	194.61 (95)	43 (100)	31.3.2004

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.28 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध-क के प्रावधानों के अनुसार लेखा अधिकारी के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष या विनियोग की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान न किया जाये। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है भुगतान एवं लेखा अधिकारी (भु.ले.अ.) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल लिखित आश्वासन प्राप्त करके भुगतान कर सकता है कि पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके संवितरणों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान कर दी जायेंगी। वर्ष 2003-04 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में मंत्रालय के भु.ले.अ. ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक भुगतान किये थे, यद्यपि, उपलब्ध प्रावधानों से ऊपर अन्तिम अधिक व्यय को पूरा करने हेतु विभाग ने कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के लागू नहीं होने के परिणामस्वरूप खराब व्यय नियंत्रण हुआ। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका 8.20: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान		
		मूल/पुनर्विनियोग	वास्तविक व्यय	अन्तिम अधिक व्यय
2003-04	2810.01.103.04- नेशनल बायो एनर्जी बोर्ड	मू. 0.50 पु. (-)0.16	2.54	2.20
	2810.02.102.02- प्रदर्शन एवं प्रौद्योगिकी	मू. 36.00 पु. (-)0.48	36.36	0.84
	2810.60.800.12- राज्य नोडल एजेसियां	मू. 0.50 पु. 0.43	0.96	0.03

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.29 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 72(2) के अनुसार, निधियों का पुनर्विनियोग तभी किया जायेगा जब वह ज्ञात हो जाये कि हस्तान्तरित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जायेगा या कि बचतों को उस इकाई के लिए पुनर्विनियोग में उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2003-04 के विनियोग लेखाओं की शीर्षवार नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित उपशीर्षों में पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उप-शीर्षों से निधियां पुनर्विनियोग द्वारा हस्तान्तरित की गई थीं उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार, उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य इन उप-शीर्षों से पुनर्विनियोजित की गई राशि से अधिक थे। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका 8.21: अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.)	वास्तविक व्यय	आधिक्य
2003-04	2810.01.103.04- नेशनल बायो एनर्जी बोर्ड	मू 0.50 पु (-) 0.16	2.54	2.20
- वही-	2810.02.102.02- प्रदर्शन एवं प्रौद्योगिकी	मू 36.00 पु (-) 0.48	36.36	0.84

अवास्तविक बजट बनाना

8.30 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 में प्रावधान है कि मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण प्रवृत्तियों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए। 2001-2004 के वर्षों के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

तालिका 8.22: अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अव्ययित प्रावधान
2001-02	2810.02.102.04- सोलर थर्मल पावर जनरेशन	20.00	20.00
	2810.02.102.09- आई.एस.सी.सी. परियोजना के लिए जी.ई.एफ. अनुदान	92.00	92.00
	2810.03.004.01- विंड पावर जनरेशन कार्यक्रम को सहायता	0.25	0.25

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अव्ययित प्रावधान
2002-03	2810.02.102.09- आई.एस.सी.सी. परियोजना के लिए जी.ई.एफ. अनुदान	50.00	50.00
	2810.03.004.01- विंड पावर जनरेशन कार्यक्रम को सहायता	0.75	0.75
	2810.60.800.19- प्रौद्योगिकी व्यापारीकरण निधि	3.00	3.00
	2810.60.800.22- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा सेवा पर राष्ट्रीय योजना	0.92	0.92
	3601.03.218.01- लघु जल विद्युत कार्यक्रम	2.00	2.00
	3601.04.220.01- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा सेवा पर राष्ट्रीय योजना	0.40	0.40
2003-04	2810.02.102.04- सोलर थर्मल पावर जनरेशन	5.00	5.00
	2810.02.102.09- आई.एस.सी.सी. परियोजना के लिए जी.ई.एफ. अनुदान	90.00	90.00
	2810.60.600.07- जीओ- थर्मल ऊर्जा	2.00	2.00
	2810.60.600.08- ओशियन ऊर्जा	3.00	3.00

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.31 तालिका में दिखाए गये अनुदान में निरन्तर अव्ययित प्रावधान घाटे का बजट बनाने या निष्पादन में कमी का संकेतक था।

तालिका 8.23: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	2001-02		2002-03		2003-04	
		प्रावधान	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	प्रावधान	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	प्रावधान	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)
1.	2810.02.102.04- सोलर थर्मल पावर जनरेशन	20.00	20.00 (100)	10.00	9.98 (100)	5.00	5.00 (100)
2.	2810.02.102.09- आई.एस.सी.सी. योजना के लिए जी.ई.एफ. अनुदान	92.00	92.00 (100)	50.00	50.00 (100)	90.00	90.00 (100)
3.	2810.03.004.01- विंड पावर जनरेशन कार्यक्रम को सहायता	0.25	0.25 (100)	0.75	0.75 (100)	0.50	0.25 (50)
4.	2810.60.600.07- जीओ थर्मल ऊर्जा	1.50	1.34 (89)	2.00	1.30 (65)	2.00	2.00 (100)
5.	2810.60.600.08- ओशियन ऊर्जा	0.50	0.48 (96)	4.00	3.90 (98)	3.00	3.00 (100)
6.	2810.60.798.04- विपणन विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन सहायता	1.00	0.99 (99)	1.50	1.49 (99)	0.25	0.25 (100)
7.	3601.04.216.01- सोलर थर्मल ऊर्जा कार्यक्रम	0.05	0.05 (100)	0.03	0.03 (100)	0.03	0.03 (100)
8.	3602.04.215.01- सोलर थर्मल ऊर्जा कार्यक्रम	0.05	0.05 (100)	0.02	0.02 (100)	0.02	0.02 (100)

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.32 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का भुगतान एवं लेखा कार्यालय मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार बजट विनियोग तैयार करने तथा निधियों के पुनर्विनियोग आदि की आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में निरन्तर अनियमिततायें थी।

अनुदान सं. 98 - शहरी विकास विभाग

(शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.33 शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के दो विभाग, नामतः (i) शहरी विकास विभाग तथा (ii) शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, हैं।

शहरी विकास विभाग को, शहरी यातायात मामलों के समन्वय तथा योजना के साथ-साथ शहरी विकास के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा विस्तृत नीति तैयार करने, शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के कार्य सौंपे गये हैं। विभाग, निवासीय आवास को मिलाकर केन्द्रीय सरकार के भवनों के निर्माण एवं अनुसूक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समग्र स्थिति

8.34 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत्त एवं प्रभारित भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति निम्न प्रकार है:-

तालिका 8.24: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान/अधिक व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2001-02	661.40	1359.29	623.91	1361.90	(-) 37.49	(+) 2.61
2002-03	785.80	1886.28	691.88	1829.22	(-) 93.92	(-) 57.06
2003-04	795.60	2241.48	775.60	2126.10	(-) 20.00	(-) 115.38

पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों भागों में निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। लेखापरीक्षण से पता चला कि कुछ गतिविधियों पर व्यय, जैसा अनुमानित था, नहीं किया जा सका था। इससे न केवल त्रुटिपूर्ण बजट बनाने बल्कि निष्पादन में कमी तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों का भी आभास होता है।

बजट बनाने के कार्य को और अधिक वास्तविक बनाने, अनुमानों तथा वास्तविकों में बड़े पैमाने पर विभिन्नताओं को कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि दुर्लभ संसाधनों को, अन्य खंडों की तत्कालिक मांगों को पूरा करने के लिए लाभप्रद उपयोग में लाया जा सके।

कुछ उप-शीर्षों जिनमें 2001-2004 के वर्षों के दौरान समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा जो दो करोड़ रु. से भी अधिक थे, परिशिष्ट-VIII -च में दिये गये हैं।

निरन्तर बचत

8.35 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 63 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को अपने अनुमान बनाते समय गत वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्ति तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। 2001-04 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर प्रावधानों का कम उपयोग हुआ था जबकि अन्य शीर्षों के अन्तर्गत इन वर्षों के दौरान निरन्तर अधिक व्यय हुआ था जो अवास्तविक बजट बनाने, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं के लागू करने में असावधानी को दर्शाता था। कुछ उप-शीर्षों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

तालिका 8.25: पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
1.	2215.02.191.03- चयनित शहरों में हवाई अड्डे के पास ठोस अवशिष्ट के निपटान पर प्रारंभिक परियोजना	5.00 *(100)	5.00 (100)	4.01 (80)
2.	2552.00.800.14- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	37.67 (91)	--	--
3.	4216.01.700.11- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	--	7.66 (87)	5.58 (65)
4.	4216.01.700.34- रोजगार	--	4.51 (81)	4.00 (67)

* (प्रतिशतता)

अव्ययित प्रावधान से प्रभावित योजनायें

8.36 शेष रहे अव्ययित प्रावधानों से प्रभावित महत्वपूर्ण योजनाओं में से कुछ की चर्चा आगे के पैराओं में की गई है।

(i) चयनित शहरों में हवाई अड्डे के पास ठोस अवशिष्ट के निपटान के लिए प्रारम्भिक परियोजना

पक्षियों से टकराने की घटनायें हमारे देश में हवाई दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से हैं जिससे देश में रक्षा हवाईयानों तथा अमूल्य जीवन की भारी क्षति होती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक अन्तर्मंत्रालयी संयुक्त उप-समिति ने, भारतीय वायुसेना के चयनित 10 वायुक्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन और जल निकास सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुशंसा की। उक्त योजना के लिए 2001-04 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार थे:

तालिका 8.26: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2001-02	5.00	शून्य	5.00
2002-03	5.00	शून्य	5.00
2003-04	5.00	0.99	4.01

मंत्रालय ने अनुमोदन प्राप्त न होना, सम्भाव्यता रिपोर्ट, लगाई गई सीमा तथा निधियों की कम आवश्यकता को अव्ययित प्रावधानों पर आरोपित किया। यह घटक जैसे योजनाओं को अन्तिम रूप देने के चरण, सक्षम प्राधिकारियों से संस्वीकृति प्राप्त करने में अपेक्षित समय और योजना के कार्यान्वयन में अन्य समस्याओं इत्यादि पर विचार किए बिना तैयार किए जा रहे प्रावधानों का संकेतक था।

(ii) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति हेतु निम्न लागत स्वच्छता योजना

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति हेतु शहरी निम्न लागत स्वच्छता की केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना प्रारम्भ में गृह मंत्रालय द्वारा 1980-81 में तथा बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आरम्भ की गई थी। 1989-90 से, यह शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के माध्यम से संचालन के अन्तर्गत आई। योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यमान शुष्क शौचालयों को निम्न लागत प्रवाह फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना, तथा मुक्ति प्राप्त सफाई कर्मचारियों को विकल्पी रोजगार प्रदान करना था। बजट प्रावधानों व वास्तविक संवितरण के विश्लेषण से पता चला कि बढ़ते हुए आबंटनों का भारी अनुपात 2001-03 के दौरान अव्ययित रहा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 8.27: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)
2001-02	39.80	10.00	29.80 (75)
2002-03	29.80	4.80	25.00 (84)

योजना के लक्षित परिव्यय का केवल 16 से 25 प्रतिशत का उपयोग, योजना के धीमे कार्यान्वयन को इंगित करता था जिससे योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की गैर प्राप्ति हुई।

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.37 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध-क में निहित प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विनियोग की किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत आबंटित बजट आबंटन से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। उन मामलों में जहां विद्यमान प्रावधान भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.), विभागाध्यक्ष से अनुदान को नियंत्रित करते हुए एक लिखित आश्वासन कि संवितरण को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके आवश्यक निधियां उपलब्ध की जाएंगी, प्राप्त करके भुगतान कर सकता है। वर्ष 2001-04 के दौरान शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में भु.ले.का. ने संस्वीकृत प्रावधान से अधिक भुगतान किये थे हालांकि विभाग ने संस्वीकृत प्रावधान से अधिक अन्तिम व्यय को पूरा करने के लिये कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे जो कि भु.ले.का. द्वारा अप्रभावी व्यय नियंत्रण को इंगित करता है।

तालिका 8.28: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(लाख रूपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष तथा उप-शीर्ष	मूल (मू.) अनुपूरक (अ.) पुनर्विनियोग (पु.)	वास्तविक व्यय	आधिव्यय(+)
2002-03				
1.	4216.01.700.32- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-भारतीय सर्वेक्षण	मू. 100.00 अ. 1.00 पु. (-) 63.00	60.54	22.54
2003-04				
1.	2215.01.004.01- सम्भावित अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रणाली के लिए प्रारम्भिक परियोजना	मू. 25.00 पु. (-) 20.50	7.50	3.00
2.	2216.01.700.02- निर्माण	मू. 25.00 पु. (-) 17.50	10.21	2.71

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.38 अभ्यर्पण एक बजट सम्बन्धी साधन है जिसके द्वारा खर्च करने वाले विभाग द्वारा, अनुदान या विनियोग के उपयोग न किये गये भाग को वित्त मंत्रालय को सूचित

किया जाता है और उसके द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है ताकि इसे किसी दूसरे क्षेत्र को पुनः आवंटित किया जा सके। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में प्रावधान है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों को, उनके पता चलते ही वित्तीय वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा किये बिना तुरन्त सरकार को अभ्यर्पित करना होता है। अव्ययित प्रावधान को भविष्य के किसी भी सम्भावित आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि मंत्रालय ने नियम के विपरीत अव्ययित प्रावधानों को जनवरी माह में संशोधित अनुमानों के स्वीकृत हो जाने के बावजूद, वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया था। 2001-04 के दौरान अभ्यर्पित की गई राशियों के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 8.29: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संशोधित अनुमान स्वीकृत होने की तिथि	अभ्यर्पण की तिथि	राशि जो अभ्यर्पित की गई
2001-02	9.1.2002	31.3.2002	44.90
2002-03	नहीं दिये गये	31.3.2003	117.18
2003-04	31.12.2003	31.3.2004	105.98
		31.3.2004	1.37
		31.3.2004	0.94

अवास्तविक बजट बनाना

8.39 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 में प्रावधान है कि मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट अनुमान पिछले वर्षों के संवितरणों की प्रवृत्ति तथा अन्य घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता अनुदेशों आदि को ध्यान में रखकर ही बनाने चाहिए। 2001-04 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे जो कि अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये थे।

तालिका 8.30: अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्विनियोग	मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण
2001-02			
1.	2215.02.191.03- चयनित शहरों में हवाई अड्डे के पास ठोस अवशिष्ट के निपटान पर प्रारम्भिक परियोजना	5.00	आर्थिक मामलों पर व्यय वित्त समिति तथा मंत्रीमंडल समिति से अनुमोदन की प्राप्ति न होना

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्विनियोग	मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण
2.	2217.05.800.11- सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों का नवीकरण करना	1.00	निधियों की आवश्यकता न होना
3.	4216.01.700.33- आवास पर पूंजीगत परिव्यय गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	0.50	कारण नहीं दिये गए
4.	7601.04.312.01- लघु एवं मध्यम शहरों के संघटित विकास की योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्जे एवं अग्रिम।	1.00	संबंधित शहरों से कर्जे के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव का प्राप्त न होना
2002-03			
5.	2215.01.800.01- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-अनुश्रवण तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली।	0.50	कारण नहीं बताये गये
6.	2215.02.191.03- चयनित शहरों में हवाई अड्डे के पास ठोस अवशिष्ट के निपटान पर प्रारम्भिक परियोजना	5.00	वित्त एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा सं.अ.स्तर पर सीमा लगाना तथा निधियों की कम आवश्यकता
7.	2217.05.800.11- सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों का नवीकरण करना	1.00	- वही-
8.	2217.05.800.12- शहरी सूचना प्रणाली	0.50	- वही-
9.	2217.05.800.13- संग्रहित वित्त विकास निधि	0.50	- वही-
10.	2217.05.800.14- शहरी चेतावनी निधि	0.50	- वही-
11.	2552.00.800.14- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं के लिए प्रावधान	1.00	राज्य सरकारों से प्रस्ताव का प्राप्त न होना
12.	4216.01.700.33- आवास पर पूंजीगत परिव्यय गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत	0.50	- वही-
13.	7601.04.312.01- लघु एवं मध्यम शहरों के संघटित विकास की योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्जे एवं अग्रिम	1.00	वित्त एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा सं.अ.स्तर पर सीमा निर्धारण

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्विनियोग	मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण
2003-04			
14.	2217.05.800.13- शहरी विकास-संग्रहित वित्त विकास निधि	0.50	कारण नहीं दिये गए
15.	2217.05.800.14- शहरी चेतावनी निधि	0.50	- वही-
16.	2552.00.800.14- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना हेतु प्रावधान	1.00	निधियों की आवश्यकता न होना
17.	7601.04.312.01- लघु एवं मध्यम शहरों के संघटित विकास की योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्जे एवं अग्रिम	1.00	अनुदान के राजस्व भाग में आवश्यकता को पूरा करने हेतु

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.40 कुछ मामलों में अनुपूरक अनुदान, अधिक व्यय के पूर्वानुमान के आधार पर प्राप्त किये गये थे, परन्तु अन्तिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था। इस प्रकार अनुपूरक प्रावधान की समग्र राशि अनावश्यक रही। ऐसे कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

तालिका 8.31: अनुपूरक प्रावधान से अधिक अव्ययित प्रावधान

(लाख रूपयों में)

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2001-02					
1.	2052.00.090.28: सचिवालय सामान्य सेवा-सचिवालय-शहरी विकास	1583.00	1.00	1537.07	46.93
2.	कुल मुख्य शीर्ष '4216' : आवास पर पूंजीगत व्यय (प्रभारित)	417.00	60.00	365.72	111.28
2002-03					
3.	4216.01.106.03: शहरी विकास - निर्माण	8900.00	1.00	8651.35	249.65
4.	4216.01.700.32 भारतीय सर्वेक्षण	100.00	1.00	60.54	40.46
2003-04					
5	4216.01.106.03: शहरी विकास-निर्माण	9200.00	2.00	8467.98	734.02

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान के परिणामस्वरूप 734.02 लाख रु. (क्र.सं.5) की बचत को विभाग ने निधियों की कम आवश्यकता तथा कार्य की धीमी गति को आरोपित किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही निधियों की आवश्यकता का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जाना चाहिये था।

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.41 निम्नलिखित उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त मात्रा से अधिक थे। फलतः उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचतें, इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई राशि से अधिक थीं।

तालिका 8.32: निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(लाख रूपयों में)

उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
2001-02			
2216.01.700.05	आवास: सरकारी आवासीय भवन: अन्य आवास: मशीनरी तथा उपकरण (प्रभारित)	मू. 18.00 पु. 0.50	17.60 0.90
2002-03			
4216.01.700.07	आवास पर पूंजीगत व्यय: सरकारी आवासीय भवन: अन्य आवास: गृह मामले।	मू. 200.00 पु. 160.00	197.54 162.46

अंधाधुंध व्यय

8.42 अंधाधुंध संवितरण, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में, वित्तीय नियमन का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचना चाहिये। इसके विपरीत, पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च माह में किये गये मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यय जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है, कुल व्यय के 28 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था।

तालिका 8.33: अन्धाधुंध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय (प्रतिशतता)
2001-02		
1. 2217 शहरी विकास	16.16	6.92 (43)
2. 2552 उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3.58	3.58 (100)
3. 3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	191.71	73.25 (38)

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

मुख्य शीर्ष			कुल व्यय	मार्च में व्यय (प्रतिशतता)
4.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	193.77	66.84 (34)
5.	4552	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	78.91	39.54 (50)
2002-03				
1.	2215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	127.81	52.69 (41)
2.	2217	शहरी विकास	13.45	5.77 (43)
3.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	151.21	50.69 (34)
2003-04				
1.	3601	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	304.38	122.36 (40)
2.	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	144.87	41.90 (29)

अध्याय 9

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन - एक सामान्य मूल्यांकन

राजकोषीय निष्पादन के संक्षिप्त संकेतक

9.1 यह अध्याय 1985-2004 के बीच उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में संक्षिप्त स्थिति दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतक के सेटों को धारण किया गया है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधनों का संग्रहण, व्यय का प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

9.2 इस मुख्य घटक के अंतर्गत संसाधनों की पर्याप्तता, संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वर्तन और आज तक हुए पूँजीगत व्यय का अभिग्रहण करने हेतु आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। राजस्व प्राप्ति- स.घ.उ. अनुपात, वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियां दोनों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित हैं। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है जो, राजस्व प्राप्ति का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा बाध्यता प्रावधान नहीं है, पर सरकार की पहुँच का संकेत देता है। राजस्व और कर उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेतक हैं। अन्य चार पुराने निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक हैं। 1985-2004, VIII वीं और IX वीं योजनाओं (1992-1997 और 1997-2002) और निकटतम गत दो वर्षों के दौरान तालिका 9.1 इन संकेतकों के मान में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 9.1 : संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2004	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2002-03	2003-04
राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ.	12.59	12.71	12.40	12.14	12.23
कर प्राप्ति/स.घ.उ.	9.12	9.32	8.68	8.76	9.17
राजस्व उत्प्लावकता	0.93*	0.94	0.78	1.59	1.07
कर उत्प्लावकता	0.90*	0.96	0.86	1.90	1.44
अग्रिमों पर वापसी	12.84 [#]	11.23	14.15	15.11	15.91
निवेश पर वापसी	4.88 [#]	2.35	5.30	8.83	9.84
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - सामाजिक सेवायें	4.87 [#]	9.57	3.59	2.03	1.91
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - आर्थिक सेवायें	53.48 [#]	57.22	55.80	43.07	45.27

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है। [#] 1987-2004 से सम्बन्धित है।

9.3 VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में, 2003-2004 में राजस्व प्राप्ति और स.घ.उ. के प्रति कर संग्रहणों का अनुपात कम था। यद्यपि पिछले दो वर्षों में राजस्व और उत्प्लावकता में सुधार था, इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। VIIIवीं और IXवीं योजना की अवधि के दौरान इन दोनों चरों के उत्प्लावकता गुणांक एक से कम थे परन्तु पिछले दो वर्षों में इसमें बढ़ोतरी पाई गई थी। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में सकारात्मक सुधार प्रतीत होता था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी थी। अतः संसाधन जुटाने के प्रयासों ने एक मिली जुली स्थिति प्रस्तुत की थी।

व्यय का प्रबंधन

9.4 व्यय के प्रबंधन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता को अभिग्रहण करने के लिए ग्यारह संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। व्यय से स.घ.उ. और उत्प्लावकता के अनुपात (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) के मापदण्ड व्यय के स.घ.उ. से सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में बदलाव के प्रति इसकी अनुकूलता के संकेत करते हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय उन सेवाओं पर पहुँच और उनके विस्तार का संकेत देता है। निश्चित समय सीमा में इन मापदण्डों के मूल्यों का संकेत तालिका 9.2 में दिया गया है।

तालिका 9.2 : व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2004	VIII वी योजना (1992-1997)	IX वी योजना (1997-2002)	2002-03	2003-04
कुल व्यय/स.घ.उ.	19.81	19.66	19.56	19.29	18.28
राजस्व व्यय/कुल व्यय	81.38	78.88	83.61	85.99	86.83
योजनागत व्यय/कुल व्यय	23.02	23.68	20.99	23.40	24.13
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	8.26	9.61	7.00	6.40	6.98
विकास व्यय/कुल व्यय*	41.35	42.24	40.40	39.96	40.10
बचनबद्ध व्यय/राजस्व व्यय	45.62	44.57	47.82	46.26	44.63
बचनबद्ध व्यय/राजस्व प्राप्ति	58.40	54.38	63.08	63.16	57.93
प्रति व्यक्ति व्यय-सामाजिक सेवायें (1993-94 मूल्य, रुपये)	85 [#]	68	105	121	129
प्रति व्यक्ति व्यय- आर्थिक सेवायें (1993-94 मूल्य, रुपये)	735 [#]	693	795	855	874
कुल व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तिओं के साथ (अनुपात)	0.95	0.76	1.09	0.53	0.49
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तिओं के साथ (अनुपात)	1.07	0.94	1.28	0.70	0.57

* विकास व्यय सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का कुल व्यय है। कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

1987-2004 से सम्बन्धित हैं।

9.5 संसाधन संग्रहण पर मापदण्डों के मामले की भाँति व्यय के संबंध में भी मापदण्डों की प्रवृत्ति मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थी। पूंजीगत व्यय में समय के साथ-साथ संकुचन देखा गया, विकास व्यय में गिरावट, योजनागत व्यय में स्थिरता और राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई। IX वी योजना के दौरान वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर बचनबद्ध व्यय में दोनों राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के सापेक्ष में वृद्धि हुई जबकि चालू वर्ष में सकारात्मक सुधार हुआ था। यद्यपि 2002-03 और 2003-04 में राजस्व की उत्प्लावकता और कुल व्यय की राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष में मन्दन था, IX वी योजना (1997-2002) की औसत प्रवृत्ति में VIII वी योजना (1992-1997) के दौरान औसत उत्प्लावकता की तुलना में गिरावट देखी गई। तथापि, 1993-94 के मूल्य पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में बढ़ोतरी थी।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन

9.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे से स.घ.उ. का अनुपात, राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटा सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में नीति का अनिवार्य परिणाम था, यह राजकोषीय सुदृढ़ता का उपयोगी प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व

और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003 द्वारा भी सरकार को 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए बाध्य किया गया था। इन मापदण्डों का निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3 : राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2004	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2002-03	2003-04
राजस्व घाटा/स.घ.उ.	3.53	2.80	3.95	4.44	3.64
राजकोषीय घाटा/स.घ.उ.	5.90	6.04	6.25	5.45	2.92
प्राथमिक घाटा/स.घ.उ.	1.40	1.77	1.49	0.41	-1.70
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	59.77	46.26	63.26	81.56	124.77
चालू राजस्व का बकाया(चा.रा.ब.) (करोड़ रुपयों में)	-11463	-2191	-28622	-38195	-22348

9.7 घाटे से स.घ.उ. और राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता के सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्य हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि चुकौती क्षमता में योगदान बढ़ती तथा देयताओं के पीछे संकल के लिए परिसम्पत्तियों में वृद्धि नहीं होती। यह अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 124.77 प्रतिशत हो गया। यह पहली बार था कि राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा अधिक हो गया था। राजकोषीय घाटा से स.घ.उ. के अनुपात में केवल अल्प सुधार था। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा-स.घ.उ. अनुपात में महत्वपूर्ण कमी को पूर्व के ऋण एवं अग्रिम की भारी वसूली के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता थी। राजस्व प्राप्ति में बढ़ोत्तरी के माध्यम से इस अनुपात में कमी वास्तव में अधिक वांछनीय होगी। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 में राजस्व घाटे को पूरी तरह हटाने के लिए अनिवार्यता में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। 30 वर्षों में पहली बार, चालू वर्ष में स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत के बराबर प्राथमिक राजस्व शेष था। चालू राजस्व का बकाया, योजनेतर राजस्व बकाया का संकेतक है। यदि वे धनात्मक है तो उस सीमा तक चालू राजस्व से योजनागत व्यय को निधि प्राप्त हो रही है। चा.रा.ब. 1990-91 में ऋणात्मक हो गई थी और उसके पश्चात ऐसा होना जारी था।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

9.8 कर्ज की संपोषकता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। ऋण से स.घ.उ. का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज पर तथा स.घ.उ. वृद्धि

में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात (उधार ली गई निधियों का उपयोग) ऋण प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण विमोचन भी उपलब्ध संसाधनों के वर्तमान अनुप्रयोग के स्वायत्तता की डिग्री दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के आठ संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 : राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2004	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2002-03	2003-04
राजकोषीय देयताएँ/स.घ.उ.	60.10	60.72	59.08	62.69	59.87
औसत ब्याज दर-आंतरिक देयताएं	9.01	9.37	10.42	10.03	9.24
औसत ब्याज दर - कुल देयताएं	7.85	7.91	9.06	8.90	8.28
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्ति	95.01	93.10	94.70	97.87	105.33
देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात	53.36	57.68	50.90	44.78	41.48
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	477	478	476	516	489
डोमर गैप	6.29	8.63	1.37	-0.69	3.97
परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता	0.72	0.83	0.70	0.40	

9.9 राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सम्बन्ध में मापदण्डों में प्रवृत्तियाँ भी मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थीं। ऋण-स.घ.उ. अनुपात में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान समेकन के उपरांत 2001-02 तथा 2002-03 में तीव्र वृद्धि देखी गयी थी। तथापि, स.घ.उ. को सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की निम्न वृद्धि के कारण चालू वर्ष में अनुपात संतुलित हो गया था। जबकि IXवीं योजना के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की दर बढ़ गयी, हाल के वर्षों में इसमें मंदन पाया गया था। तथापि, अधिक ऋण प्रलंबन के कारण सरकार ब्याज दरों में संतुलन का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। डोमर गैप 2002-03 को छोड़कर शेष समय में धनात्मक बना रहा। परिसम्पत्तियों का देयताओं से अनुपात 2003-04 में VIIIवीं पांच वर्षीय योजना के दौरान 57.68 की औसत से 41.48 तक गिर गया था जो यह संकेत देता था कि संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं का लगभग 60 प्रतिशत का कोई परिसम्पत्ति सम्बल नहीं था। परिसम्पत्तियाँ राजकोषीय देयताओं की तुलना में कम दर पर बढ़ रही थीं। वास्तव में 2003-04 में सरकारी परिसम्पत्तियों में गिरावट हुई। 1985-2004 के दौरान परिसम्पत्तियों की समग्र उत्प्लावकता 0.72 थी जो इस बात का सूचक थी कि देयताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़त के लिए परिसम्पत्तियाँ केवल 0.72 प्रतिशत ही बढ़ी थी। वर्षों से परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में गिरावट जारी रही। ऋण में पूर्णतया नवीकरण हुआ तथा ब्याज

भुगतान को शामिल करते हुए ऋण विमोचन वर्ष 2003-04 में ऋण प्राप्तियों से अधिक था।


9.10 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, स.घ.उ. के सापेक्ष कम हो गये थे, यह समालोचनीय है कि इनका उपयोग इष्टतम दक्षता के साथ किया जाता है। ये अदक्षताएं संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता, परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों का व्यपगत होना तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम थीं। ये तथा इस प्रतिवेदन में अन्य स्थानों पर इंगित किये गये मामले सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की मांग करते हैं।



(डा. अं.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक 8 अप्रैल 2005

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 13 अप्रैल 2005

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

परिशिष्ट सूची

क्र.सं.	परिशिष्ट संख्या		पृष्ठ सं.
1.	I-क	प्रतिकूल शेष	116
2.	III-क	संघ सरकार का कुल व्यय	118
3.	V-क	संघ सरकार की कुल देयता	119
4.	V-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार	120
5.	VI-क	अनुमोदन तथा संवितरण	121
6.	VI-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	123
7.	VI-ग	सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	124
8.	VI-घ	मार्च माह 2004 के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	125
9.	VII-क	निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (दो करोड़ रु. और उससे अधिक के आधिक्य)	133
10.	VII-ख	अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे	137
11.	VII-ग	उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया	139
12.	VII-घ	प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोचित थे (पुनर्विनियोग के केवल दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख)	140
13.	VII-ङ	उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग के मामले जिनमें अंतिम व्यय शेष प्रावधान से अधिक था	141
14.	VII-च	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	142
15.	VIII-क	संस्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय के विवरण	143
16.	VIII-ख	अव्ययित प्रावधान का विवरण	145
17.	VIII-ग	अनुपयोग/समस्त निधियों का पुनर्विनियोग (समस्त बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा)	148
18.	VIII-घ	अव्ययित प्रावधान	149
19.	VIII-ङ	उप-शीर्षों के अंतर्गत अवास्तविक बजट बनाना	153
20.	VIII-च	एक करोड़ रुपयों से अधिक अव्ययित प्रावधान रहा	155

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट-I क
(पैराग्राफ 1.19 देखें)
प्रतिकूल शेष

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/ लघु)	शेष (31 मार्च 2004 तक)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13			
1.	8121-00-108 स्टाफ लाभकारी निधि (रेलवे की कौशलपूर्ण दिशाये)	डे. 307	2002-03
2.	8443-00-110- पुलिस जमा निधि	डे. 3254	1996-97
3.	8443-00-118- प्राइवेट निकायों के लिए काम पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस की जमा	डे. 7248	2001-02
4.	8448-00-104 भारतीय बीमा संघ की निधि	डे. 2.91	पूर्व 1976-77
5.	8550-00-101- वन पेशगियां	क्र. 18282	1997-98
6.	8679-00-115 अन्य देशों की सरकार के साथ लेखे	डे. 27928	2002-03
विवरणी सं. 14			
7.	6002-202 आस्ट्रिया संघ सरकार से कर्जे	(-) 1666408	1997-98
8.	6002-203 बैल्जियम राज्य सरकार से कर्जे	(-) 1748858	1996-97
9.	6002-204 कनाडा सरकार से कर्जे	(-) 16603591	1999-00
10.	6002-206 डेनमार्क सरकार से कर्जे	(-) 5077395	1999-00
11.	6002-207 यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्जे	(-) 154793	2001-02
12.	6002-208 फ्रांस सरकार से कर्जे	(-) 8963943	2001-02
13.	6002-212 इटली सरकार से कर्जे	(-) 6321835	2001-02
14.	6002-216 पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से कर्जे	(-) 43788197	2003-04
15.	6002-218 अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि से कर्जे	(-) 3223064	1994-95
16.	6002-220 नीदरलैंड सरकार से कर्जे	(-) 33298223	1996-97
17.	6002-221 पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन की विशेष निधि से कर्जे	(-)38800	2003-04
18.	6002-223 स्विस् सरकार परिसंघ और स्विस् बैंक से कर्जे	(-) 632714	2001-02
19.	6002-224 सऊदी निधि से विकास के लिए कर्जे	(-) 839126	1994-95
20.	6002-226 सं.रा.अ. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अभिकरण से कर्जे	(-) 37755327	1995-96
21.	6002-227 पी.एल. 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के अन्तर्गत सं.रा.अ. की सरकार से कर्जे	(-) 7342563	1995-96
22.	6002-228 सं.रा.अ. की सरकार से अन्य विविध कर्जे	(-) 1239853	1998-99
23.	6002-230 रूसी महासंघ की सरकार से कर्जे	(-) 408774	1998-99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/ लघु)	शेष (31 मार्च 2004 तक)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
24.	6002-233 स्वीडन सरकार से कर्जे	(-) 5023733	2003-04
25.	6002-242 आस्ट्रेलिया सरकार से कर्जे	(-) 165145	2003-04
26.	6002-251 स्पेन सरकार से कर्जे	(-) 1296870	2002-03
विवरणी सं. 15			
27.	6202-03-800 अन्य कर्जे	(-) 1876	1986-87
28.	6215-02-800 अन्य कर्जे	(-) 15012	2001-02
29.	6225-01-800 अन्य कर्जे	(-) 755	1994-95
30.	6245-01-101 निःशुल्क सहायता	(-) 805	1986-87
31.	6245-02-101 निःशुल्क सहायता	(-) 2157	1997-98
32.	6401-00-800 अन्य कर्जे	(-) 13357	1986-87
33.	6402-00-102 भू संरक्षण	(-) 5251	1995-96
34.	6403-00-800 अन्य कर्जे	(-) 6428	1994-95
35.	6425-00-108 अन्य सहकारिता को कर्जे	(-) 762495	2003-04
36.	6515-00-102 सामुदायिक विकास	(-) 356	1986-87
37.	6515-00-103 ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम	(-) 1	1986-87
38.	6701-60-800 अन्य कर्जे	(-) 4	1988-89
39.	6851-00-102 लघु उद्योग	(-) 10568	2001-02
40.	6859-00-190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्जे	(-) 102292	2002-03
41.	6860-00-800 अन्य कर्जे	(-) 22	1994-95
42.	7052-02-101 एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	(-) 1041786	2001-02
43.	7053-00-190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्जे	(-) 341587	2002-03
44.	7601-00-05 विशेष योजनागत योजना के लिए कर्जे (झारखंड)	(-) 3	2001-02
45.	7601-01-102 योजनेतर योजना के लिए कर्जे (उत्तरांचल)	(-) 301112	2003-04
विवरणी सं. 16			
46.	8001-00-104 संचयी आवधिक जमा	(-) 288135	1994-95
47.	8002-00-101 डाकघर प्रमाण-पत्र	(-) 6857146	1999-00
48.	8002-00-103 खजाना बचत जमा प्रमाण-पत्र	(-) 6962	पूर्व 1976-77
49.	8002-00-104 रक्षा बचत प्रमाण-पत्र	(-) 137549	1988-89

परिशिष्ट-III क
(पैराग्राफ 3.7 देखें)
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कर्ज और पेशगियां	जोड़
1985-86	49032	8900	13805	71737
1986-87	57911	10991	13431	82333
1987-88	65895	10523	13794	90212
1988-89	76415	11340	15205	102960
1989-90	90138	13399	17370	120907
1990-91	102964	13387	20708	137059
1991-92	116091	13911	18703	148705
1992-93	132794	20586	17619	170999
1993-94	152317	24650	21874	198841
1994-95	177699	19266	23898	220863
1995-96	198302	17544	24810	240656
1996-97	226372	15704	29035	271111
1997-98	277732	20225	35471	333428
1998-99	300456	25200	46594	372250
1999-00	343195	29023	27359	399577
2000-01	342647	25426	27761	395834
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310
2003-04	440086	35401	31330	506817

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट-V- क
(पैराग्राफ 5.3 देखें)
संघ सरकार की कुल देयता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा		कुल देयताएं	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	आरक्षित निधि तथा जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634

* वर्तमान विनिमय दर उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-V- ख

(पैराग्राफ 5.19 देखें)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	विद्युत	16822.79
2.	सड़कें	14573.74
3.	सामाजिक	7190.02
4.	शहरी विकास	9077.41
5.	जल संसाधन प्रबंधन	5270.73
6.	कृषि तथा ग्रामीण विकास	3874.39
7.	पर्यावरण एवं वन विज्ञान	1479.25
8.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	1614.90
9.	अन्य	2115.43
10.	रेलवे	509.25
11.	ऊर्जा (गैस-परम्परागत)	832.67
12.	ढांचागत समायोजन/तीव्र सं. वि.	447.00
13.	स्वास्थ्य	429.99
14.	उद्योग तथा वित्त	178.34
15.	अवसंरचना क्षेत्र (संचार)	96.00
16.	ऊर्जा क्षेत्र	8.06
17.	उर्वरक	0.63
18.	कोयला	0.38
	जोड़	64520.99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 देखें)
अनुमोदन तथा संवितरण

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	208340.36	15888.42	224228.78	208266.66	15962.12
II. पूंजीगत	19634.00	1862.50	21496.50	16584.44	4912.06
III. कर्ज एवं पेशगियां	7085.76	1516.62	8602.38	6249.22	2353.16
जोड़	235060.12	19267.54	254327.66	231100.32	23227.34
प्रभारित					
IV. राजस्व	143833.47	4743.53	148577.00	143837.58	4739.42
V. पूंजीगत	35.74	4.32	40.06	25.96	14.10
VI. लोक ऋण	367078.53	21701.79	388780.32	430963.06	*(+42182.74)
VII. कर्ज एवं पेशगियां	25762.72	1115.19	26877.91	25062.38	1815.53
जोड़	536710.46	27564.83	564275.29	599888.98	*(+35613.69)
कुल जोड़	771770.58	46832.37	818602.95	830989.30	*(+12386.35)
संवितरण की कटौती में वसूलियां			12557.20	12868.21	
कुल निवल प्रावधान			806045.75		
कुल निवल संवितरण				818121.09	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	5595.33	211.17	5806.50	5735.88	70.62
II. पूंजीगत	129.17	0.01	129.18	48.16	81.02
जोड़	5724.50	211.18	5935.68	5784.04	151.64
प्रभारित					
III. राजस्व	0.02	0.20	0.22	0.18	0.04
IV. पूंजीगत	-	0.23	0.23	0.20	0.03
जोड़	0.02	0.43	0.45	0.38	0.07
कुल जोड़	5724.52	211.61	5936.13	5784.42	151.71
संवितरण की कटौती में वसूलियां			85.50	103.91	
कुल निवल प्रावधान			5850.63		
कुल निवल संवितरण				5680.51	

*आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत						
I. राजस्व	46651.19	238.04	46889.23	45554.27	1334.96	
II. पूंजीगत	20942.46	-	20942.46	16856.00	4086.46	
जोड़	67593.65	238.04	67831.69	62410.27	5421.42	
प्रभारित						
III. राजस्व	15.34	2.14	17.48	12.19	5.29	
IV. पूंजीगत	10.30	-	10.30	6.61	3.69	
जोड़	25.64	2.14	27.78	18.80	8.98	
कुल जोड़	67619.29	240.18	67859.47	62429.07	5430.40	
संवितरण की कटौती में वसूलियां			312.39	276.41		
कुल निवल प्रावधान			67547.08			
कुल निवल संवितरण				62152.66		
घ - रेलवे						
दत्तमत						
	75630.77	1519.66	77150.43	75676.23	1474.20	
प्रभारित						
	40.66	14.12	54.78	60.49	* (+) 5.71	
जोड़	75671.43	1533.78	77205.21	75736.72	1468.49	
संवितरण की कटौती में वसूलियां			24045.93-	23911.20		
कुल निवल प्रावधान			53159.28			
कुल निवल संवितरण				51825.52		
कुल	दत्तमत	384009.04	21236.42	405245.46	374970.86	30274.60
भा.स.नि.	प्रभारित	536776.78	27581.52	564358.30	599968.65	* (+) 35610.35
कुल जोड़ भा.स.नि.		920785.82	48817.94	969603.76	974939.51	* (+) 5335.75
व्यय की कटौती में कुल वसूली				37159.73		
वित्त लेखे के अनुसार कुल भा.स.नि.				937779.78		

* आधिक्य

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

परिशिष्ट-VI- ख

(पैराग्राफ 6.6 देखें)

अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	15966.10	7266.64	3.98	1.43	15962.12	7265.21
अनुदानों की संख्या	90	63	1	3		
प्रभारित	4741.47	1829.63	2.05	42182.74	4739.42	(+)40353.11
विनियोगों की संख्या	36	12	2	1		
ख - डाक						
दत्तमत	70.62	81.02	-	-	70.62	81.02
अनुदानों की संख्या	1	1	-	-		
प्रभारित	0.04	0.03			0.04	0.03
विनियोगों की संख्या	1	1				
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	1372.46	4086.46	37.50	-	1334.96	4086.46
अनुदानों की संख्या	4	1	1	-		
प्रभारित	5.29	3.69	-	-	5.29	3.69
विनियोगों की संख्या	5	1				
घ - रेलवे						
दत्तमत	2057.13	582.08	753.29	411.72	1303.84	170.36
अनुदानों की संख्या	13	1	2	1	-	-
प्रभारित	2.54	2.03	7.94	2.34	*(+) 5.40	*(+) 0.31
विनियोगों की संख्या	5	1	6	1	-	-

* आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट-VI- ग

(पैराग्राफ 6.7 देखें)

सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित
								को	को
1.	1992-93	74367	141321	215688	68904	134672	203576	34	66
2.	1993-94	88069	203866	291935	82497	188621	271118	30	70
3.	1994-95	94380	254781	349161	87054	216958	304012	29	71
4.	1995-96	96720	282079	378799	90196	231831	322027	28	72
5.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
6.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
7.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
8.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
9.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
10.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
11.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
12.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट-VI- घ

(पैराग्राफ 6.10 देखें).

मार्च माह 2004 के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1- कृषि तथा सहकारिता विभाग				
1.	2401 – फसल पालन	1294.57	607.63	47
2.	2425 – सहकारिता	42.36	17.51	41
3.	6425 –सहकारिता के लिए कर्जे	76.56	27.62	36
3 – पशुपालन तथा डेरी विभाग				
4.	4405 –मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.91	7.82	88
5 – परमाणु ऊर्जा				
5.	4859-संचार एवं इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7.00	2.00	29
6.	5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	252.50	72.05	29
6 – नाभिकीय शक्ति योजनाएं				
7.	2801-शक्ति	1261.09	504.17	40
8.	4801-शक्ति परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1293.28	328.23	25
7 – रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग				
9.	2852 – उद्योग	42.45	17.87	42
10.	4857 – रसायन तथा पेट्रो रसायन उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.50	1.50	100
11.	6856 – पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए कर्जे	0.87	0.37	43
8 – उर्वरक विभाग				
12.	3475 –अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	520.98	520.98	100
13.	6855 –उर्वरक उद्योगों के लिए कर्जे	438.90	104.18	24
9 –नागर विमानन मंत्रालय				
14.	7053 –नागर विमानन के लिए कर्जे	11.04	4.54	41
10 – कोयला मंत्रालय				
15.	2230 – श्रम एवं रोजगार	29.38	8.38	29
11 – खान मंत्रालय				
16.	4853 – अलोह खनन धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	114.10	94.09	82

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
12 – वाणिज्य मंत्रालय				
17.	2407 – वृक्षारोपण	416.64	253.91	61
18.	5453 – विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन पर पूंजीगत परिव्यय	349.84	167.12	48
13 – औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग				
19.	2852 – उद्योग	141.05	56.01	40
20.	2885 – उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	106.53	43.57	41
21.	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.76	8.25	28
22.	4059 – लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	19.99	12.48	62
16 – सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
23.	2250 – अन्य सामाजिक सेवाएं	0.27	0.11	41
24.	2852 – उद्योग	286.62	113.21	40
25.	3453 – विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	6.54	5.34	82
26.	4859 – संचार एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.83	3.58	36
27.	5475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	50.36	24.08	48
17 – उपभोक्ता मामले विभाग				
28.	5475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.63	0.24	38
27 – उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग				
29.	2070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4.43	1.06	24
30.	2885 – उद्योगों पर अन्य परिव्यय	15.40	15.40	100
31.	3601 – राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	785.00	184.80	24
32.	7601 – राज्य सरकारों को अग्रिम एवं कर्जे	87.22	21.62	25
28 – विनिवेश मंत्रालय				
33.	3451 – सचिवालय आर्थिक सेवायें	47.42	12.08	25
29 – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
34.	2406 – वानिकी एवं वन्य जीवन	358.04	105.96	30
35.	3435 – परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण	386.06	130.88	34
36.	4406 – वानिकी एवं वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय	7.48	3.10	41
37.	6406 – वानिकी एवं वन्यजीवन के लिए कर्जे	5.00	2.00	40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
30 – विदेश मंत्रालय				
38.	2061-विदेश मामले	1805.06	405.07	22
39.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	22.15	16.45	74
40.	4059-लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	22.34	10.98	49
41.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14.25	11.15	78
31 – आर्थिक मामलों का विभाग				
42.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.47	1.46	100
43.	3054-सड़क एवं पुल	866.00	866.00	100
44.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.41	169.11	95
45.	3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	119.40	65.29	55
32 – मुद्रा सिक्के एवं टिकटें				
46.	2046-मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल	586.47	190.28	32
47.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	244.74	83.36	34
48.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	17.25	4.07	24
35 – राज्य तथा संघ राज्य सरकारों को अन्तरण				
49.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	50.00	50.00	100
41 – राजस्व विभाग				
50.	4059-लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	43.00	43.00	100
42 – प्रत्यक्ष कर				
51.	4059-लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	12.68	5.38	42
52.	4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.63	0.90	55
43 – अप्रत्यक्ष कर				
53.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.19	8.94	59
54.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	10.28	5.94	57
45 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
55.	2405 – मत्स्य पालन	13.70	8.70	64
56.	2408 – खाद्य भंडारण एवं गोदाम	47.55	18.64	39
46 – स्वास्थ्य विभाग				
57.	3601-राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	278.29	131.44	47
58.	3602-संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	2.47	1.34	54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
59.	3606-सहायता सामग्री और उपकरण	25.18	12.44	49
60.	4210-लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय	241.78	84.54	35
47 – भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक विभाग				
61.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	0.12	0.12	100
49 – भारी उद्योग विभाग				
62.	6860-उपभोक्ता उद्योगों को कर्जे	25.88	19.66	76
50 – सार्वजनिक उद्यम विभाग				
63.	2852-उद्योग	9.16	2.73	30
51 – गृह मंत्रालय				
64.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	1.28	0.91	71
65.	3601-राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	85.43	47.30	55
66.	4059- लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	16.31	8.01	49
53 – पुलिस				
67.	3601-राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	1106.95	751.46	68
68.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1319.09	673.44	51
69.	7601-राज्य सरकारों को अग्रिम एवं कर्जे	24.48	13.98	57
54 – गृह मंत्रालय के अन्य व्यय				
70.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	6.79	2.42	36
71.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.58	0.52	90
72.	3053-नागर; विमानन	20.00	4.45	22
73.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	410.13	192.22	47
56 – प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
74.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	4.23	1.87	44
58 - महिला एवं बाल विकास विभाग				
75.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	168.78	41.64	25
59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
76.	2205-कला एवं संस्कृति	3.20	1.23	38
77.	4220-सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	9.53	8.35	88

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
60 - श्रम मंत्रालय				
78.	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	100
62 - विधि एवं न्याय मंत्रालय				
79.	2014-न्याय प्रशासन	22.04	7.84	36
80.	2015-चुनाव	449.55	147.14	33
81.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	89.37	46.50	52
82.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	5.92	2.92	49
67 - कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय				
83.	7601-राज्य सरकारों को अग्रिम एवं कर्जे	9.00	4.50	50
68 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
84.	4802- पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	319.36	319.36	100
69 - योजना मंत्रालय				
85.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.22	3.10	25
70 - विद्युत मंत्रालय				
86.	2801-विद्युत	1435.44	451.01	31
76 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
87.	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं	35.19	5.89	17
88.	3054-सड़क एवं पुल	3952.28	3685.47	93
89.	3055-सड़क परिवहन	34.55	15.92	46
90.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1434.73	369.99	26
91.	7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्जे	289.78	174.94	60
78 - भूमि संसाधन विभाग				
92.	2506-भूमि सुधार	0.25	0.25	100
80 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
93.	5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	15.61	8.97	57
94.	5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	39.43	19.30	49
82 - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग				
95.	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	257.59	63.66	25
83 - जहाजरानी मंत्रालय				
96.	3051 - पत्तन एवं प्रकाश-स्तम्भ	353.56	241.67	68
97.	2852-उद्योग	12.39	12.28	99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
98.	3056- अन्तर्देशीय जल परिवहन	85.09	33.89	40
99.	5051- पत्तन एवं प्रकाश -स्तम्भ पर पूंजीगत परिव्यय	47.43	17.03	36
100.	5052- जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	3.62	1.79	49
101.	5075- अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	1.09	1.09	100
85 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
102.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	57.45	25.51	44
103.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	811.45	312.45	39
104.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	4.42	1.40	32
105.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	89.62	86.26	96
86 - अंतरिक्ष विभाग				
106.	3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	1372.70	356.84	26
87 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
107.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.70	2.30	62
88 - इस्पात मंत्रालय				
108.	2852 उद्योग	1047.15	972.45	93
89 - कपड़ा मंत्रालय				
109.	3453 विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	0.61	0.20	33
110.	3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	118.73	70.63	59
111.	4851 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7.27	7.27	100
90 - संस्कृति विभाग				
112.	2205-कला एवं संस्कृति	521.84	127.53	24
113.	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	13.87	3.52	25
114.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2.26	1.41	62
91 - पर्यटन विभाग				
115.	3452 -पर्यटन	165.15	49.60	30
116.	5452 -पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	223.31	88.29	40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
92 - जनजातीय मंत्रालय				
117.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर पूंजीगत परिय्यय	17.29	15.42	89
93 - अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह				
118.	2203-तकनीकी शिक्षा	6.86	2.83	41
119.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.10	1.13	54
120.	3052-जहाजरानी	140.80	47.66	34
121.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिय्यय	6.29	1.67	27
122.	4059-लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिय्यय	10.61	6.20	58
123.	4405-मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिय्यय	1.63	1.29	79
124.	4408-खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूंजीगत परिय्यय	1.05	0.53	50
125.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिय्यय	4.01	1.30	32
126.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिय्यय	5.74	5.03	88
127.	5052-जहाजरानी पर पूंजीगत परिय्यय	60.00	15.72	26
128.	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिय्यय	12.76	6.20	49
99 -लोक निर्माण				
129.	4059- लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिय्यय	144.21	52.27	36
130.	4885- खनिज एवं उद्योगों पर पूंजीगत परिय्यय	3.93	1.51	38
131.	5052- जहाजरानी पर पूंजीगत परिय्यय	6.26	2.10	34
132.	5455- मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिय्यय	7.04	3.16	45
101 - शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
133.	2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं	2.73	1.18	43
134.	2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	24.27	24.27	100
135.	3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.01	3.04	76
136.	3602 संघ शासित -क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	1.91	1.53	80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
102 - जल संसाधन मंत्रालय				
137.	2705 - कमाण्ड एरिया डवलपमेन्ट	2.57	2.07	81
138.	2711 - बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	101.09	21.93	22
139.	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	161.04	145.47	90
140.	4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.89	2.64	91
141.	4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.78	1.61	90
103 - युवा मामले एवं खेल विभाग				
142.	2204 - युवा एवं खेल सेवाएं	297.16	142.20	48
25 - रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास				
143.	2080 - रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	2710.91	640.77	24
26 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
144.	4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16862.61	5916.06	35

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट VII-क

(पैराग्राफ 7.3 देखें)

निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(दो करोड़ रुपये और उससे अधिक के आधिक्य)

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं. सिविल	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
12-वाणिज्य विभाग				
1.	व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त	मू. 65.59 पु. 2.66	70.90	2.65
30- विदेश मंत्रालय				
2.	विदेश मंत्रालय	मू. 128.92 पु. पु.(-)22.32	109.43	2.83
3.	विशेष प्रतिनिधिमंडल	मू. 3.95 पु. 11.25	18.97	3.77
4.	भूटान को सहायता	मू. 644.00 पु. 52.00	701.34	5.34
5.	आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. 30.50 पु. 10.39	45.13	4.24
6.	विदेश मामले	मू. 35.00 पु. पु.(-)24.00	14.25	3.25
31-आर्थिक मामलों का विभाग				
7.	रेलवे को भुगतान	मू. 1213.43 अ. 0.01 पु. 14.66	1327.81	99.71
34- ब्याज भुगतान				
8.	मार्केट ऋणों पर ब्याज	मू. 66558.00 अ. 650.22 पु. 1438.78	68764.56	117.56
9.	91 दिवसीय खजाना बिल पर खजाना बिलों पर कटौती	मू. 310.00 पु. 103.00	417.46	4.46
10.	1998, गोल्ड बाण्डों पर ब्याज	--	17.03	17.03
11.	14 दिवसीय खजाना बिल	मू. 160.00 पु. 30.00	208.69	18.69
12.	प्रतिपूर्ति तथा अन्य बांड	मू. 2611.89 पु. 420.56	3417.67	385.23
13.	इराक निर्यातों के विरुद्ध बांड	मू. 17.91	42.44	24.53
14.	आई.बी.आर.डी. से ऋणों पर ब्याज	मू. 676.48 पु.(-) 121.93	570.36	15.81
15.	एशियन डवलपमेन्ट बैंक से ऋणों पर ब्याज	मू. 355.90 पु.(-) 97.29	283.18	24.58
16.	अन्य राज्य भविष्य निधियां	मू. 977.46 पु. 4.52	996.68	14.70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
17.	राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. 737.94 पु. (-)3.23	745.68	10.97
18.	राष्ट्रीयकृत बैंकों को विशेष प्रतिभूतियां जारी की गईं	मू. 1887.00 पु. 33.63	1931.87	11.24
19.	भारतीय रैंक के असंवितरित वेतन के लिए बोनस	मू. 50.03 पु. 13.37	66.41	3.01
20.	सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना पर ब्याज	मू. 80.00 पु. 5.00	97.08	12.08
21.	रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि	मू. 66.81 पु. 66.15	150.28	17.32
22.	बदरपुर धर्मल पावर स्टेशन मूल्यहास आरक्षित निधि	मू. 97.43 पु. (-) 8.47	91.95	2.99
23.	रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. 0.04 पु. 6.83	18.99	12.12
24.	रेलवे पेंशन निधि	मू. 49.31 पु. 24.59	82.42	8.52
25.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जमा	मू. 185.00 पु. 100.00	318.28	33.28
35-राज्य तथा संघ राज्य सरकारों को अंतरण				
26.	प्रचंड विपदा के लिए राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	--	1587.42	1587.42
27.	विशेष योजनेतर सहायता	--	2.00	2.00
37-ऋणों का पुनर्भुगतान				
28.	उपाय और साधन अग्रिम	मू. 160000.00 पु. पु.(-)106463.00	96615.00	43078.00
29.	14 दिवसीय खजाना बिल	मू. 110922.00 पु. 22790.00	143155.35	9443.35
30.	9 % रिलीफ फंड 1999	मू. 554.88 पु. (-)32.19	532.76	10.07
42-प्रत्यक्ष कर				
31.	आय - कर से हस्तांतरित शुल्क	मू. 117.69	129.20	11.51
32.	आय-कर से हस्तांतरित शुल्क	मू. 78.02	85.65	7.63
46-स्वास्थ्य विभाग				
33.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान	मू. 38.50 पु. 6.00	46.70	2.20
59-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
34.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मू. 15.22 पु. (-)0.10	18.92	3.80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
60-श्रम मंत्रालय				
35.	शिक्षा	मू. 34.72 पु. (-)0.42	39.06	4.76
68-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
36.	सुदूर क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पाद पर भाड़ा सहायता	मू. 246.00 पु. (-) 195.59	58.74	8.32
76-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
37.	सड़क विंग द्वारा रखरखाव	मू. 689.54 अ. 4.25	714.63	20.84
38.	सड़क रखरखाव	मू. 51.82 पु. 6.76	63.04	4.46
39.	बी.आर.डी.बी. के अन्तर्गत सड़क का निर्माण	मू. 373.66 पु. 10.67	411.22	26.89
40.	बी.आर.डी.बी. के अन्तर्गत सड़क का निर्माण	मू. 17.50 पु. 5.00	24.50	2.00
41.	बी.आर.डी.बी. के अन्तर्गत निर्माण	मू. 356.40 अ. 0.01 पु. 133.57	510.67	20.69
81-वैज्ञानिक एवं उद्योग अनुसंधान विभाग				
42.	प्रशासन	मू. 166.00 पु. (-)1.00	185.00	20.00
43.	छात्रवृत्ति एवं शिक्षावृत्ति अनुसंधान योजनाएं	मू. 57.00 पु. (-) 2.00	68.00	13.00
44.	प्रज्ञात्मक स्वामित्व एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन	मू. 17.00	20.00	3.00
रक्षा				
21-सैन्य रक्षा सेवाएं				
45.	सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 11553.35 पु. (-) 139.26	11578.05	163.96
46.	परिवहन	मू. 983.25 पु. 182.03	1220.55	55.27
47.	निर्माण	मू. 2285.19 पु. 249.88	2545.91	10.84
48.	राष्ट्रीय राइफल	मू. 1122.13 पु. (-) 100.00	1113.78	91.65
22-नौसेना रक्षा सेवाएं				
49.	नौसेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 789.99 पु. (-) 34.88	762.64	7.53

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
24-रक्षा आयुध कारखाना				
50.	थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना की आपूर्ति के लिए रक्षा वसूलियां-901 से 904	मू. (-) 6050.30 अ. 238.04 पु. 9.84	(-)5698.15	104.27
25-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास				
51.	निर्माण	मू. 183.24 पु. (-) 2.63	185.77	5.16
26-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
01- थल सेना				
52.	भारी एवं मध्यम वाहन	मू. 114.72 पु. 209.71	361.68	37.25
53.	अन्य उपकरण	मू. 3973.11 पु. (-) 626.53	3431.42	84.84
54.	निर्माण कार्य	मू. 1214.83 पु. (-) 304.65	935.85	25.67
03-वायु सेना				
55.	अन्य उपकरण	मू. 1069.80 पु. 9.06	1092.06	13.20

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट-VII-ख

(पैराग्राफ 7.4 देखें)

अनुदान/ विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय	अव्ययित प्रावधान की राशि
सविल		
राजस्व - दत्तमत		
1.	1- कृषि तथा सहकारिता विभाग	161.94
2.	6-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	205.49
3.	8-उर्वरक विभाग	1581.23
4.	10-कोयला मंत्रालय	208.24
5.	11- खान मंत्रालय	262.60
6.	12-वाणिज्य विभाग	360.29
7.	18-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2732.76
8.	29-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	117.67
9.	31-आर्थिक मामलों का विभाग	2083.74
10.	33-वित्तीय संस्थानों को भुगतान	1165.64
11.	35-राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित	415.58
12.	39-पेंशन	104.73
13.	42-प्रत्यक्ष कर	160.56
14.	48-परिवार कल्याण विभाग	791.31
15.	57-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	216.28
16.	58-महिला एवं बाल विकास विभाग	549.51
17.	64-गैर परंपरा - ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	205.84
18.	68-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1568.12
19.	70-विद्युत	422.51
20.	76-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	149.46
21.	80-विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	203.12
22.	85-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	191.47
23.	89-कपड़ा मंत्रालय	164.69
24.	102-जल संसाधन मंत्रालय	152.35
राजस्व - प्रभारित		
25.	34-ब्याज भुगतान	290.50
26.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित	4317.55
27.	92-जनजातीय मंत्रालय	118.38
पूंजीगत - दत्तमत		
28.	5-परमाणु ऊर्जा	174.65
29.	18-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	256.56
30.	19-रक्षा मंत्रालय	139.77
31.	32-मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	139.47
32.	33-वित्तीय संस्थानों को भुगतान	2427.04
33.	36-सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण	241.94
34.	43-अप्रत्यक्ष कर	223.63
35.	59-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	137.41
36.	70-विद्युत मंत्रालय	1337.41

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

		(करोड़ रूपयों में)
क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय	अव्ययित प्रावधान की राशि
37.	76- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	957.19
38.	83-जहाजराणी मंत्रालय	265.62
39.	98- शहरी विकास विभाग	113.59
पूँजीगत - प्रभारित		
40.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	555.96
41.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित	950.65
42.	53-पुलिस	315.44
रक्षा		
राजस्व - दत्तमत		
43.	21-रक्षा सेवाएं-थल सेना	538.40
44.	22-रक्षा सेवाएं-जल सेना	178.50
45.	23-रक्षा सेवाएं-वायुसेना	622.34
पूँजीगत - दत्तमत		
46.	26-रक्षा सेवाएं और पूँजीगत परिव्यय	4086.46
रेलवे		
राजस्व - दत्तमत		
47.	4 - मरम्मत एवं रखरखाव का स्थाई निर्माण कार्य	239.59
48.	5 - प्रेरक विद्युत की मरम्मत एवं रखरखाव	187.98
49.	7 - संयंत्र एवं उपस्कर की मरम्मत एवं रखरखाव	147.52
50.	8 - परिचालन खर्च-चल स्टाक और उपस्कर	198.47
51.	9 - परिचालन खर्च - यातायात	433.54
52.	13 - भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	481.81
पूँजीगत - दत्तमत		
53.	16 - रेलवे निधियां	308.51
54.	16 - रेलवे सुरक्षा निधि	266.82

परिशिष्ट -VII-ग

(पैराग्राफ 7.6 देखें)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन	कुल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पण राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	31-आर्थिक मामलों का विभाग	2083.74	2110.81
2.	68-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1568.12	1576.42
3.	91-पर्यटन विभाग	1.39	1.49
4.	97-लक्षद्वीप	25.03	25.55
राजस्व प्रभारित			
5.	34-ब्याज भुगतान	290.50	789.89
पूँजीगत - प्रभारित			
6.	35-राज्य एवं संघ शासित-क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित	950.65	952.65
7.	37-कर्ज का पुनर्भुगतान	*	7166.25
रक्षा सेवाएं			
राजस्व - दत्तमत			
8	21-रक्षा सेवाएं थल सेना	538.40	571.45
9	25-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	33.22	35.05

* 42182.74 करोड़ रू. का आधिक्य व्यय

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट -VII-घ

(पैराग्राफ 7.9 देखें)

प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोजित थे
(पुनर्विनियोग के केवल दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख)

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	संख्या तथा अनुदान की प्रकृति	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	उपशीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उपशीर्ष में अंतिम अव्ययित प्रावधान
सिविल					
1.	11- खान मंत्रालय	2853-अलोह और धातुकर्मीय उद्योग	प्रशासनिक सहायता	2.46	4.68
2.	43-अप्रत्यक्ष कर	2037-सीमा शुल्क	समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन	2.27	16.99
3.	43-अप्रत्यक्ष कर	2038-संघ उत्पाद शुल्क	आयुक्तालय (फील्ड कार्यालयों सहित)	9.76	21.37
4.	89-कपड़ा मंत्रालय	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग - हथ करघा उद्योग	परिकल्पना और तकनीकी उन्नति	2.26	7.51
रक्षा सेवाएं					
5.	21-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076- रक्षा सेवाएं - थल सेना	अन्य व्यय	2.77	11.87
6.	22-रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077-रक्षा सेवाएं - जल सेना	निर्माण	19.17	20.24
डाक					
7.	-वही -	3201-डाक सेवाएं	प्रशिक्षण	2.19	3.06
				40.88	

परिशिष्ट -VII-ड

(पैराग्राफ 7.10 देखें)

उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग के मामले जिनमें अंतिम व्यय शेष प्रावधान से अधिक था

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	संख्या तथा अनुदान की प्रकृति	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उपशीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप-शीर्ष के अन्तर्गत अत्यधिक राशि
1.	30-विदेश मंत्रालय	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	एस.सी.ए.पी. प्रोग्रामक	0.76	1.97
2.	34-ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	राज्य रेलवे भविष्य निधि	3.23	10.97
3.	81-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	प्रशासन	1.00	20.00
4.	-वही -	-वही -	छात्रवृत्ति एवं शिक्षावृत्ति अनुसंधान योजनाएं	2.00	13.00
रक्षा सेवाएं					
5.	21-रक्षा सेवाएं -थल सेना	2076-रक्षा सेवाएं - थल सेना	थल सेना को वेतन एवं भत्ते	139.26	163.96
6.	25-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	2080-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	निर्माण	2.63	5.16
				148.88	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-04

परिशिष्ट-VII-च
(पैराग्राफ 7.14 देखें)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत					जोड़
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	लोक ऋण	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	
1997-98	मूल	94519	97177	9907	6258	227229	8	25150	460248
	अनुपूरक	30641	62	3507	781	130735	4	5673	171403
	प्रतिशतता	32	0.1	35	12	58	50	23	37
1998-99	मूल	109434	105200	18600	6724	359080	16	29687	628741
	अनुपूरक	3329	32	43	953	-	23	10068	14448
	प्रतिशतता	3	0.03	0.23	14	-	144	34	2
1999-00	मूल	118638	121084	18582	5638	360893	107	17963	642905
	अनुपूरक	12780	8438	1545	597	-	16	3573	26949
	प्रतिशतता	11	7	8	11	-	15	20	4
2000-01	मूल	132204	153591	14185	5775	354767	25	21216	681763
	अनुपूरक	19672	19	486	1355	-	6	906	22444
	प्रतिशतता	15	-	3	23	-	24	4	3
2001-02	मूल	158814	131178	20389	5215	285150	35	21339	622120
	अनुपूरक	20256	13	3842	9620	40628	1	3334	77694
	प्रतिशतता	13	-	19	184	14	3	16	13
2002-03	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190
	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611
	प्रतिशतता	10	-	4	89	18	4	6	12
2003-04	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	7

परिशिष्ट -VIII-क
(पैराग्राफ 8.3 देखें)
संस्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय के विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अधिक व्यय			अधिक व्यय के कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय	
वर्ष 2001-02					
1.	मुख्य शीर्ष – “3465” – सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थान				
	भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता	229.18	300.00	70.82	यू.एस. 64 के सम्बन्ध में आश्वासित पुनः खरीद मूल्यों और एन.ए.वी. के बीच कमी को पूरा करने के लिए।
2.	मुख्य शीर्ष – “3475” – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	भारतीय सहस्रत्राब्दि जमाओं पर विनिमय हानि	0.01	370.21	370.20	सहस्रत्राब्दि जमाओं में विनिमय हानि के प्रति सरकारी अंशदान के लिए अधिक राशि की आवश्यकता
3.	मुख्य शीर्ष – “6885” – उद्योग तथा खनिजों को अन्य ऋण				
	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	1345.19	2172.80	827.61	एन.आई.सी. -एल.टी.ओ. ऋणों को अंतरित करने के लिए अधिक आवश्यकता
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	643.29	1157.02	513.73	एन.आई.सी.- एल.टी.ओ. ऋणों को अंतरित करने के लिए अधिक आवश्यकता
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	5.56	403.97	398.41	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ईक्विटी को बढ़ाने के लिए जारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रति सरकार द्वारा ऋण अंशदान
2002-03					
4.	मुख्य शीर्ष – “5466” – अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश				
	प्रतिभूतियों में निवेश	12.75	21.17	8.42	आवश्यकताएं बजट अनुमान स्तर पर नहीं दर्शायी गईं।
2003-04					
5.	मुख्य शीर्ष – “2235” – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
	वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	30.01	45.00	14.99	भारतीय जीवन बीमा निगम को अतिरिक्त ब्याज की आर्थिक सहायता

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अधिक व्यय			अधिक व्यय के कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय	
6	मुख्य शीर्ष – “3475” – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	गृह विकास वित्त निगम	1.01	32.79	31.78	गृ.वि.वि.नि. द्वारा उपयोग में लाये गये आई.बी.आर.डी. के ऋण के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में विनिमय जोखिम देयता पर अतिरिक्त व्यय
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	0.01	28.77	28.76	विनिमय जोखिम प्रशासन योजना के अन्तर्गत विनिमय परिवर्तन के कारण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भुगतान
7.	मुख्य शीर्ष – “5466” – अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश				
	एशियन विकास बैंक में निवेश	6.52	40.68	34.16	मूल्य भुगतान के अनुरक्षण के प्रति एशियन विकास बैंक में अतिरिक्त निवेश
8.	मुख्य शीर्ष – “6416” – कृषि वित्तीय संस्थानों को ऋण				
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण	0.01	1.08	1.07	बाह्य ऋणों का रा.कृ.ग्रा.वि.बै. के माध्यम से स्वीकृत होना।

परिशिष्ट -VIII-ख
(पैराग्राफ 8.3 देखें)
अव्ययित प्रावधान का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			अव्ययित प्रावधान के लिए कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	
2001-02					
1.	मुख्य शीर्ष – “2552” – उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभों के लिए परियोजनाएं/योजनाएं	7.00	1.50	5.50	उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम इक्विटी निधि में कम भागीदारी। जबकि उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम ने उत्तर-पूर्वी वित्त योजनाओं के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए उच्चतर उपयोग का अनुमान लगाया था। निजी उद्यमियों/ उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम द्वारा बहुत कम मांग रही इसलिए बचत हुई थी।
2.	मुख्य शीर्ष – “2885” – उद्योग एवं खनिज पर अन्य परिव्यय				
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम का अनुदान	62.90	30.08	32.82	बाहरी सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे
3.	मुख्य शीर्ष – “3475” – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	रिसर्जन्ट इंडिया बांड से उत्पन्न विनिमय हानि के प्रति एम.ओ.वी. लेखे का भुगतान	1179.94	771.10	408.84	रिसर्जन्ट इंडिया बांड से उत्पन्न विनिमय हानि के प्रति एम.ओ.वी. लेखे के भुगतान के लिए बजट बनाते समय प्रत्याशित राशि की कम आवश्यकता
4.	मुख्य शीर्ष – “4885” – उद्योग एवं खनिज पर अन्य पूंजीगत परिव्यय				
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी का अंशदान	400.00	-----	400.00	मुख्य शीर्ष -6885 को पुनर्विनियोजित करने के निर्णय के कारण समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, क्योंकि इक्विटी के विस्तार के लिए आई.एफ.सी.आई. द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचर्स में निवेश के प्रति सरकार द्वारा अभिदान किया जाना था।
5.	मुख्य शीर्ष – “6885” – उद्योग एवं खनिज को अन्य ऋण				
	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	680.26	148.87	531.39	एन.आई.सी. -एल.टी.ओ. ऋणों के अन्तरण के लिए कम आवश्यकता जैसाकि भा.रि.बै./बैंक प्रभाग द्वारा सूचित किया गया था।
2002-03					
6.	मुख्य शीर्ष – “2416” – कृषि वित्तीय संस्थान				
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान (रा.कृ.ग्रा.वि.बै.)	111.55	10.96	100.59	अंतिम बैच में अनुपूरक उपलब्ध कराकर ऋण सहायता देने का निर्णय और प्रतिपूर्ति के लिए कम दावों की प्राप्ति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			अव्ययित प्रावधान के लिए कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	
7.	मुख्य शीर्ष – “2885” – उद्योग एवं खनिज पर अन्य परिव्यय				
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम को अनुदान	51.23	33.74	17.49	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम से प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावे।
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान	18.94	-----	18.94	बाहरी सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए आई.सी.आई.सी.आई. से कोई भी दावा प्राप्त न होने के कारण समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, जोकि संशोधित अनुमान/अनुपूरक को अंतिम रूप देते समय प्रत्याशित नहीं था।
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान	4.25	1.31	2.94	भा.औ.वि.बै. से प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावे।
	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान	54.95	16.90	38.05	भा.ल.औ.वि.बै. से प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावे।
8	मुख्य शीर्ष – “3475” – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	रिसर्जेंट इंडिया बांड से उत्पन्न विनिमय हानि के प्रति एम.ओ.वी. लेखे का भुगतान	936.95	273.62	663.33	रिसर्जेंट इंडिया बांड से उत्पन्न विनिमय हानि के मूल्य लेखा के अनुक्षण के भुगतान के लिए कम आवश्यकता।
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम	34.73	1.55	33.18	फारेन लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में विनिमय हानि के लिए आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा अत्यन्त कम दावे प्रस्तुत किए गए थे।
	भारतीय मिलेनियम जमा पर विनिमय हानि	446.44	100.59	345.85	मूल्य लेखे के अनुक्षण हेतु भुगतान के लिए कम आवश्यकता।
9.	मुख्य शीर्ष – “5466” – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश				
	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान	3.75	-----	3.75	समग्र राशि अव्ययित रही क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी।
	एशियन विकास बैंक में निवेश	10.00	1.51	8.49	बजट अनुमान बनाते समय प्रत्याशित न की गई एशियन विकास बैंक से कम मांग।
10.	मुख्य शीर्ष – “6885” – उद्योग एवं खनिज को अन्य ऋण				
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम	1.00	-----	1.00	बाहरी ऋणों से प्रतिपूर्ति के लिए आई.सी.आई.सी.आई. से कोई दावे प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें अनुपूरक प्राप्त करते समय प्रत्याशित नहीं किया गया था।
2003-04					
11.	मुख्य शीर्ष – “2235” – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
	समुदाय आधारित सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	70.00	-----	70.00	भारतीय जीवन बीमा निगम से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समग्र प्रावधान अव्ययित रहा।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			अव्ययित प्रावधान के लिए कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	
12.	मुख्य शीर्ष – “2885” – उद्योग एवं खनिज पर अन्य परिव्यय				
	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अनुदान	46.00	23.08	22.92	एन.ई.एफ. योजना के अंतर्गत भा.ल.उ.वि.बैं. से प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशा से कम दावों की प्राप्ति।
13.	मुख्य शीर्ष – “3475” – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	रिसर्जेंट इण्डिया बांड से उत्पन्न विनिमय हानि के प्रति एम.ओ.वी. लेखे को भुगतान	288.57	-----	288.57	यू.एस.डालर के प्रति रूपयों के मूल्य में वृद्धि के कारण समग्र प्रावधान अव्ययित रहा।
	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम	35.64	-----	35.64	समग्र प्रावधान अव्ययित रहा क्योंकि भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी।
	भारतीय मिलेनियम जमा पर विनिमय हानि	423.90	-----	423.90	विनिमय दर में उतार चढ़ाव अनुकूल होने के कारण समग्र प्रावधान अव्ययित रहा।
14.	मुख्य शीर्ष – “4885” – उद्योग एवं खनिज पर अन्य पूंजीगत परिव्यय				
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शेयर पूंजी का अंशदान	772.98	-	772.98	समग्र प्रावधान अव्ययित रहा क्योंकि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को उसकी देयताओं की पुनः संरचना के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था।
15.	मुख्य शीर्ष – “5466” – अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश				
	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अंशदान	116.20	-----	116.20	समग्र प्रावधान अव्ययित रहा क्योंकि सरकार ने भारत के अनुसूचित मूल्य उत्तरदायित्वों को विशेष डालर अंकित नोटों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था।
16.	मुख्य शीर्ष – “6885” – उद्योग एवं खनिज को अन्य ऋण				
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1573.00	-----	1573.00	समग्र प्रावधान अव्ययित रहा क्योंकि सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पुनःसंरचना के लिए ऋण की बजाय अनुदान के रूप में समान राशि संवितरित करने का निर्णय लिया गया था।

2001-02 के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतगत 732.23 करोड़ रु. सैद्धान्तिक निवल अधिक व्यय हुआ था जो राष्ट्रीय औद्योगिक क्रेडिट निवेश सूची के बकाया शेषों का भा.रि.बैं. की बहियों से भारत सरकार को अंतरण करने के कारण था। अधिक व्यय पूर्णरूप से तकनीकी था तथा प्रोद्भूत ब्याज के कारण था और भा.रि.बैं. द्वारा सीधे प्रीमियम का भुगतान था (बही समायोजन) और उससे कोई रोकड़ अन्तरण नहीं हुआ था। यद्यपि यह लेखाओं में यह राशि औद्योगिक एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण के अंतर्गत लेखांकित की गई फिर भी अनुपूरक मांग केवल ऋण के मूलधन के लिए प्राप्त की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सैद्धान्तिक अधिक व्यय हुआ।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट -VIII-ग

(पैराग्राफ 8.13 देखें)

अनुपयोग/समस्त निधियों का पुनर्विनियोग
(समस्त बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा)

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/ उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/ पुनर्विनियोजित राशि/ अभ्यर्पण
2001-02		
1.	2203.00.800.03 प्रौद्योगिकी विकास मिशन	8.00
2.	2203.00.800.13 अनुसंधान तथा सूचना सेवाएं	3.00
3.	2203.00.800.14 विद्यार्थी उपबोधन तथा विकास कार्यक्रम	3.00
2002-03		
1.	2202.02.110.08 शिक्षा का व्यावसायिकीकरण	5.00
2.	2202.05.102.04 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	10.35
3.	2203.00.112.24 केन्द्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता	27.00
4.	2203.00.800.03 प्रौद्योगिकी विकास मिशन	7.20
5.	2552.00.800.14 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की परियोजनाओं /योजनाओं के लिए प्रावधान	215.11
2003-04		
1.	2202.02.800.38 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-बिना विधानमंडल के संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	5.00
2.	2203.00.112.24 केन्द्रीय संस्थानों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता	30.00
3.	3601.04.172.02 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	94.00
4.	3601.04.172.04 आधिक्य और ईक्विटी	3.50
5.	3602.04.179.02 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	2.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट - VIII-घ
(पैराग्राफ -8.15 देखें)
अव्ययित प्रावधान

(हजार रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2001-2002					
मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा					
1.	शिक्षा का व्यावसायिकीकरण :- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	0.50	0.35	0.15	—
2.	विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	1.25	0.91	0.34	—
3.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	0.20	0.12	0.08	—
4.	सेमिनार, समिति की बैठक आदि पर व्यय। गैर सरकारी सदस्यों को या.भ./दै.भ.	0.35	0.18	0.17	—
5.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद तथा पुस्तक प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों पर अनुदान तथा व्यय	0.50	0.36	0.14	—
6.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों को वित्तीय सहायता	0.45	0.04	0.41	—
7.	भाषा विकास : निर्देशन एवं प्रशासन : हिन्दी निदेशालय	5.01	3.80	1.21	बचत रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण थी।
8.	मानित संस्कृत विश्वविद्यालयों - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सी.बी.एस.ई. तथा गै.स.सं. को अनुदान	2.50	1.47	1.03	—
9.	सामान्य : विदेश में शैक्षिक संस्थान निर्देशन एवं प्रशासन	3.72	2.47	1.25	— बचत रिक्त पदों के भरे न जाने तथा व्यय की धीमी गति के कारण थी।
10.	सर्वाधिकार मामलों पर सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना	0.90	0.72	0.18	—
11.	बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पर वित्तीय सहायता	2.80	0.79	2.01	—
12.	छात्रवृत्ति: बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य - क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	0.02	--	0.02	—
13.	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	0.02	--	0.02	—
14.	विदेशी सरकार / संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के प्रति विदेश जा रहे भारतीय प्राप्तकर्ता	0.70	0.16	0.54	बचत चयनित अभ्यर्थियों का शिक्षावृत्ति का लाभ उठाने में अनिच्छा तथा वित्त मंत्रालय में शिक्षावृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव लम्बित होने के कारण थी।
15.	विदेशी शैक्षिक सम्बन्धों को मजबूत बनाना	0.10	0.02	0.08	—

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
16.	भारत में यूनेस्को प्रकाशन हेतु आई.एन.सी. पुस्तकालय का पूर्ण विकसित प्रलेखन तथा संदर्भ केन्द्र के रूप में पुनर्गठन करना	0.08	--	0.08	—
17.	यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए समिति की बैठकें/ सम्मेलन करना तथा प्रदर्शनी का आयोजन करना	0.10	0.01	0.09	—
18.	यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत बनाना	0.03	0.01	0.02	—
मुख्य शीर्ष : 2203 तकनीकी शिक्षा पॉलिटैक्निक :					
19.	सामुदायिक पॉलिटैक्निक-गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान	52.90	32.46	20.44	बचत सामुदायिक पॉलिटैक्निकों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण थी।
20.	अन्य व्यय: एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक	0.18	0.05	0.13	—
मुख्य शीर्ष 3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान					
21.	तकनीकी शिक्षा - गैर सरकारी तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान को सहायता - तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन - राज्यों में संस्थानों/ सैलों को सहायता देना	85.00	42.39	42.61	बचत राज्य सरकारों से कम पात्र प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण थी।
2002-03					
मुख्य शीर्ष -2013 मंत्रिपरिषद					
22.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	0.03	0.01	0.02	—
मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा					
23.	शिक्षा का व्यावसायिकीकरण - स्वैच्छिक संगठन को अनुदान	1.00	0.22	0.78	बचत योजना के संशोधन को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार न करने के कारण थी।
24.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	0.20	0.13	0.07	—
25.	सेमिनारों, समिति की बैठक आदि पर व्यय/ गैर सरकारी सदस्यों को देय या.भ./ दै.भ.	0.35	0.23	0.12	—
26.	शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अध्ययन, सेमिनार/ मूल्यांकन आदि के लिए योजना	0.81	0.52	0.29	—
27.	बौद्धिक संपत्ति शिक्षा, अनुसंधान एवं जन साधारण तक पहुंच योजना	2.52	1.88	0.64	बचत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण थी।
छात्रवृत्तियां :					
28.	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	0.06	--	0.06	—
	अन्य मद	0.01	--	0.01	—
29.	भारत में यूनेस्को प्रकाशन हेतु आई.एन.सी. पुस्तकालय का पूर्ण विकसित प्रलेखन तथा संदर्भ केन्द्र के रूप में पुनर्गठन करना	0.09	--	0.09	—

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
30.	यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए समिति की बैठकें/ सम्मेलन करना तथा प्रदर्शनी का आयोजन करना	0.09	0.01	0.08	—
	मुख्य शीर्ष -2203, तकनीकी शिक्षा				
31.	अन्य व्यय : एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक	0.25	0.10	0.15	—
	मुख्य शीर्ष-3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान				
32.	सामान्य शिक्षा - छात्रवृत्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति	2.55	--	2.55	बचत कुछ राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण थी।
33.	खेल एवं युवा सेवाएं - शारीरिक शिक्षा - योगा को प्रोत्साहन	0.20	0.02	0.18	—
34.	माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान: शिक्षा का व्यावसायिकीकरण	41.50	11.34	30.16	बचत राज्य सरकारों के पास पड़े अव्ययित शेष के समायोजन के कारण थी।
	मुख्य शीर्ष -3602 संघ शासित राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान				
35.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	0.20	--	0.20	—
36.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति	0.09	--	0.09	—
37.	संस्कृत शिक्षा का विकास	0.89	0.02	0.87	बचत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थी।
2003-2004					
	मुख्य शीर्ष '2002' सामान्य शिक्षा				
38.	शिक्षा का व्यावसायिकीकरण स्वैच्छिक संगठन को अनुदान	1.50	0.03	1.47	बचत योजना के संशोधन को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार न करने के कारण थी।
39.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	0.20	0.16	0.04	—
40.	पहुंच एवं निष्पक्षता स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	15.00	5.92	9.08	बचत नए प्रस्तावों पर विचार न किए जाने के कारण थी
41.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	3.50	2.71	0.79	बचत संचालित किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों / दौरों की संख्या कम होने तथा चैयरमैन का पद दो माह से अधिक समय तक रिक्त रहने के कारण बैठक का आयोजन न करने के कारण थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
	सामान्य:				
42.	निर्देशन और प्रशासन विदेश में शैक्षिक संस्थान	4.36	3.38	0.98	बचत कम मांग होने तथा संस्थान के पास पड़े अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण थी।
43.	बौद्धिक सम्पत्ति शिक्षा, अनुसंधान तथा जन साधारण तक पहुंच योजना	2.80	2.19	0.61	बचत सरकारी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण थी
44.	विदेशी सरकार / संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति के प्रति विदेश जा रहे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता भारतीय	0.66	0.50	0.16	—
45.	विदेशी शैक्षिक संबंध को मजबूत बनाना	0.50	0.29	0.21	—
46.	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	1.35	1.03	0.32	—
	मुख्य शीर्ष 2203: तकनीकी शिक्षा पॉलिटैक्निक:				
47.	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम - सामुदायिक पॉलिटैक्निक के लिए अनुदान	72.00	20.63	51.37	बचत व्यय वित्त समिति द्वारा योजना को अंतिम रूप न दिए जाने तथा सामुदायिक पॉलिटैक्निक के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट - VIII-ड
(पैराग्राफ -8.16 देखें)
उप-शीर्षों के अंतर्गत अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष /उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	अन्य शीर्षों को पुनर्विविनियोजित राशि	पुनर्विविनियोजन की प्रतिशतता
2001-02				
1.	2202.02.110.02 जन संख्या शिक्षा परियोजना	3.50	2.35	67
2.	2202.02.110.04 अभिनव कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे शैक्षिक संस्थानों में संस्कृति /कला / मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायता	9.30	7.37	79
3.	2202.05.103.07 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	3.00	2.34	78
4.	2203.00.112.19 सन्त लोंगोवाल अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	14.69	7.69	52
5.	3601.01.186.01 तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन राज्यों में संस्थानों/ सैलॉ को सहायता	85.00	42.00	49
6.	3601.03.161.03 मद्रास शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	10.00	8.00	80
7.	3601.03.162.02 संस्कृत शिक्षा का विकास	7.00	3.80	54
8.	3601.04.179.02 शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	4.70	4.68	100
2002-03				
1.	2202.02.110.04 अभिनव कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे शैक्षिक संस्थानों में संस्कृति /कला मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए एजेन्सी को सहायता	8.10	6.08	75
2.	2202.02.110.07 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	13.50	8.17	61
3.	2202.02.800.33 विकलांग बच्चों के लिए एकत्रित शिक्षा स्वैच्छिक संगठन	12.70	7.20	57
4.	2202.02.800.41 विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	7.95	4.75	60
5.	2202.03.102.01 राष्ट्रीय विद्यालय (आई जी एन ओ यू) की स्थापना	62.30	30.31	49
6.	2202.05.103.11 मानित संस्कृत विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सी.बी.एस.ई. और गै.स.सं. को अनुदान	2.25	2.05	91
7.	2203.00.105.04 कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार के लिए अनुदान समुदायिक पॉलिटेक्निक	65.00	33.97	52
8.	2203.00.112.16 राष्ट्रीय औद्योगिक अभियान्त्रिकी संस्थान, मुम्बई	12.50	6.00	48
9.	2203.00.112.17 राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	9.15	5.51	60
10.	3601.03.157.01 ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	2.55	2.54	100
11.	3601.03.157.02 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	4.25	4.02	95
12.	3601.04.172.02 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	89.50	79.20	88

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष /उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	अन्य शीर्षों को पुनर्विविनियोजित राशि	पुनर्विनियोजन की प्रतिशतता
13.	3601.04.179.03 विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	18.50	9.65	52
14.	3601.04.180.01 शिक्षा का व्यावसायिकीकरण	41.50	26.86	65
2003-04				
1.	2202.02.110.04 मानव मूल्य की शिक्षा के लिए एजेन्सियों को सहायता	9.00	6.00	67
2.	2202.02.800.39 पहुंच एवं निष्पक्षता स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	15.00	8.00	53
3.	2202.03.102.01 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (आई जी एन ओ यू) की स्थापना	68.00	51.44	76
4.	2202.05.103.07 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	3.00	2.00	67
5.	2203.00.001.04 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.)	130.00	80.00	62
6.	2203.00.105.04 कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार के लिए अनुदान-समुदाय - पॉलिटेक्नीक	72.00	51.06	71
7.	2203.00.112.09 भारतीय प्रबन्धन संस्थान	74.73	39.68	53
8.	2203.00.800.03 प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	8.00	7.80	98
9.	3601.03.157.01 ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक छात्रवृत्तियां	2.81	2.79	99
10.	3601.03.157.02 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	4.75	4.63	97
11.	3601.04.172.03 विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	18.25	12.66	69
12.	3601.04.180.01 शिक्षा का व्यावसायिकीकरण	47.00	39.93	85

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

परिशिष्ट-VIII च

(पैराग्राफ 8.34 देखें)

एक करोड़ रुपयों से अधिक अव्ययित प्रावधान रहा

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू +अनु)	वास्तविक/व्यय	अव्ययित प्रावधान/बचत	बचत की प्रतिशतता
2001-02					
1.	2215.02.105.04 जल आपूर्ति एवं सफाई-सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कम लागत पर सफाई प्रबन्ध	39.80	10.00	29.80	75
2.	2215.02.191.03 चुने हुए शहरों में हवाई अड्डे के समीप ठोस कूड़े के निपटान के लिए मार्गदर्शी परियोजना	5.00	शून्य	5.00	100
3.	2216.01.700.03 आवास-अनुरक्षण एवं मरम्मत (प्रभारित)	15.94	13.31	2.63	16
4.	2217.80.001.02 शहरी विकास-शहरी परिवहन योजना	6.63	0.88	5.75	87
5.	2552.00.800.14 उत्तर पूर्वी क्षेत्र-उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	41.25	3.58	37.67	91
2002-03					
1.	2215.01.101.01 छोटे शहरों में ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. का विस्तार	143.00	121.95	21.05	15
2.	2215.02.105.04 सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कम लागत पर सफाई प्रबन्ध	29.80	4.80	25.00	84
3.	2215.02.191.03 चुने हुए शहरों में हवाई अड्डे के समीप ठोस कूड़े के निपटान के लिए मार्गदर्शी परियोजना	5.00	शून्य	5.00	100
4.	2217.80.001.02 शहरी परिवहन योजना	4.99	1.46	3.53	71
5.	2217.80.800.11 शहरी मानचित्रण योजना	5.00	0.40	4.60	92
6.	3601.04.309.03 मेगासिटी योजना-आधारिक संरचना विकास	124.50	119.50	5.00	4
7.	3601.04.312.02 लघु एवं मध्यम शहर के एकीकृत	102.50	85.43	17.07	17

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2003-2004

क्र. सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान (मू +अनु)	वास्तविक/व्यय	अव्ययित प्रावधान/बचत	बचत की प्रतिशतता
8.	4216.01.106.03 शहरी विकास-निर्माण (दत्तमत)	89.01	86.51	2.50	3
9.	4216.01.700.06 आवास पर पूंजी परिव्यय- वित्त (राजस्व)	55.05	32.26	22.79	41
10.	4216.01.700.11 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	8.79	1.13	7.66	87
11.	4216.01.700.17 लोक सभा/राज्य सभा	7.75	3.98	3.77	49
12.	4216.01.700.34 रोजगार	5.60	1.09	4.51	81
13.	4552.00.800.15 उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	89.00	76.00	13.00	15
2003-04					
1.	2215.01.101.01 छोटे शहरों में ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी. का विस्तार	140.00	131.56	8.44	6
2.	2215.02.191.03 चुने हुए शहरों में हवाई अड्डे के समीप ठोस कूड़े के निपटान के लिए मार्गदर्शी परियोजना	5.00	0.99	4.01	80
3.	2216.01.700.03 आवास-अनुक्षण एवं मरम्मत (प्रभारित)	16.32	12.84	3.48	21
4.	2217.05.800.12 शहरी सूचना प्रणाली	5.00	0.65	4.35	87
5.	4216.01.106.03 शहरी विकास-निर्माण (दत्तमत)	92.02	84.68	7.34	8
6.	4216.01.700.06 वित्त (राजस्व)	46.65	31.10	15.55	33
7.	4216.01.700.07 गृह मामले	3.50	1.43	2.07	59
8.	4216.01.700.05 लेखापरीक्षा	20.00	9.40	10.60	53
9.	4216.01.700.11 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8.60	3.02	5.58	65
10.	4216.01.700.34 रोजगार	6.00	2.00	4.00	67
11.	4552.00.800.15 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	159.00	92.00	67.00	42

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थाई अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।

- विनियोग विधेयक : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
- पूंजीगत व्यय : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूंजीगत प्राप्ति : पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।

- अनुदानों की मांग : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्ति को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।
- अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक "खण्ड" अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व(दत्तमत), पूंजीगत(प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्ति तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्ति के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ. : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप

- चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे “भारत में लिया गया ऋण ” भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3 : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत “001” से प्रारंभ होते हैं।
- नयी सेवा : सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं जिससे बाहर किया गया व्यय “नई सेवा /सेवा का नया साधन” बन जाता है।
- मूल अनुदान : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से संबंधित लेन-देन

शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

- लोक ऋण (भारत का) : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुसंधान व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
- अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई

जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

- अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- अव्ययित प्रावधान : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
- दत्तमत्त अनुदान : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।